

प्रकाशक—

रघुनाथप्रसाद सिंहानिया

७३-ए, चासाधोवा पाड़ा स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

मुद्रक—

भगवत्प्रियसाद सिंह

न्यू राजस्थान प्रेस,

७३-ए, चासाधोवा पाड़ा स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

प्राक्तथन

आज से प्रायः दो महीने पहले जब मेरे मित्र श्रीयुन श्रीचद्गी रामपुरिया वी० काम० वी० एल० ने मेरे सामने नवीन इन्कम टैक्स कानून के सम्बन्ध में हिन्दी में एक पुस्तक लिखने का विचार प्रगट किया तो मुझे इनके सत्साहस पर कुछ आश्वर्य हुआ। व्योंकि हिन्दी में किसी आधुनिक कानूनी विषय को लेकर लिखने का प्रयास करने को मैं दुस्साहस का ही काम समझता हूँ। फिर इन्कम टैक्स सरीखे जटिल कानून पर, जो वर्तमान सशोधनों की वजह से और भी जटिल-तर बना दिया गया है, कुछ लिखने की चेष्टा करना तो वास्तव में दुस्साहस था ही। मेरा विश्वास है कि कानून सरीखे टेक्निकल विषयों को अच्छी तरह से समझने या समझाने के लिये जिस भाषा में मूलतः वे लिखे गये हैं उसी भाषा का आधार प्रहण कर उसे समझना या समझाना कहीं आसान है बनिस्वत इसके कि उसे दूसरी भाषा में अनुवादित कर समझा या समझाया जाय फिर विशेष कर उस भाषा में जिसका पुराना अनुभव बहुत ही कठु है। आज तक हिन्दी में कानून से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी ग्रन्थ लिखे गये हैं वे इसके प्रमाण हैं। हाला कि हिन्दी हमारी राष्ट्री भाषा कही जाती है। किन्तु राम पुरियाजी के प्रथम प्रयास के इस फल को देख कर इस बात को मानना पड़ेगा कि यदि टेक्निकल विषयों को अनुवादित करने का काम उस विषय के जानकारों के ऊपर छोड़ा जा सके तो आज तक हिन्दी के लिये जो निराशा होती आयी है वह बहुत कुछ अंशों में कम हो जाय।

और इस संशोधित कानून में तो पुराना अनुभव भी कुछ विशेष सहायता नहीं करता क्योंकि यह जिस संशोधित एवं परिवर्धित रूप में हमारे सामने है वह इतना विकृत है कि उसे पहचानना ही मुश्किल है। यदि हम इसे विलकूल ही एक नया कानून कहे तो कोई विशेष अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि जिन आधार भूत सिद्धान्तों पर पुराना कानून अबलम्बित था उन्हें नये कानून में धता दता गई है और उनके स्थान पर विलकूल नये विचित्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर जन साधारण को और भी घपले में डाल दिया गया है।

जिस समय सन् १९३६ मे इन्कम टैक्स इन्कायरी कमेटी की स्थापना की घोषणा की गयी थी और सुना था कि यहाँ की इन्कम टैक्स प्रणाली को सुधारने के लिये इङ्लैण्ड से दो विशेषज्ञ बुलाये जा रहे हैं, उस समय लोगों ने सोचा था कि अब कर-दाताओं के त्रुटे दिन लद गये और ठीक ढङ्ग से इन्कम टैक्स का संचालन होने से देश मे उद्योग-व्यवसाय की वृद्धि होगी और उद्योग व्यवसाय की वृद्धि होने से देश में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होगी। किन्तु इस कानून के नवीन रूप को देख कर सारी आशाओं पर पानी फिर गया और अब लोग समझने लगे कि इससे तो कहाँ अच्छा पुराना कानून ही था। यद्यपि पुराना कानून भी इतना कड़ा था कि उसके दबाव से मध्यवित्त वाले बुरी तरह पिसे जा रहे थे, किन्तु सन्निपात के सामने तो मलेरिया बुखार ही प्रिय मालूम होता है। इस सम्बन्ध में वही कहावत चरितार्थ होती है कि मागा भोजन और मिले पत्थर।

इन्कायरी कमेटी ने जिस ढङ्ग से अपनी जांच शुरू की, उस से लोगों को यह आशा बन्ध गयी थी कि जिस प्रकार इङ्लैण्ड मे कर-दाताओं को उनके व्यक्तिगत सर्व एवं आन्तितों के लिये अलाउन्स मिलता है, उसी प्रकार यहा भी मिलेगा तथा टैक्स निर्धारित करने के लिये अणी को छोड़ व्यक्ति ही उसका आधार मान लिया जायेगा

जिससे मध्यम वर्ग के लोगों पर टैक्स का दबाव काफी कम हो जायेगा। यद्यपि नये कानून में दोनों सिद्धान्तों को दबी जवान से स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु उनके अनुसार कार्य करने में इतनी कड़सी से काम लिया गया है कि उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने पर भी लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि चाहं हमपर हमारे आधितों का बोझ कितना ही अधिक क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी आय में से २,५००) से अधिक बाढ़ नहीं मिल सकता। होना तो यह चाहिये था कि इन्हलेंड की तरह यहाँ भी प्रत्येक आधित के लिये अलाउन्स की एक रकम निश्चित कर दी जाती, जो उनकी संख्या के अनुसार करदाताओं की आय में से बाढ़ दे दी जाती, क्योंकि निश्चय ही वह व्यक्ति जिसके पाच आधित हैं और जिन के भरगोयग एवं शिक्षण का भार उस पर है, उस व्यक्ति से, जो अकेला है या जिसके केवल दो आधित हैं, कहाँ कम टैक्स देने की क्षमता रखता है और कोई कारण नहीं है कि उस व्यक्ति से भी पिछले व्यक्ति के समान ही टैक्स लिया जाये। लेकिन यहाँ तो सभी धान बाईम पसेरी कर दिये गये हैं। फिर जिसकी जैसी तकदीर। हमारी समझ में यदि गवर्नरेट कुछ और अधिक उदार दृष्टि से काम लेती, तो वर्तमान में हमारे सामने जो बहुत सी नयी कठिनाइया खड़ी हो गयी हैं, वे नहीं होतीं और देश को इन्कम टैक्स से जो आय होती है, वह भी कम नहीं होती।

नये कानून में चारों ओर से एक ही ध्वनि निकलती है, टैक्स, अधिक टैक्स और अधिक टैक्स। लेकिन वर्तमान ज्योग-व्यवसायों तथा धर्घों में इस अधिक टैक्स के बोझ को संभालने की योग्यता एवं क्षमता है या नहीं, इस पहलू पर तनिक भी दृष्टि नहीं डाली गयी, नहीं तो कानून में जगह-जगह इतनी कडाई करने पर भी टैक्स एवं सुपर टैक्स की दर इतनी अधिक नहीं की जाती। गवर्नरेट शायद इस

छोटे से सिद्धान्त को बिल्कुल ही भूल गया कि किसी देश का आय-कर बढ़ाने के लिये पहले वहां के लोगों की आय बढ़ाने की आवश्य-कता है। केवल आयकर की दर बढ़ा देने एवं कानून के सचालन में कड़ाई करने से ही कर की आमदनी नहीं बढ़ जायेगी। उदाहरण के लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को ही ले लीजिये। आज केवल इसी व्यवसाय से गवर्नर्मेंट को आधे करोड़ से अधिक की इन्कम टैक्स की आय होती है। यदि इस व्यवसाय को संरक्षण न देकर केवल इस-पर टैक्स की दर बढ़ा दी जाती, तो क्या यह कभी सम्भव था कि इससे इतनी अधिक आय मिलती। टैक्स बढ़ाने के पहले टैक्स देने वालों की योग्यता को बढ़ाना जरूरी है।

किन्तु यहा तो जैसे हो तुरत ही अधिक टैक्स मिलना चाहिये इस लिए जिस समय इन्कम टैक्स एक में सशोधन करने के लिये असे-म्बली में बिल पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गवर्नर्मेंट के द्वारा इस बात का जोरें से प्रचार किया गया कि गवर्नर्मेंट इस कानून में केवल ऐसे संशोधन ही करना चाहती है जिससे उन लोगों पर कर का बोझ अधिक पड़े जो धनी वर्ग कहलाता है, गरीब तथा मध्यवित्त लोगों पर कम। इस प्रचार को एक नैतिक सिद्धान्त का रूप दे दिया गया, जिसकी सत्यता और औचित्य के सम्बन्ध में किसे शक हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि गणतन्त्र की समर्थक होने के कारण कांग्रेस पार्टी भी इसके चकमे में आ गयी और सिद्धान्त रूप से उसे इस बिल का समर्थन कर गवर्नर्मेंट का साथ देना पड़ा, हाला कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया था। उस समय यह बात तो निश्चित ही थी कि यदि कांग्रेस पार्टी गवर्नर्मेंट का पूरा साथ न देती तो गवर्नर्मेंट के लिए इस बिल को पास करना टेढ़ी खीर होती। दूसरा प्रचार जो गवर्नर्मेंट द्वारा किया गया वह यह था कि केन्द्र में इन्कम टैक्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय होने से वह

प्रान्तों में बांट दी जायेगी जिसे प्रान्तीय सरकारें रचनात्मक कार्यों में खर्च कर सकेगी। आठ प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार होने की बजह से कहना नहीं पड़ेगा कि, असेम्बली की कांग्रेस पार्टी पर इस बात का भी काफी असर पड़ा।

उपर्युक्त दोनों बातें ऐसी थीं जिससे इस विल को कानून का रूप मिलने में बड़ी सहायता मिली। और इसका सारा श्रेय मिठो चैम्बर्स को है जो खास कर इसी काम के लिये विलायत से बुलाये गये थे। इसके पहले भी कई बार इन्कम टैक्स कानून में आमूल परिवर्तन करने के लिये जनता एवं गवर्नर्मेंट दोनों को ओर से, यद्यपि विभिन्न हाई-कोर्टों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के दृष्टिकोण में इतना अन्तर था कि कभी सफलता नहीं मिली। लोग चाहते थे कि कम सं कम टैक्स देना और गवर्नर्मेंट चाहती थी वेशी से वेशी लेना। दोनों मिलें तो कैसे और एक ही कानून से दोनों का समाधान भी किया जाय तो कैसे। अब भी वह अन्तर तो है ही लेकिन मिठो चैम्बर्स की बुद्धिमानी का ही फल था कि उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रचार करु एवं धनीवर्ग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अलग निकाल कर इस अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक स्थाव असेम्बली से इस विल को पास करा सके।

गरीबों पर कम और अमीरों पर वेशी टैक्स लगे। इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून में टैक्स लगाने के लिये एक नये ढंग का आविष्कार किया गया है जिसे स्लैब सिस्टम कहते हैं। पहले जिस आधार पर टैक्स लगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते हैं। पुराने कानून में एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारी आय पर एक निश्चित दर में टैक्स लगता था। जैसे यदि आपको आम-दर्जी २,१००) हुई तो इस समूची रकम पर ६ पाई रुपये के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता। यदि आपको आय ५,५००) हुई तो पूरी

रकम पर ₹ पाई के हिसाब से । किन्तु अब स्लैव सिस्टम में यदि आपकी आय ₹,१००० है तो ₹,५००० न देकर केवल ₹००० पर आपको ₹ पाई के हिसाब से टैक्स देना होगा । यदि आपकी आय ₹,५००० हुई तो ₹,५००० बाद देकर ₹,५००० पर ₹ पाई के हिसाब से यथा वाकी ₹००० पर १५ पाई के हिसाब से टैक्स देना होगा, तथा इसी प्रकार ऊँची आय के लिए ।

यों तो इस नये विधान में प्रत्येक प्रकार के करदाता के साथ अन्याय ही हुआ है लेकिन जितना अन्याय हिन्दू समुक्त परिवार के साथ हुआ है उतना और किसी के साथ नहीं । हमारी प्राचीन संयुक्त परिवारिक प्रथा को छिन्न-भिन्न करने के लिये और कितने ही सामाजिक कारण तो पैदा हो ही रहे थे, लेकिन उन सब को वर्दाश्त करते हुए भी किसी प्रकार अवतक हमारा समुक्त परिवार चलता जा रहा था । लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब और किसी कारण से नहीं केवल इन्कम टैक्स के लिये ही हमें इस संयुक्त परिवार प्रथा को बिदा करना पड़ेगा । यह कितना बड़ा अन्याय है कि यदि चार सामीदार मिल कर किसी काम को करें तो उन पर तो अलग-अलग टैक्स लगे लेकिन वही काम अगर हम चार भाई मिल कर करते हैं तो उन पर केवल रक्त का सम्बन्ध एवं हिन्दू होने के नाते एक साथ टैक्स लगे । यह न्याय के किसी भी सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं कहा जा सकता । खास कर उस अवस्था में जब कि पुराने कानून में हिन्दू समुक्त परिवार के लिये सुपर टैक्स की सीमा ₹५,००० तक स्थिर करने में इस सिद्धान्त को मान लिया गया था कि उस पर टैक्स का बोझ जहाँ तक हो सके उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात से ही पड़े । जनता की यह मांग बहुत दिनों से थी कि संयुक्त परिवार पर टैक्स लगाने के लिये उसे परिवार के बालिग सदस्यों का एक सामीदार फर्म मान लिया जाय और हरएक सदस्य पर

अलग-अलग टैक्स लगाया जाय। यह कोई कारण नहीं कि वहीं भाई जब अलग होकर फिर एक साथ काम करते हैं तो उन पर तो अलग टैक्स लगे लेकिन यदि अपनी प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के लिये वे एक साथ रह कर काम करते हैं तो उन पर एक साथ टैक्स लगे। इन्कम टैक्स जाच कमेटी ने भी जनता की इस मांग के औचित्य को महसूस किया था और इसीलिये उसने सिफारिश की थी कि जबतक भारत सरकार के खजाने की अवस्था ठीक न हो जाय, प्रत्येक हिन्दू परिवार को कम-से-कम दो हिस्सों में बाट कर उन पर एक हिस्से पर लागू होनेवाली दर से ही टैक्स लगाया जाय लेकिन भारत सरकार ने जनता की मांग के साथ अपने द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिश को भी ठुकरा दिया और सुपर टैक्स से ७५,००० तक मुक्ति के रूप में जो थोड़ी बहुत रियायत थी उसे भी छीन लिया। तुरा यह है कि इस मांग को मंजूर न करने में दलील यह दी गयी है कि हिन्दू संयुक्त परिवार से यदि उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात से टैक्स लिया जाय तो सरकार को उससे जो घाटा होगा वह कैसे पूरा किया जायेगा। कैसी भद्री दलील है। इसका तो एक सीधा एवं बहुत छोटा-सा ही जबाब था कि टैक्स की दर हरएक व्यक्ति के लिये एक या आधी पाई और बढ़ा दी जाय। जब राष्ट्र को रूपये की आवश्यकता है तो योग्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति पर उस बोझ का बोझ क्यों न पड़े, केवल उन हिन्दुओं पर ही उस बोझ के दबाव को बनाये रखना, जो उसे बर्दाश्त करने में सर्वथा असमर्थ है, कैसे उचित कहा जा सकता है? मैं तो समझता हूँ कि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर प्रचण्ड आन्दोलन होना चाहिये, सफलता तो निश्चित ही है क्योंकि गवर्नरमेंट खुद ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। उसके द्वारा नियुक्त जाच कमेटी ने इसके लिये सिफारिश की है। फिर सब से बड़ी बात तो यह है कि न्याय हमारे साथ है। किन्तु यह आन्दोलन तब तक

सफल नहीं हो सकता जब तक फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स सरीखी संस्थाएँ इसमें न पढ़ें। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो हमें टैक्स बचाने के लिये प्रत्येक संयुक्त परिवार के सदस्यों को कानूनी ढंग से अलग-अलग कर फिर उन्होंने सदस्यों को मिला सामेदारी में काम करना चाहिये। लेकिन हमारी संस्कृति का तकाजा है कि हम अपनी संयुक्त-परिवार-प्रणाली को कायम रखते हुए टैक्स बचाने की चेष्टा करें। केवल इन्कम टैक्स के लिये ही आज हमें शतांकियों की पुरानी प्रथा से बिदाई लेनी पड़े इससे दुःख और लज्जा की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक हिन्दू परिवार में वह सामर्थ्य नहीं कि प्रत्येक वर्ष जिजिया सरीखे इस टैक्स को अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिये देगा।

गरीबों पर कम और अमीरों पर वेशी टैक्स लगे इस सिद्धान्त का भी जिस भ्रमात्मक ढंग से गवर्नरमेंट द्वारा प्रचार किया गया है, वह कम खेदजनक नहीं है। यदि किसी समय किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ऐसे भ्रमपूर्ण नारों को बुलन्द कर हम मजदूर पार्टी सरीखी किसी खास पार्टी के प्रति जनता की क्षणिक सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करें तो वह चेष्टा अक्षम्य नहीं कही जा सकती, लेकिन इन्कम टैक्स सरीखे स्थायी कानून को बनाने में जब वृटिश गवर्नरमेंट सरीखी अपने को सभ्य कहनेवाली सरकार उसका उपयोग करती है और उसके द्वारा लोगों को धोखे में रख अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो अफसोस हुए विना नहीं रहता।

अब यदि हम जरा गम्भीरतापूर्वक इस सिद्धान्त की मीमांसा करें तो हमें इसके खोखलेपन का पता सहज ही में लग जायगा। हमें याद रखना चाहिये कि हम उस कानून के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा साल दर साल आय पर कर लगता है न कि पूँजी पर। अब यदि हम कहे कि अमीरों पर वेशी टैक्स लगना चाहिये

तो उसका कदापि यह अर्थ नहीं होता कि उन अमीरों से, चाहे उन्हे आय हो या न हो, उनकी पूजी के मुताबिक टैक्स वसूल करना चाहिये। टैक्स तो आप उनसे उसी हालत में ले सकते हैं जब वे अपनी पूजी किसी कारवार में लगा कर उससे लाभ उठायें। यदि ऐसी परिस्थिति हो कि उन्हे कुछ आय ही न होती हो तो बाबजूद उनके अमीरपने के आप उनसे इन्कम टैक्स का एक पैसा भी वसूल नहीं कर सकते, अर्थात् कोई भी अमीर आदमी अपनी पूजी में से इन्कम टैक्स नहीं दे सकता। इसलिये टैक्स आप उस आदमी पर नहीं लगा रहे हैं जो अमीर है वल्कि टैक्स उस कारवार पर लगा रहे हैं जिससे उसे आमदनी होती है। यदि आपको टैक्स की दर इतनी ऊँची है कि उसे वह कारवार बर्दाशत ही नहीं कर सकता तो भल मारकर वह कारवार उसे बन्द कर देना पड़ेगा। क्योंकि आखिर टैक्स भी तो और खर्चों की तरह एक खर्च ही है जिसे उस कारवार की लाभ हानि जोड़ने में आपको गिनना पड़ता है। अब जरा सोचिये कि यदि आप हिन्दुस्तान में और एक जापानी जापान में कोई एक चीज बनाने का कारबाना खड़ा कर रहा है और वह जानी हुई वात है कि जापान में सब मर्दों में खर्च कुछ न कुछ हिन्दुस्तान से कम पड़ता है फिर यहा का इन्कम टैक्स भी इतना अधिक हो तो यह निश्चित ही है कि जापानी चीज यहा सस्ती पड़ेगी और उसके मुकाबिले में आप खड़े नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हमें इस वात को नहीं भूल जाना चाहिये कि आज संसार में दूरी जैसी कोई चीज नहीं है, अमेरिका में बैठा हुआ आपका प्रतिष्ठानी सफलता पूर्वक आपसे कम्पीटिशन कर सकता है वशर्ते कि परिस्थितिया उसके अनुकूल हों और उसकी गवर्नरेंट उसके साथ हो। ऐसी अवस्था में विदेशियों के मुकाबिले में आप टिक नहीं सकते, न कोई आप बड़ा कारवार ही खड़ा कर सकते हैं जिसमें बड़ी पूजी की दरकार हो। फिर जब तक अच्छा मुनाफा न हो क्यों

कोई अमीर आदमी किसी कारबार में अपनी पूजी फंसायेगा तथा क्यों वह इतनी बड़ी भोकी ही लेगा, क्योंकि ज्योंही उसे अधिक आय की नौबत आयेगी त्योंही वह इन्कम टैक्स के सेफटी बेलव की मार्फत निकल जायेगी। फिर गुनाह वे लज्जत क्यों? उदाहरण के लिये समझिये—आपने एक मोटर बनाने का कारखाना खोला और उसमें आपने ५० लाख की पूजी लगाकर दस लाख रुपया साल आय की। अब १० लाख में यदि प्रायः सवा पाच लाख आपको इन्कम टैक्स देना पड़े तो शायद आप अपनी इतनी बड़ी रकम फंसाने के पहले दो बार विचार करेंगे और शायद उस कारबार को ही न करें। यदि भूल भटक से आंपने उसको कर भी लिया तो दो एक वर्प के बाद ही आपको उसे बन्द कर देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम देश में कोई बड़ा उद्योग-धनधा ही खड़ा नहीं कर सकते हैं और उसके लिये हमें विदेशियों का मुंह ही ताकना पड़ेगा तथा अपनी पसीने की कमाई के पैसे विदेशियों को दे देने पड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि अमीरों से टैक्स लेना तो दूर रहा, हम उलटे गरीबों का पैसा ऐसी जगह भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं जहां से उन्हें कुछ बापस मिलने की उम्मेद नहीं। फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम उद्योग व्यवसाय में विदेशियों से बहुत पिछड़े हुए हैं। उचित तो यह है कि सरकार हमें प्रधान-प्रधान व्यवसायों के लिये इन्कम टैक्स कम कर या माफ कर और आर्थिक सहायता दे जिससे विदेशियों से मुकाबला किया जा सके। किन्तु यहां तो बिलकुल ही उल्टी बात है। सहायता तो दर किनारे, इन्कम टैक्स कानून ही ऐसा बनाया गया है जिससे हम कोई बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते और उस कानून से, जिसके बनाने में एक विदेशी शासन का हाथ हो, इससे अधिक की हम आशा ही च्या कर सकते हैं?

ऐसी अवस्था में जो कानून हमारे लिये बनाया गया है वह एक

नायाव तोहफा है जिससे दो तीन वर्षों के बाद ही गवर्नर्मेंट अपनी आमदनी में कम से कम दस करोड़ रुपया सालाना अधिक हो जाने की आशा करती है। चाहे करदाताओं की आमदनी बढ़े या घटे। इसी लोग के बश होकर गवर्नर्मेट ने उन सभी सिद्धान्तों को जो नैतिकता और आर्थिक दृष्टि से किसी भी कानून को बनाते समय ख्याल में रखे जाते हैं, एक प्रकार से तिलाज्जलि ही दे दी है। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि तीन वर्ष के बाद लेन देन में तमादी कानून लागू हो जाता है और ऐसी हालत में तीन वर्ष से अधिक के बही खातों एवं कागज पत्रों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैतिकता का तकाजा था कि इन्कम टैक्स कानून में भी तमादी सम्बन्धी धाराएँ भारतीय तमादी कानून के मुताबिक ही बनायी जातीं जिससे कोई भी इन्कम टैक्स ऑफिसर यदि किसी का टैक्स छूट गया हो तो उससे तीन वर्ष से अधिक का टैक्स नहीं ले सकता। किन्तु ऐसा न कर इस नये कानून में जो व्यवस्था की गयी है उसके मुताबिक यदि किसी से टैक्स लेना छूट गया है या उससे कम टैक्स बसूल किया गया हो तो आठ वर्ष तक उससे पूरा टैक्स बसूल किया जा सकेगा। हां जो लोग ईमानदार हैं उनसे चार वर्ष से अधिक का टैक्स नहीं लिया जायगा। लेकिन यह विधान तो कहानी के बंध्या पुत्र के समाज है जिसका कभी उपयोग हो ही नहीं सकता।

इस कानून में ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें अन्य कानूनों के सिद्धान्तों के विरुद्ध नये और वेतरतीव सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यापारी का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विषय की कुछ-न-कुछ जानकारी अवश्य रखे क्योंकि इन्कम टैक्स कानून ही एक ऐसा कानून है जिसके साथ उसका चोली और दामन का सम्बन्ध है। किन्तु जिन हमारे व्यापारियों को अंगरेजी का ज्ञान नहीं है उनके

लिये इस विषय की जानकारी प्राप्त करना एक प्रकार से असम्भव ही था। ऐसी अवस्था में श्रीयुत् रामपुरियाजी ने हिन्दी में इस कानून को लिख कर हिन्दी भाषा एवं हिन्दी भाषा-भाषी व्यापारियों की जो सेवा की है वह अकथनीय है। आशा है हमारा व्यापारी समाज रामपुरियाजी के इस प्रयत्न से अधिक-से-अधिक लाभ उठावेगा।

इन्कम टैक्स वार एसोसियेशन
कलकत्ता,
२५-७-३६

वेणीशंकर शर्मा

(वी० एल०)

भूमिका

(१) इन्कम टैक्स का संक्षिप्त इतिहास

इन्कम टैक्स का अर्थ है वह कर जो आमदानी पर ली जाय। यह टैक्स डाइरेक्ट टैक्स है। बहुत-सी टैक्स ऐसी हैं जो किसी न किसी द्वारा दी जाती हैं परन्तु चीज़ की खपत करनेवाले को उसका आभास नहीं होता यद्यपि उसका बोका तो उस पर पड़ता ही है। उदाहरण स्वरूप दियासलाई पर जो ड्यूटी (Excise duty) ली जाती है वह अप्रत्यक्ष कर है। दियासलाई तैयार करनेवाले को वह देनी पड़ती है। दियासलाई खरीदने वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पड़ती यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से वह दियासलाई तैयार करनेवाले के द्वारा दाम बढ़ा कर उससे अदा कर ली जाती है। इन्कम टैक्स ऐसी टैक्स नहीं है, वह प्रत्यक्ष (Direct) रूप से अदा की जाती है अर्थात् ऐसेसी को अपनी आमदानी पर उसे देना पड़ता है—इसका बोका उसी पर है—वह दूसरे से यह टैक्स अदा नहीं कर सकता। भारत में वृटिश शासन के पहले ऐसी टैक्सें थीं परन्तु प्रायः वे सब वृटिश शासन के शुरू होने के बाद उठा दी गईं। सिपाही गदर में जो खर्च हुआ उसको पूरा करने के लिए फिर ऐसी टैक्सों को कायम करना जरूरी हो पड़ा। सबसे पहले सन् १८६० ई० में एक न० ३२ सन् १८६० ई० के द्वारा भारत-वर्ष में इन्कम टैक्स लगाया गया। फिर सन् १८६१ ई० में एक २१, और सन् १८६२ ई० में एक २६ पास हुआ। इसके बाद प्रायः १० बर्षों तक इन्कम टैक्स लेना फिर उठा दिया। बाद में सन् १८७७ ई०

में इन्कम टैक्स फिर लगाया गया। सर्व प्रथम समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही इन्कम टैक्स कानून सन् १८८६ में बनाया गया था।

यह एक सन् १८१६ ई० तक जारी रहा। सन् १८१५ ई० की बड़ी लड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ी। रुपये आने का और कोई उपाय न था। इन्कम टैक्स कानून में रद्दोबदल करने की ओर दृष्टि दौड़ी जिससे कि वेसी टैक्स आ सके। सन् १८१७ ई० में इन्कम टैक्स कानून में सुधार किया गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००/- से अधिक हो उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद में फिर परिवर्तनों की आवश्यकता हुई और इन्कम टैक्स एक ७, सन् १८१८ ई० का पास हुआ। इसकी कमियों को दूर करने के लिए सन् १८२२ ई० का एक ११ पास किया गया।

इस एक में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। इसमें प्रायः २० बार परिवर्तन किए गये होंगे। सन् १८३७ ई० में जो परिवर्तन किया गया उसके अनुसार नावालिंग वच्चे या स्त्री को यदि वे उस फर्म में सामेदार हों जिसमें कि पति या पिता सामेदार है तो उनकी आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टैक्स लिया जाने लगा।

(२) सन् १८३६ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए सुधार

सन् १८३६ ई० के संशोधन एक द्वारा इन्कम टैक्स कानून में ढंडे गहरे परिवर्तन किए गए हैं। कहा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। ऐसेसी की भलाई के लिए तो वे बनाए ही नहीं गये हैं। सरकार की आमदनी में जैसे-तैसे वृद्धि करना ही, जो परिवर्तन या सुधार किए गये हैं, उनका खास लक्ष्य है। ऐसेसी पर कई प्रकार की कठिनाइयाँ डाल दी गई हैं। उसके सामने बहुत-सी

उलझन खड़ी कर दी गई है। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान बना दिए गये हैं। इन सब का पूरा खुलासा पुस्तक के भीतर है। यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए हम परिवर्तनों की सक्षेप में सूची मात्र दे देते हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये हैं:—

(१) टैक्स स्लैब सिस्टम के अनुसार लगाया जायगा। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

आगे टैक्स योग्य कुल आय पर एक ही दर से टैक्स लिया जाता था परन्तु अब कुल आय के टुकड़े कर प्रत्येक पर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए दर से टैक्स लगाई जायगी। उदाहरण स्वरूप पुराने एक के अनुसार कुल आय ₹० ५,०००) होती तो इन समूचे रूपयों पर ॥। के हिसाब से टैक्स लिया जाता था अगर आय ₹०,२००) होती तो —) आने के हिसाब से समूची आय पर टैक्स लिया जाता था परन्तु अब आय के टुकड़े किए जायंगे और टैक्स प्रत्येक टुकड़े पर अलग-अलग कसी जायगी। उदाहरण स्वरूप ₹० १०,०००) की आय पर टैक्स इस प्रकार होगी:—

आय	दर प्रति रुपया	टैक्स
₹१,५००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
₹३,५००)	६ पाई	१६४-)
₹५,०००)	१ आ० ३ पा०	३६०॥=)
₹१०,०००)		५५४॥=)

आगे ₹२,०००) या उससे ऊपर आमदनी होने पर टैक्स लगती थी अब ₹२,०००) से ऊपर आय होने पर ही टैक्स लगेगी।

आगे जितनी टैक्स होती थी उसमे उसका बारहवाँ हिस्सा सरचार्ज के रूप में और जोड़ दिया जाता था, अब सरचार्ज नहीं लगेगा।

टैक्स किसी भी हालत में उस रकम के आधे से अधिक नहीं होगी जो कि कुल आय में से ₹२,०००) वाद देने पर रहेगी। उदाहरण

स्वरूप नई पद्धति के अनुसार २,०२४) पर टैक्स के २४।।—) होंगे परन्तु चूंकि टैक्स, आमदनी के जितने रूपये २,०००) से अधिक होंगे उनके, आधे से अधिक नहीं हो सकती इसलिए टैक्स १२) ही ली जायगी । यहाँ पर कुल आय २,०२४) रूपये हैं अर्थात् आय २,०००) से २४) रूपया अधिक है अतः टैक्स १२) ही ली जायगी ।

टैक्स में इस नई पद्धति के अनुसार जो फर्क पड़ेगा वह नीचे लिखे हुए आंकड़ों से मालूम की जा सकती :

आय	पुराने रेट से टैक्स	नई पद्धति से टैक्स
२,०००)	१)	—
२,१५०)	७३)	३०)
२,५००)	८५)	४७)
२,७००)	६१)	५६)
३,०००)	१०२)	७०)
३,२५०)	११०)	८२)
३,५००)	१२७)	१०६)
८,०००)	४२६)	३६८)
८,०००)	४५७)	४७७)
१०,०००)	५०६)	५५६)
१०,६००)	७१८)	६३०)
२५,०००)	२,६८०)	२,७४२)

उपरोक्त चार्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शर्स की आय ८,०००) तक होगी उसको हमेशा पहले से कम टैक्स देना होगा । ८,०००) से २५,०००) तक के बीच की आय पर कहीं कम और कहीं बेसी टैक्स लगेगा । उदाहरण स्वरूप ८०००) पर अधिक और १०,६००) पर कम टैक्स लगेगा । २,५०००) रूपये से ऊपर आय पर हमेशा अधिक टैक्स लगेगा ।

(२) पहले ब्रिटिश भारत में जो आमदनी होती उस पर

तथा वृटिश भारत के बाहर हुआ जो नफा वृटिश भारत में लाया जाता उस पर ही टैक्स लगाया जाता था परन्तु अब रेजिडेण्ट की विदेशी आमदनी पर भी टैक्स लगाया जायगा चाहे आमदनी भारतवर्ष में लायी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में यथास्थान दे दिया गया है। देखिए पृ०—१२-१७

(३) प्रत्येक शख्स को रिटर्न भरना होगा। पहले ऐसा था कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की तरफ से रिटर्न न भेजने पर ऐसेसी चूपचाप बैठ सकता था। रिटर्न भरने की उसकी जिम्मेवारी उसी हालत में थी जब कि वह उसके पास भैजी जाती। परन्तु अब वैसा नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर होगी तो आपको इन्कम टैक्स ऑफिसर से रिटर्न लाकर उसे भर कर पेश करना होगा। इन्कम टैक्स ऑफिसर पर यह जिम्मेवारी नहीं रही कि वह आपको रिटर्न भेजे। वह केवल समाचार-पत्रों या अन्य सूचनाओं द्वारा किस तारीख तक रिटर्न भरना होगा इसकी सूचना दे देगा। इसके बाद यदि आप समय पर रिटर्न पेश नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माने की नौवत आयगी। आप पर दण्ड हो सकेगा। दण्ड भी मामूली नहीं ऊपर मे टैक्स की रकम से १। गुणा तक किया जा सकेगा। इसके विस्तार के लिए देखिए: पृ०—६४ तथा ८१-८२

(४) विसाई मूल कीमत पर नहीं परन्तु पहले बाद दी हुई विसाई की रकमों को घटा देने के बाद मूल कीमत की जो रकम बचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्बन्ध में विशेष खुलासा के लिए देखिए पृ० ३४-३६

(५) डिविडेण्ड की परिमाप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। शेयर होल्डरों को सुपर टैक्स की लाग से बचाने का सबसे सुगम तरीका यह प्रचलित है कि नफे को, उनमें बोनस शेयर, बोनस डिवेंचर आदि के रूप में बांट देना। पुराने कानून के अनुसार पूँजी के रूप में नफे को इस प्रकार पाने से उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार

प्राप्त हुआ नफा पूँजी की प्राप्ति (Capital receipt) समझी जाती थी, जिस पर टैक्स न था परन्तु डिविडेन्ड की परिभाषा में परिवर्तन कर टैक्स बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया है।

डिविडेन्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमें इस प्रकार पूँजीभूत किया हुआ जो नफा बांटा जाता है वह भी आ जाता है। यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर में बाटे तो वह शेयर होल्डर का नफा समझा जायगा—उस पर टैक्स लगेगी। कम्पनी के एकत्रित नके में से जो डिवेचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे में धरे जायंगे। यदि कम्पनी लिक्वीडेशन में जाय और लिक्वीडेशन की तारीख के पूर्व के छः गत वर्ष में जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको बाटे तो बांटी हुई रकम शेयर होल्डर की आमदनी मानी जायगी। यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती लौटायेगी तो कम्पनी के पास ताठ १ अप्रैल ३३ के ठीक पहले रेष हुए गत वर्ष तक जितना रुपया जमा रहा होगा (accumulated profits) उतने रुपयों तक इस प्रकार बाटा गया रुपया डिविडेन्ड समझा जायगा। अर्थात् उस पर भी टैक्स लिया जायगा।

नई परिभाषा के अनुसार डिविडेंड बृटिश भारत के बाहर दिया जायगा तो वह भी बृटिश भारत में हुआ नफा माना जायगा और उसके सम्बन्ध में टैक्स देनी होगी।

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध में टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स देने की जिम्मेवारी कम्पनों की थी परन्तु अब डिविडेन्ड पर शेयर होल्डर को टैक्स देनी होगी। डिविडेन्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी वह टैक्स से बरी नहीं रहेगी।

(६) पहले इन्कम टैक्स ऑफिसर यदि इकतरफी कार्रवाही कर देता तो उसके बिस्त्र में अपील नहीं हो सकती थी, केवल धारा २७ के अनुसार हुक्म को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परन्तु अब

इसकी साधारण ढग से अपील की जा सकती है। इसके लिए देखिए—पृष्ठ ८०-८१

(७) कई प्रकार के जुर्माने बढ़ा दिये गये हैं। रिटर्न न भरने पर जितनी टैक्स लगाई जायगी उससे १। गुणा जुर्माना तक किया जा सकेगा। इसी तरह गलत रिटर्न भरने, गलत विवरण देने आदि के सम्बन्ध में कड़े जुर्माने रख दिये हैं।

(८) पहले यदि किसी वर्ष में किसी पर टैक्स करना छूट जाता था तो एक गत वर्ष (previous year) की टैक्स ली जा सकती थी परन्तु अब गत ४ वर्ष या ८ वर्ष तक के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह निश्चय हो जाय कि आपने अपनी आमदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध में आपने जानवूझ कर गलत बातें कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हालत में वह पिछले ८ वर्षों तक के आपके वही-खाते फिर मगा सकता है और आप पर उन वर्षों के सम्बन्ध में टैक्स लगा सकता है। यदि अन्य किसी कारण से टैक्स छुटा हो तो आपसे गत चार वर्षों की आमदनी के सम्बन्ध में ही टैक्स ली जा सकेगी। विस्तार के लिए देखिये—पृष्ठ ६२-६४

(९) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स से बचने के लिये जो कानूनी रास्ते निकाल लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप :—

इन्कम टैक्स को बचाने के लिए एक तरीका यह काम में लाया जाता है कि एसेट ब्रूटिश भारत के बाहर रहने वाले किसी शरख्स या कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस एसेट का जो भी नफा होता है वह इस ट्रान्फसर (हस्तान्तर) के द्वारा ब्रूटिश भारत के बाहर किसी शरख्स को मिलने लगता है। जिस शरख्स को नफा मिलता है वह ब्रूटिश भारत का निवासी न होने से या ब्रूटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर ब्रूटिश भारत में रहनेवाला न होने

से इस आय पर उससे टैक्स नहीं ली जा सकती। परन्तु वास्तव में भीतरी व्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्रान्सफर करनेवाले का ही होता है और वही उसको उपभोग में लाता है। नए संशोधन के अनुसार यह नफा अब हस्तान्तर करने वाले शख्स का माना जायगा और उस पर टैक्स लगाई जायगी। परन्तु यदि हस्तान्तर करने वाला शख्स यह प्रमाण दे देगा कि हस्तान्तर का कोई उद्देश्य टैक्स बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवल उचित कारबारी लेवाबेची थी तो उस हालत में ट्रान्सफर करनेवाले से नफे पर टैक्स नहीं ली जायगी।

टैक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्योरिटी, स्टॉक शेयर को उन पर व्याज या डिविडेन्ड मिलने के पहले उन्हे किसी दूसरे शख्स को बेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ बन्दोबस्त कर डिविडेन्ड या व्याज निकलने के बाद उसे वापिस खरीद लेना। इस प्रकार की कार्यवाही से व्याज या डिविडेन्ड किसी दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था हो जाती थी और इससे टैक्स कम लगता था या नहीं लगता था। जिसके नाम पर वे बेचे जाते थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह काटी हुई इन्कम टैक्स पूरी या कम वापिस (refund) मांग सकता था। इस प्रकार सरकार को लाखों रुपयों का रिफण्ड देना पड़ता था। सिंक्योरिटी आदि विक्री करनेवालों को डिविडेन्ड या व्याज की रकम कीमत के बतौर मिल जाती जिससे उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था क्योंकि यह एक प्रकार की मूल धन की प्राप्ति थी। डिविडेन्ड का व्याज निकलने के बाद सिक्योरिटियों का दाम सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हें बेच कर नुकशान दिखा सकता था।

यदि सिक्योरिटी आदि की लेवा बेची ही, खरीद करनेवाले का कारबार हो तो वह नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकार

सरकार पर दुतरफी मार थी। एक ओर टैक्स न देना और दूसरी तरफ नुकशान बाद पा लेना। इस तरीके से इन्कम टैक्स की बहुत बड़ी बचत कर ली जाती थी। परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब व्याज या डिविडेंड ट्रान्सफर करनेवाले की आय समझी जायगी और वही कर के लिए दायक होगा।

(१०) हुक्मों की प्रत्यक्ष भूलें अब ४ या ८ वर्षों तक सुधारी जा सकेंगी।

(११) रिफण्ड चार वर्षों तक मिल सकेगा।

(१२) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ, प्रतिनिधि ही उसकी ओर से इन्कम टैक्स ऑफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा।

(१३) कर्मचारी या उसके बाल बच्चे और औरतों की सहायता के लिये जो सुपर-एनुएशन फण्ड स्थापित किया जाता है उसके सम्बन्ध में खास विधान किये गये हैं।

(१४) अपील के लिये एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

(१५) नुकसान ६ वर्ष तक बाद मिल सकेगा। इसके लिये देखिये पृष्ठ ६६ से ७२ तक।

(१६) रजिस्टरी किये हुए फर्म और बिना रजिस्टरी किये हुए फर्म में महत्व का परिवर्तन कर दिया गया है। देखिये पृष्ठ ७८ से ८०।

(३) गुनाह और दण्ड

यदि कोई शरूस बिना वाजिब कारण के (without reasonnable cause or excuse) निम्न लिखित विषयों में अपराध करेगा:—

(क) जिस आमदनी पर टैक्स उद्गम स्थान (at source) में काट लेने का कानून है अथवा उद्गम स्थान में काट लेने की आज्ञा कर दी गई हो उस आमदनी को देते समय उसमें से टैक्स नहीं काटेगा;

(ख) आमदनी में से उद्गम स्थान पर टैक्स काटने पर जो इस आशय की सार्टार्फिकेट देनी होती है कि टैक्स काट लिया गया है और वह जमा दे दिया जायगा यदि वैसी सार्टार्फिकेट नहीं देगा ।

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और कितना दिया यदि धारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नहीं देगा, निश्चित रकम के उपरान्त किसको और कितना ब्याज दिया यदि धारा २०-ए के अनुसार उसकी तालिका नहीं देगा या वेतन किसको और कितना दिया गया और उसमें से धारा २१ के अनुसार कितना टैक्स या सुपर टैक्स काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या धारा २२ के अनुसार आमदनी की तालिका नहीं देगा या धारा ३८ के अनुसार यह नहीं बतलाया कि फर्म के कितने और कौन कौन सामेदार हैं, संयुक्त परिवार का कर्ता कौन है, युवक सदस्य कितने हैं या वह किस-किस शब्द का ट्रस्टी, गार्जियन आदि है,

(घ) धारा २२ (४) के द्वारा मंगाए गये वही-खाते ठीक समय में उपस्थित नहीं करेगा ,

(इ) या किसी कम्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी नकल नहीं लेने देगा ,

तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जायगा और मजिस्ट्रेट यदि उसे दोषी ठहरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक जुर्माना लगाया जायगा । यह जुर्माना जब तक दोष होता रहेगा तब तक लगाया जाता रहेगा ।

यदि कोई शब्द भूठी तस्वीक (Verification) करेगा और उसे मालूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्वीक मिथ्या है या उसको विश्वास नहीं होगा कि वह सत्य है तो उस पर फौजदारी मामला चलाया जा सकेगा और यदि मजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा तो उसे कः महीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा । उस पर

१,०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जेल और जुर्माना एक साथ किया जा सकेगा।

उपरोक्त गुनाहों के लिये इन्सपेक्टर एसिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्म विना कोई कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

इन्सपेक्टर एसिस्टेण्ट कमिश्नर कार्रवाही करने के पहले या बाद में उपरोक्त गुनाहों के सम्बन्ध में मेट्रमाट (Compound) कर सकता है।

(४) इन्स्योरेन्स कम्पनियों पर टैक्स

सशोधन के पहले इन्स्योरेन्स कम्पनी पर जो टैक्स लगाई जाती थी वह एसेट (Assets) और लायब्लिटीज (Liabilities) की वार्षिक कूट में जो अन्तर होता था उस रकम पर लगायी जाती थी। बोनस के रूप में पोलिसी होल्डरों को जो रकम वितरण की जाती थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परन्तु इस कानून में परिवर्तन कर इन्स्योरेन्स कम्पनियों के लिये अब वहुत फायदे का कानून कर दिया है। अब इन्स्योरेन्स कम्पनी की आमदानी की कूट दो तरह से की जा सकती है :—

(१) या तो इनवेस्टमेंट की आय में से खर्चों को बाद देकर जो रकम रहे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, या

(२) पुराने कानून के अनुसार जो सरप्लस (surplus) हो उसमें से पोलिसी होल्डरों को जो बोनस दिया जाय उसका एक निश्चित अंश बाद देकर जो रकम बचे उस पर टैक्स लगाया जा सकता है।

वास्तव में तो जो बोनस पोलिसी होल्डरों को दिया जाता था वह एक तरह से इन्स्योरेन्स का प्रीमियम था जो कि उनसे बेसी ले लिया गया था। इस तरह जो सम्पूर्ण रूप से आय नहीं थी उसको आय मान कर टैक्स लिया जाता था। परन्तु यह एक प्रकार का अन्याय था। अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अब

जो टैक्स ली जायगी वह या तो एकच्चुरियल सरप्लस (Actuarial Surplus) के आधार पर या आमदनी में से खर्च बाद देकर जो आय बचेगी उसके आधार पर। जिस तरीके से अधिक आमदनी निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूंत की जायगी।

(५) स्लैब सिस्टम के अनुसार रेट :—

भाग १

इन्कम टैक्स के रेट :—

ए—किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिस्ट्री किये फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टैक्स निश्चिलिखित दर से लगाया जायगा :

		रेट प्रति रुपया
१—	कुल आय के पहले	१,५००)
२—	” वाद के	३,५००)
३—	” वाद के	५,०००)
४—	” वाद के	५,०००)
५—	” वाद बचे सब रुपयों पर	=॥

परन्तु यदि कुल आमदनी २,०००) से ऊपर नहीं होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगी।

किसी भी हालत में टैक्स उन रुपये के आधं से अधिक नहीं लगेगी जितने रुपयों से कुल आमदनी २,०००) से अधिक है।

वी—प्रत्येक कम्पनी, लोकल अथारिटी के सम्बन्ध में तथा उस हालत में जब कि इन्कम टैक्स एक, १६२२ के विधान के अनुसार टैक्स ऊँचे से ऊँचे दर से लगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेंगे :—

समूची 'कुल आमदनी' पर =॥। प्रति रुपया

भाग २

सुपर टैक्स के दर

ए—प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असंयुक्त परिवार, अन् रजिष्टर्ड फर्म तथा शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध में यदि उनके प्रति इस भाग का पैरा 'धी' लागू नहीं हो तो सुपर टैक्स का रेट इस प्रकार होगा :—

रेट प्रति रुपया

१—	पहले	रु० २५,०००)	बुल्ले नहीं
२—	बाद के	रु० १०,०००)	—)
३—	बाद के	रु० २०,०००)	=)
४—	बाद के	रु० ७०,०००)	=)
५—	बाद के	रु० ७५,०००))
६—	बाद के	रु० १,५०,०००)	(—)
७—	बाद के	रु० १,५०,०००)	(=)
८—	बाद की कुल आय		(=)

वी—दोके कम्पनी और लोकल अथॉरिटी के सम्बन्ध में
समूची कुल आय पर —) प्रति रुपया

६५०३, पांच रुपये :

कलकत्ता }
२५ जुलाई १९३९ }

श्रीचन्द्र रामधुरिया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
आरम्भ	
(१) सक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत	१
(२) परिभाषायें	२
अध्याय—१	
(१) इन्कम टैक्स की लाग	६
(२) एसेसियों (करदाताओं) की चार श्रेणियाँ	८
(३) उपरोक्त श्रेणी भेद के अनुसार कर का दायित्व	१२
(४) अपवाद—आयें जिन पर टैक्स नहीं लगतीं	१८
अध्याय—२	
(१) इन्कम टैक्स अधिकारी	२०
(२) अपीलेट ट्रिब्यूनल	२१
अध्याय—३	
(१) आय के शीर्षक	२२
(२) वेतन	२२
(३) जमानतों का व्याज	२६
(४) जायदाद की आय	२८
(५) कारबाह, पेशे या रोजगार का मुताफ़ा या लाभ	३२
(६) अन्य जरियों से आय	४०

(ख)

विषय

- (७) मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन
- (८) हिसाब रखने की पद्धति
- (९) आम छूटें
- (१०) जीवन-वीमा के सम्बन्ध में छूट
- (११) कुल आय की कूट करने में जो आये वाद दे दी जाती या अलग रखती जाती हैं।
- (१२) कई खास परिस्थितियों में टैक्स की कूट

अध्याय—४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण—

- (१) कर अदाई के तरीके
- (२) इन्कम टैक्स की अदाई का अन्य तरीका
- (३) डिविडेंड के सम्बन्ध में सूचना देने का नियम
- (४) शेयरहोल्डरों को टैक्स काट लेने की सारिफिकेट
- (५) व्याज सम्बन्धी सूचना
- (६) वार्षिक रिटर्न
- (७) आमदनी की रिटर्न
- (८) आमदनी की कूट और टैक्स
- (९) घाटे का वाद पाना
- (१०) मृत व्यक्ति के टैक्स के लिये प्रतिनिधि का दायित्व
- (११) वद किये गये कारबाह पर कर-निरूपण
- (१२) हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर-निरूपण
- (१३) फर्म के सगठन में परिवर्तन
- (१४) रजिष्टर्ड और अन-रजिष्टर्ड फर्म
- (१५) इकतरफी कार्यवाही को रद्द कराने का तरीका

(१६) आमदनी छिपाने या नफे का वैटवारा अनुचित ढङ्ग से करने से दण्ड	८१
(१७) हिमाण्ड नोटिस	८३
(१८) अपील	८३
(१९) अपील की सुनवाई	८५
(२०) असिस्टेण्ट कमिश्वर के हुक्मों के विरुद्ध अपील	८७
(२१) रिविजन	८७
(२२) हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स	८८
(२३) प्रिवी कौन्सिल में अपील	९१
(२४) दिवानी कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं होती	९२
(२५) मियाद की कूत	९२-
(२६) छुट्टी हुई आमदनी पर कर-निरूपण	९२
(२७) भूल सुधार	९४
(२८) हलफिया गवाही लेने का अधिकार	९६
(२९) खबर प्राप्त करने का अधिकार	९७
(३०) कम्पनी के रजिष्टर निरीक्षण का अधिकार	९७

अध्याय — ५

खास अवस्थाओं में कर के लिये दायित्व—

१ (१) गार्जिन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व	९८
(२) कोर्ट आफ वार्ड्स् आदि का दायित्व	९९
(३) भारत में निवास नहीं करनेवाले	१००
(४) नन-रेजिडेण्ट का एजेण्ट कौन ?	१०२
(५) वद हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्बन्ध में दायित्व	१०४

(घ)

विषय

अध्याय—५ ए

जहाजों से कारबार करनेवालों के सम्बन्ध में खास विधान—

- (१) ऐसे कारबार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व
- (२) लाभालाभ की रिटर्न
- (३) एडजस्टमेंट

अध्याय—५ बी

इच्छक टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिये खास विधान—

- (१) आयके हस्तान्तर द्वारा टैक्स बचाना
- (२) सिक्योरिटियों की लेवा वेची द्वारा टैक्स बचाना
- (३) स-डिविडेण्ड सिक्योरिटियों की खरीद विक्री के द्वारा टैक्स बचाना

अध्याय—६

टैक्स और दण्ड की वसूली—

- (१) टैक्स कब देना होगा ?
- (२) कर अदाई की विधि और समय
- (३) दण्ड की अदाई

अध्याय—७

रिफण्ड—

- (१) रिफण्ड किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का हकदार होगा
- (२) रिफण्ड को दरखास्त किस तरह की जाती है

विषय	पृष्ठ
(३) रिफण्ड की रकम वाकी टैक्स में भरी जा सकती है	१२०
(४) मृतक आदि शर्ल्य की तरफ से रिफण्ड पाने का हक किसको	१२१

अध्याय—८

सुपर टैक्स—

(१) सुपर टैक्स की कूंत	१२३
(२) सुपर टैक्स के लिये कुल आमदनी	१२३
(३) सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एकट का लागू होना	१२४

अध्याय—९

कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान—

(१) परिभाषाएँ	१२५
(२) मंजूरी की शर्तें	१२६
(३) मंजूरी और मंजूरी को हटाना	१२७
(४) मंजूरी के लिये दरखास्त	१२८
(५) इन्कम टैक्स से छूट	१२८
(६) फिरती दिये हुए चन्दों के सम्बन्ध में नियम	१२९
(७) काटे गये चन्दे आदि को रिटर्न में दिखाना	१३०
(८) फण्ड की मंजूरी न रहने पर ट्रस्टियों का दायित्व	१३०
(९) फण्ड के सम्बन्ध में विवरण	१३०

अध्याय—१०

फुटकर—

(१) एसेसी को ओर से प्रतिनिधि	१३२
(२) टैक्स कहाँ लगाई जायगी	१३२

इन्कम-टैक्स कानून

आरम्भ

संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत

१—(१) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून का नाम—“दी डिडियन इन्कम टैक्स एक्ट, सन १९२२”—है। यह एक इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स विषयक कानून को संग्रह और सशोधन करने के लिये बनाया गया था।

(२) यह एक निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू है :

(क) सम्पूर्ण वृद्धिश भारत में,

(ख) वृद्धिश वेलूचिस्तान और सथाल परगानों में,

(ग) देशी राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों (tribal areas) में, उन वृद्धिश प्रजाओं के प्रति जो कि भारत-सम्बाट की नौकरी में हैं,

(घ) देशी रियासतों और ठाकुरों के क्षेत्रों में उन वृद्धिश प्रजाओं के प्रति जो कि ऐसे ‘स्थानीय-अधिकारी’ (Local authority) की नौकरी में हो जो भारत-सम्बाट के प्रतिनिधि या केन्द्रिय सरकार को प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से स्थापित की गई हो, तथा

१—स्थानीय अधिकारी—इस शब्द में कोई म्युनिस्पल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट कमीशनर की सत्था, या अन्य अधिकारी का समवेश होता है जिसको कि कानून हक्क है या सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया कि वह किसी स्थानीय फ़न्ड की देख-रेख या सचालन करे।

(ड) उपरोक्त राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों में भारत-सम्राट् के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति ।

(३) यह एक पहली अप्रैल सन् १९२२ से प्रचलित है ।

—धारा : १

परिभाषाएँ

२—चिष्य या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो इस एक में—

(१) “कृषि की आय” ^१ (agricultural income) का अर्थ निम्नलिखित होगा—

(ए) कोई लगान (Rent) या मालगुजारी (Revenue) जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो कृषि के प्रयोजन के लिये व्यवहार की जाती हो, और जिस पर या तो वृद्धिश भारत में मालगुजारी लगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल (Local rate) देना पड़ता हो जो कि सम्राट् के कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी की हैसियत से लगाया जाता और अदा किया जाता हो,

(बी) कोई आय जो ऐसी जमीन से—

(क) कृषि द्वारा प्राप्त हो, या

(ख) कृषक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले (Receiver of rent-in-kind) कोई शर्खस द्वारा ऐसे कार्य किए

१—कृषि की आय: उदाहरण स्वरूप चरागाहों के सम्बन्ध में चरागाहे से जो कोस ली जाती है वह कृषि की आय है, इसी तरह जगल की आय, कृषि की आय है। पानों के बगीचे की लीज कृषि के लिए लीज होगी। चाय को लगाना, पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु पत्तियों को सुखाना और उन्हें स्टाक कर और विक्री योग्य बनाना कृषि का कार्य नहीं है।

जाने से प्राप्त हुई हो जो कार्य कि उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई उपज को विक्री करने योग्य बनाने के लिए साधारण तौर पर किया जाता हो, या

(ग) कृपक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले शख्स द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बंचे जाने से हुई हो जिसके सम्बन्ध में नव छाज वी (ख) के अनुमार किए गये कार्य (process) के सिवा अन्य कोई कार्य तहीं किया गया हो ।

(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जो इमारत ऐसी जमीन की लगान या खजाना पानेवाले शख्स की सम्पत्ति हो और उसके कब्जे में हो, या

कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जिस इमारत पर किसी ऐसी जमीन के कृपक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का कब्जा हो जिस जमीन के विषय में या जिस जमीन की उपज के विषय में छाज (वी) के उप छाज (ख) और (ग) में वर्ताया हुआ काम किया जाता हो ।

परन्तु शर्त यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के विलुप्त समीप होनी चाहिये तथा इमारत ऐसी होनी चाहिये जिसकी आवश्यकता, लगान या खजाना पानेवाले को या कृपक को या जिनसी लगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सम्बन्ध रखने के कारण निवास स्थान के लिये, या गोदाम, या अन्य इमारतें बनाने के लिए हो ।

—धारा : २ (१)

(२) “ऐसेसी” का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा इन्कम टैक्स दी जाने की हो ।

—धारा : २ (२)

(३) “कारवारे” में व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीजें तैयार करने का काम या ऐसे ही ढंग का कोई सांहसिक प्रयत्न या कामकाज-सामिल है ।

—धारा : २ (४)

(४) “डिविडेंड” में —

(ए) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित नफे का वितरण—चाहे एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं—यदि इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद (Assets) का कोई अंश या समूची जायदाद अपने शेयर-होल्डरों को छोड़ देनी पड़ती हो ।

(बी) किसी करपनी द्वारा, उसके एकत्रित नफे की हड़ तक, —चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं — डिवेंचर या डिवेंचर स्टॉक का वितरण

(सी) कम्पनी के काम को सलटाते बक्त कम्पनी के एकत्रित नफे में से कम्पनी के शेयर होल्डरों में किया हुआ कोई वितरण

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्पनी के काम सलटाने की तारीख के पहले के छः गत वर्षों में उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा ही इस प्रकार बांटा गया होगा तो इस तरह सामिल किया जायगा ।

(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूँजी को कम कर उस हड़ तक किया हुआ वितरण जिस हड़ तक कि ता० १ अप्रैल १९३३ के पहले शेष हुए ‘गत वर्ष’ की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा कम्पनी के पास हो, चाहे यह नफा पूँजी के रूप में परिवर्तित किया गया हो या नहीं ।

परन्तु डिविडेंड में ऐसा वितरण सम्मिलित नहीं होगा जो कि किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध में किया गया हो जो कि पूरे नगदी बदले में निकाला गया हो और लिक्विडेशन की अवस्था में उदरी हुई जायदाद (Asset) में जो कोई हिस्सा न बटाता हो जब कि ऐसा वितरण उपधारा (सी) और (डी) के अनुसार किया जाता हो ।

खुलासा : “एकत्रित नफा” शब्द में, जहाँ ही वह इस हुआज में

व्यवहरित हुआ है, 'पूँजी-नफा' (capital profit) सम्मिलित नहीं है। —धारा : २ (६-ए)

(५) "गत वर्ष" का अर्थ है—

(ए) वे वारह महीने जो कि 'एसेसमेट वर्ष' के ठीक पहले की ३१ तारीख को समाप्त होते हों, या

एसेसी के चाहने पर वह वर्ष जो कि उपरोक्त वारह महीनों के अन्दर तारीख मार्च के मिवा किसी अन्य तारीख को शेष होता हो और जिसके अनुसार एसेसी का हिसाब रखवा जाता हो।

१—'एसेसमेट वर्ष' लग्न ने शुरू होकर मार्च में शेष होता है। जो वर्ष तारीख अप्रैल १९३९ से आगम्य होकर तारीख ३१ मार्च १९४० में शेष हो, वह एसेसमेट वर्ष १९३९-४० कहलायगा। एसेसमेट वर्ष १९३९-४० के लिए जो वारह महीने तारीख ३१ मार्च, ३१ फ़ूल शेष होते हैं वे अर्थात् १ अप्रैल, ३८ से तारीख ३१ मार्च, ३१ तक का समय गत वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार एसेसमेट वर्ष १९३८-३९ के लिए गत वर्ष वे वारह महीने होंगे जो ३१ मार्च ३८ को शेष हो।
२—उदाहरण स्वरूप एसेसमेट वर्ष १९३९-४० से निम्न लिखित वर्ष गत वर्ष होंगे।—

(१) चेत दुश्मी १, १९९५ से चैत दुश्मी ८, १९९६ तक का वर्ष अर्थात् रामनवमी वर्ष १९९५। यह वर्ष तारीख २८ मार्च १९३९ को अर्थात् १ अप्रैल १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है।

(२) कातो दुश्मी १, १९९४ से कातो दद्दी १५, १९९५, तक का वर्ष अर्थात् दिवाली वर्ष १९९४-९५। यह वर्ष तारीख २३ अक्टूबर १९३८ को शेष हुआ है अर्थात् १ अप्रैल १९३८ से ३१ मार्च १९३९ के अन्दर शेष हुआ है।

(३) जनवरी, ३८ से डिसेम्बर, ३८ तक का वर्ष अर्थात् कलेण्डर वर्ष, १९३८

(४) १, बैंगाली, १३४५ से ३१ चैत, १३४५ अर्थात् बैंगाली वर्ष, १३४५। यह वर्ष तारीख १४ अप्रैल, ३९ को शेष हुआ है।

(५) इसी प्रकार रथयात्रा, अक्षय तृतीया, फसली, दसंहरा, सवत् आदि वर्ष गत वर्ष हो सकते हैं।

आमदनी, मुनाफे और लाभ के भिन्न-भिन्न साधनों के विषय में अलग-अलग गत वर्ष हो सकते हैं।

यदि किसी एसेसी पर एक साधन के विषय में एक बार कर लगा दी गई हो तो उस साधन के सम्बन्ध वह अपनी इच्छा को काम में लाकर 'गत वर्ष' के उस समय लागू पड़ते अर्थ को नहीं बदल सकता। केवल इन्कम टैक्स आफिसर की स्वीकृति से और उसके द्वारा उचित समझ कर लगाई गई शर्तों पर ही यह रद्दबदल की जा सकती है।

(वी) किसी शख्स, कारबार या कम्पनी, या किसी प्रकार के शख्स, कारबारों या कम्पनियों के लिए सैन्दूल बोर्ड आफ ऐविन्यू या उसके द्वारा अधिकार-प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा तय किया हुआ काल।

(सी) एसेसमेट वर्ष के पूर्व के आर्थिक वर्ष में यदि कोई कारबार, पेशा या रोजगार नया शुरू किया गया होगा तो शुरू करने की तारीख से ३१ ता० मार्च तक का काल या सब क्वाज (बी) के अनुसार यदि कोई साल निश्चित किया गया होगा तो उसके अन्तिम दिन तक का काल, या यदि एसेसी का हिसाब ३१, मार्च के सिवा किसी अन्य तारीख तक बनाया गया होगा और यदि उसके विषय में सब क्वाज (बी) के अनुसार कोई काल निर्धारित नहीं किया गया होगा तो, एसेसी की इच्छा से कारबार आदि शुरू करने की तारीख से उस दूसरी तारीख तक का, जिस तारीख तक का हिसाब बनाया गया होगा, काल।

परन्तु यदि यह दूसरी तारीख कारबार आदि शुरू करने की तारीख और ठीक उसके बाद को ता० ३१ मार्च के अन्दर नहीं गिरेगी तो यही माना जायगा कि कोई गत वर्ष नहीं है।

यदि एसेसी किसी फर्म मे सामेदार होगा तो फर्म के आमदनी आदि मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध मे 'गत वर्ष' का अर्थ वह गत वर्ष होगा जो कि फर्म की आमदनी आदि पर टैक्स लगाने के लिए ठहराया गया होगा । —धारा २ (११)

(६) "आमदनी" (Income) शब्द मे निम्नलिखित गर्भित है :—पैरा २ (४) के अनुसार डिविडे ड की परिभाषा मे जो कुछ आता हो, और धारा, ७ की उपधारा (१) के खुलासा २ के अनुसार उस धारा के प्रयोजन के लिए जो नौकरी के बदले मे प्राप्त कोई लाभ हो

और धारा १० उपधारा (२) के छाज (७) के अनुसार कोई रकम जो कि मुनाफा मानी जाय और एक मुच्यूल इन्स्योरेन्स कम्पनी द्वारा किए जाते हुए इन्स्योरेन्स के कारबाह से मुनाफा जो एक के सीड्यूल मे दी हुई रुल ६ के अनुसार कहाँ तो गया हो

—धारा: २ (६-सी)

(७) "कुल आमदनी" का अर्थ है इस एक के अनुसार आगे पैरा ५ मे उक आमदनी मुनाफे और लाभ की कुल रकम

"दुनिया की कुल आमदनी"—मे सब आमदनी, मुनाफे और लाभ सामिल है चाहें वे कहीं उत्पन्न हों और संचित हो । केवल वह आमदनी वाद है जिसके प्रति की धारा ४ के विधान के अनुसार यह एक लागू नहीं है । (इसके लिए देखिये पैरा, ५)

—धारा २ (१५)

(८) 'रजिष्टर्ड फर्म'—उस फर्म को कहते हैं जो कि धारा २३ ए के विधानानुसार रजिष्टर्ड हुआ हो । —धारा २ (१४)

(९) अन् रजिष्टर्ड फर्म—जो फर्म रजिष्टर्ड नहीं है उसे अन् रजिष्टर्ड फर्म कहते हैं । —धारा २ (१६)

उच्चाधिकारी=१

१—इन्कम टैक्स की लाग

३—(१) इन्कम टैक्स 'गत वर्ष' की 'कुल आय' पर लगाई जाती है।

(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति, (२) हिन्दु अविभक्त परिवार, (३) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी (Local authority), (४) प्रत्येक फर्म (सामेदारी) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर तथा (६) फर्म के सामेदार और समुदाय के सदस्यों पर पृथक-पृथक रूप से, लागू पड़ती है।

(३) इन्कम टैक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेन्स एक में घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टैक्स उसी दर से ली जाती है।

(४) इन्कम टैक्स इस एक के नियम और वन्यजों के अनुसार लगाई जाती है।

—धारा० ३

२—एसेसियों की चार श्रेणियाँ

४—इन्कम टैक्स कानून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) की चार श्रेणियाँ की गई हैं—

- (१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले;
- (२) बृटिश भारत के निवासी,
- (३) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश भारत में नहीं रहने वाले,

(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश भारत में रहने वाले ।

इनका खुलासा इस प्रकार हैः—

(१) वृटिश भारत के निवासी

किसी साल के लिए वृटिश भारत का निवासी वह होगा.—

(क) जो उस साल में वृटिश भारत में कुल मिलाकर १८२ दिन या उससे अधिक रहा हो, या

(ख) जिसने उस साल में कम-से-कम सब मिलाकर छः महीनों के लिए वृटिश भारत में रहने का मकान रखा हो और कम-से-कम एक दिन के लिए भी वह उस साल में वृटिश भारत में आय हो, या

(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालों में वृटिश भारत में कुल मिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल कितने ही समय के लिए वृटिश भारत में रहे वशर्ते कि यह रहना आकस्मिक या अचानक सफर के रूप में न हो ।

उपरोक्त तीनों वातों में से किसी एक के भी लागू पड़ने पर व्यक्ति वृटिश भारत का निवासी माना जायगा । यह जल्दी नहीं है कि तीनों वातों एक साथ लागू हों ।

(२) वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले

उपरोक्त तीनों वातों में से एक भी वात जिसके प्रति लागू नहीं होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आयगा अर्थात् नॉन रेजिडेंट —वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाला समझा जायगा ।

(३) वृटिश भारत के निवासी और समान्य तौर पर

वृटिश भारत में रहने वाले

किसी वर्ष के लिए इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयगा जो.—

(१) उस वर्ष के पूर्व के दस वर्षों में से नौ वर्ष बृद्धिश भारत का निवासी रहा हो, तथा

(२) जो पिछले सात वर्षों में निरन्तर या कुल मिला कर दो वर्ष से अधिक बृद्धिश भारत में रहा हो ।

(४) बृद्धिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृद्धिश भारत में नहीं रहने वाले

बृद्धिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृद्धिश भारत में रहने वाले की श्रेणी में आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० सालों में से कम-से-कम ६ साल तक बृद्धिश भारत के निवासी होने के साथ-साथ पिछले ७ वर्षों में ७३० दिन बृद्धिश भारत में रहना होगा । इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा वह बृद्धिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृद्धिश भारत में नहीं रहने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आयगा ।

वहुत-से ऐसे भारतीय व्यापारी हैं जो विदेश में व्यापार करते हैं परन्तु उनके बृद्धिश भारत में रहने के मकान हैं और बीच-बीच में वे बृद्धिश भारत में आते रहते हैं । उनका बृद्धिश भारत के साथ जो सम्बन्ध है वह यहाँ पर पैत्रिक मकान होने से है और उनका बीच-बीच में आना होता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरों पर होता है । मकान होने और बीच-बीच में यहाँ आने से वे, बृद्धिश भारत के निवासी वाली श्रेणी में आ जाते हैं । परन्तु बृद्धिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृद्धिश भारत में रहने वाले वे तभी कहलायेंगे जब कि इसके साथ-साथ पिछले १० में ६ वर्ष वे बृद्धिश भारत के निवासी रहे हों और पिछले सात वर्षों में ७३० दिन बृद्धिश भारत में रहे हों । इन शर्तों के पूरा न होने पर कोई बृद्धिश

भारत का निवासी पर वृटिश भारत में सामान्यतया न रहने वाला माना जायगा । कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त कोई भारतीय व्यापारी जब तक ७ वर्षों में २ वर्ष से कम अर्थात् वर्ष में ३ महीने से कुछ उपर तक वृटिश भारत में आकर रहेगा तब तक भी वह सामान्य तौर पर वृटिश में रहने वाला नहीं माना जायगा ।

विदेशी व्यापारी जो भारत वर्ष में आकर व्यापार करता है उसके सम्बन्ध में भी उपरोक्त नियम लागू है । मान लीजिए कोई अम्रेज ८ वर्षों से वृटिश भारत में नौकरी करता है और वीच में उसने छुट्टी नहीं ली है । वह प्रत्यक्षतः ही वृटिश भारत का निवासी पर सामान्य तौर पर वृटिश भारत में नहीं रहने वाला है क्योंकि १० वर्षों में ६ वर्ष वाली शर्त पूरी नहीं होती ।

अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेटों की चर्चा की है वह व्यक्ति को दृष्टि में रख कर । अब अन्य शरूलों के सम्बन्ध में इन पर विचार किया जाता है ।

एक कम्पनी किसी साल के लिए वृटिश भारत में दसने वाली समझी जायगी यदि

(१) उस वर्ष में उसके कार्यों की देख-रेख और संचालन समूर्ण रूप से वृटिश भारत में रहा होगा, या

(२) उस वर्ष उस कम्पनी को वृटिश भारत में जो आय उपजी होगी वह वृटिश भारत के बाहर हुई आय से अधिक होगी ।

पहले कम्पनी का कार्य संचालन और प्रबन्ध समूर्णतः वृटिश भारत में होता था तो ही वह वृटिश भारत में दसने वाली कम्पनी मानी जाती थी । अब यदि उसका अधिकाश लाभ वृटिश भारत से होता होगा तब भी वह वृटिश भारत में दसने वाली कम्पनी मानी जायगी । इस तरह यह साफ है कि यदि एक कम्पनी वृटिश भारत के बाहर स्थापित हुई होगी, वहीं पर रजिस्टर्ड हुई होगी और वहीं संचालकों

की मीटिंग होती होगी और वहाँ से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि उस कम्पनी का अधिकाश लाभ ब्रिटिश भारत से हुआ होगा तो वह भारत में बसने वाली कम्पनी मानी जायगी ।

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का वास-स्थान ब्रिटिश भारत समझा जायगा यदि इनके कार्यों की देख-रेख और संचालन सम्पूर्ण तौर पर ब्रिटिश भारत के बाहर अवस्थित न होगा ।

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार ब्रिटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर ब्रिटिश भारत में रहने वाला माना जायगा अगर उसका संचालक (manager) ब्रिटिश भारत का निवासी और सामान्य तौर पर ब्रिटिश भारत में रहने वाला होगा ।

जो कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत में बसने वाली होगी वह सामान्य तौर पर ब्रिटिश भारत में रहने वाली भी होगी ।

—धारा : ४ ए, ४ बी

३—उपरोक्त श्रेणी भेद के अनुसार कर का दायित्व

५—एसेसियों की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खायाल में रखना चाही जरूरी है । किस मनुष्य (Person) को किस-किस आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स देने के लिए दायक होना होगा यह वह किस श्रेणी के अन्तर पड़ता है इस पर निर्भर है । उपर बताए गये चार श्रेणियों के मनुष्यों का टैक्स विषयक दायित्व निम्न प्रकार से जुदा-जुदा है :—

(१) ब्रिटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्य को किसी 'गत वर्ष' के लिए उस आय^१ के सम्बन्ध में टैक्स देना होगा जो उस वर्ष

१—‘आय’ इस शब्द में यहाँ पर आमदनी, मुनाफा और लाभ के—चाहे वे किसी भी साधन से प्राप्त हुए हों—अन्तर्गत समझे चाहिए ।

में उसको वृटिश भारत में उपजी होगी या मिली होगी या उपजी या मिली समझी जायगी । वृटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी । परन्तु यदि वह अपनी वृटिश भारत के बाहर की आमदनी में से, जो कि उसकी कुल आय में सामिल नहीं की गई हैं, कोई रकम अपनी स्त्री, जो वृटिश भारत की निवासिनी हो उसको भेजे तो वह रकम उसकी स्त्री की वृटिश भारत में उपजी हुई आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को टैक्स देना होगा ।

(२) वृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर वृटिश भारत में नहीं रहने वाले मनुष्य को गत वर्ष में वृटिश भारत में जो आय उपजी होगी या मिली होगी उसके उपरांत—

(क) वृटिश भारत के बाहर अर्थात् परदेश में उपार्जित आय जो वृटिश भारत में लाइ गई होगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा

(ख) भारत (जिस में देशी राज्य भी सामिल हैं) में से देख-रेख और संचालित किए जाते हुए सब कारबार से और भारत में स्थापित पेशे, धन्धे-रोजगार (Profession) या हुन्नर-उद्योग (Vocation) से उसको परदेश में जो आय हुई होगी चाहे वह वृटिश भारत में लाइ जाय या नहीं उस पर टैक्स देना होगा ।

इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सामान्य तौर पर वृटिश भारत में नहीं रहने वाला होगा उसको उस आय पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि (१) वह वृटिश भारत के बाहर ऐसे कारबार, धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से उपार्जन करता है जिसकी देख-रेख या संचालन भारत से नहीं होता और (२) भारत से संचालित कारबार या वृटिश भारत में स्थापित धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग के सिवा अन्य किसी साधन से उपार्जन करता है । इन आयों पर भी टैक्स

लागू हो जायगा यदि वे बृटिश भारत में लाई जायेंगी या उसके द्वारा, यहाँ पर प्राप्त की जायेंगी ।

(३) बृटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष में उसको या उसके लिए किसी दूसरे को बृटिश भारत में मिली होगी या मिली समझी जायगी, टैक्स देने के उपरात निम्नलिखित आयों पर टैक्स देना होगा:—

(क) गत वर्ष में जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने बृटिश भारत में उपार्जन किया या उठाया होगा या उसके उपार्जन किया या उठाया हुआ समझा जायगा ।

(ख)^१ उस 'गत वर्ष' बृटिश भारत के बाहर जो भी आय, मुनाफा या लाभ उसने उपार्जन किया या उठाया होगा । इस सम्बन्ध में इतना ध्यान में रखने का है कि उपरोक्त आय में से जितनी रकम बृटिश भारत में नहीं लाई जायगी उसमें से ४५००) बाद देकर वाकी की रकम को ही कुल रकम में पकड़ा जायगा । परन्तु इससे कोई यह न समझे कि यदि ये ४५००) बृटिश भारत में लाए जायेंगे तो भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा । बाद में बृटिश भारत ने लाए जाने पर इन रूपयों पर भी टैक्ट लागू होगी ।

(ग)^१ बृटिश भारत के बाहर सन् १९३३ की पहली अप्रैल के बाद और गत वर्ष के पहले उसने जो आय, मुनाफा या लाभ उपार्जन किया या उठाया होगा उसमें से जो रकम गत वर्ष में बृटिश भारत में लाई या प्राप्त की गई होगी ।

१—ता० ३१ मार्च सन् १९४० को शेष होने वाले वर्ष में टैक्स लगाते समय ये दोनों आएँ कुल आमदानी में सुनार नहीं की जायेंगी परन्तु उनमें से जो अधिक होगी वही मामिल की जायगी ।

(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश भारत में रहने वाले मनुष्य को भी वृटिश भारत के निवासी की तरह ही वृटिश भारत में प्राप्त हुए नके पर ही नहीं दुनिया भर में उपार्जन हुए नके के आधार पर टैक्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार होगा जिनके विषय में कि वृटिश भारत के निवासी पर टैक्स लागू होती है।

वृटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुई आय, वे बल इसी लिए वृटिश में प्राप्त की हुई या लाई हुई नहीं मान ली जायगी कि वृटिश भारत में बनाए गए चिक्के के हिसाब में वह सामिल की गई हो।

कोई आमदनी, जो यदि वृटिश भारत में दी जाती तो नौकरी के शीर्षक के नीचे उस पर टैक्स लग सकती, वृटिश भारत में उपार्जन हुई या उठाई समझी जायगी चाहे वह कहीं दी गई हो वशर्त कि वह वृटिश भारत में कभाई हुई होगी और भारत के बाहर पेंशन के बतौर नहीं दी जाती होगी।

कोई डिविडेंड जो कि वृटिश भारत के बाहर दिया होगा उस हद तक वृटिश भारत में उपार्जित या उठाया हुआ समझा जायगा जिस हद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर वृटिश भारत में टैक्स लगती है।

इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक चार्ट दिया जाता है जिसे देखने से ही मालूम देगा कि किस मनुष्य पर किस-किस आय के सम्बन्ध में टैक्स लगती है:—

अपत्रादों को छोड़ कर, किसी भी शख्स की गत वर्ष की और प्राप्तियाँ सामिल

	१	२	३
कर दाताओं की श्रेणियाँ	उस वर्ष में उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा वृद्धिश इण्डिया में प्राप्त (Received) हुई होंगी	उस वर्ष में उस शख्स या उसके लिये किसी द्वारा वृद्धिश इण्डिया में प्राप्त हुई (deemed to be received) समझी जायगी	उस वर्ष में उसको वृद्धिश भारत में उपजी या हुई होगी (accrue or arise)
१—वृद्धिश भारत में निवास नहीं करने वाले को	+	+	+
२—साधारण तौर पर वृद्धिश भारत में नहीं रहने वाले को	+	+	+
३—वृद्धिश भारत के निवासी को	+	+	+
४—साधारण तौर पर वृद्धिश भारत में रहने वाले को	+	+	+

नोट न० १—जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोड़ी जायगी और - चिन्ह २—जो साल ३१ मार्च १९४० को समाप्त होगी उसमें टैक्स लगाते समव दोनों रकमें शामिल नहीं की जायगी ।

फुल आय में किसी भी जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफे
होंगी जो कि

४	५	६
उस वर्षमें उसको वृटिश इण्डिया ने बाहर उपजी या हुई होगी— (deemed to accrue or arise) समझी जायगी	उस वर्ष में उसको वृटिश इण्डियाके चाहे वह वृटिश इण्डिया में लाई जाय या प्राप्त की जाय ।	तां० १ अप्रैल, १९३३ के बाद और उस वर्ष के आरम्भ के पहिले वृटिश भारत के बाहर उपजी या हुई जाकर जो आय उस वर्ष में वृटिश भारत में लाई या प्राप्त की जायगी
+	-	-
+ +	+ +	-
+ +	+ +	+ +
+ +	+ +	+ +

है वह नहीं जोड़ी जायगी ।

कालम न० ६ और ५ की रकमों में जो वही रकम होगी वही हिसाब में ली जायगी

अपवाद

निम्न लिखित प्रकार की आएँ कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी अर्थात् उन पर टैक्स नहीं लोगी:—

(१) ऐसी किसी जायदाद (Property) की आय जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खैराती कार्यों^१ के लिए ट्रस्ट के सुपर्द हो या अन्य कानूनी तरह से इन कार्यों के लिए वंधी हुई हो। यदि जायदाद की समूची आय इन कार्यों में न लग कर केवल अंश रूप ही लगती हो तो उस हालत में उतनी आय जितनी की इन कार्यों में लगाई गई होगी या लगाने के लिए अलग कर दी गई होगी।

(२) धार्मिक या खैराती संस्थाओं की ओर से किये जाते हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों में लगायी जाती हो। परन्तु यह आय उसी हालत में बाद पड़ सकेगी जब कि (१) ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारबार उन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता होगा, या (२) ऐसे कारबार के सब कार्य प्रधानतः उन मनुष्यों द्वारा किए जाते होंगे जिन को लाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है।

(३) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की कोई भी आय जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चन्द्रों से होगी और एकमात्र धार्मिक या खैराती कार्मों में ही लगाये जाने की होगी।

१—इसमें तथा बाद के अपवादों में खैराती उद्देश्यों का अर्थ है गरीबों की सेवा, शिक्षा, डाकटरी सहायता, तथा सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों की उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१), (२), (३) के कारण किसी खातगी (Private) धार्मिक ट्रस्ट की वह आमदानी बाद नहीं दी जायगी जो कि सार्वजनिक कार्यों में नहीं लगाई जाती।

(४) स्थानीय अधिकारियों की आय। संशोधन के पहले के कानून अनुसार स्थानीय अधिकारियों की सब आय टैक्स से वरी थी परन्तु अब वही आय टैक्स से वरी रहेगी जो कि उसके द्वारा अपने क्षेत्र में (own Jurisdiction) बस्तु या सेवा प्रदान करने रूप तिजारत या कारवार से पैदा की गई होगी।

(५) उन जमानतों का ब्याज जो कि किसी ऐसे प्रोविडेंट फण्ड के कबजे में हों या उसकी जायदाद हो, जिसके प्रति प्रोविडेंट फण्ड एक सन् १६२५ ई० का लागू पड़ता हो।

(६) कोई विशेष अलाइएन्स, फायदा, या पढ़-विधयक अला-अएन्स (perquisites) जो कि खास तौर पर किसी पढ़ सम्बन्धी या नफे के काम सम्बन्धी कर्तव्यों को पूरा करने में ही जरूरी रूप से खर्च करने के लिए दिया जाता हो।

(७) ऐसी आय जो आकस्मिक—संयोग वश हुई हो और वरावर न होने वाली हो। परन्तु यदि ऐसी आय कारवार से या किसी धन्धे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग से हुई होगी तो उस पर टैक्स लगेगी। उसी तरह से यदि वह किसी नौकर के वेतन में वृद्धि करने की दृष्टि से मिली होगी तो उस पर भी टैक्स लगेगी।

(८) कृपि की आय।

(९) धारा ५८ ए छाज (ए) में प्रोविडेन्ट फण्ड की जो परिभाषा दी है वैसे प्रोविडेन्ट फण्ड के ट्रस्टियों को ट्रस्ट के लिए प्राप्त हुई आय।

—धारा: ४

उच्च इन्काम टैक्स = ५

इन्कम टैक्स अधिकारी

५-ए—इन्कम टैक्स एक के प्रयोजनों के लिए इन्कम टैक्स अधिकारियों की निम्न लिखित श्रेणियाँ हैं :—

(१) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू;

(२) कमिश्वर ऑफ इन्कम टैक्स;

(३) असिस्टेन्ट कमिश्वर ऑफ इन्कम टैक्स। ये दो तरह के होंगे—(१) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्वर और (२) इन्स्पैक्टर असिस्टेन्ट कमिश्वर।

(४) इन्कम टैक्स आफिसर।

पहली श्रेणी के कमिश्वर, आफिसरों के हुक्मों के खिलाफ अपीलों की सुनाई करेंगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्वर अपील सुनने के बजाय वे सब काम करेंगे जो कमिश्वर द्वारा उनको सौंपे जायेंगे। आम तौर पर इनका काम आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम का निरीक्षण और देख भाल करना होगा।

इन्कम टैक्स आफिसरों का काम एसेसी पर टैक्स लगाना और टैक्स लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाही करना होगा।

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्वर, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू की बन्दोवस्ती में रहेंगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेंगे।

इन्स्पैक्टर असिस्टेन्ट कमिश्वर और इन्कम टैक्स आफिसर कमिश्वर के नीचे रह कर काम करेंगे।

इन्कम टैक्स एक को कार्यान्वित करने के लिए जो भी आफिसर या व्यक्ति नियुक्त किए जायंगे उनको सैन्ट्रल बोर्ड आफ रेविन्यू की आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पालन करना होगा ।

—धारा : ५

(५) अपीलेट ट्रीब्यूनल

ता० १ अप्रैल, १९३६ के दो वर्ष के भीतर एक अपीलेट ट्रीब्यूनल स्थापित किया जायगा । इसमें अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे जिन में से आधे कानूनज अर्थात् जिला जज के अधिकारों को काम में लाये हुए या उस पद की योग्यता वाले और आधे हिसाब-विशेषज्ञ अर्थात् जो कम-से-कम छः वर्ष तक रजिष्टर्ड अकाउन्टेण्ट रह कर यह पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाब और कारबार सम्बन्धी जानकारी और अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे ।

इस ट्रीब्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नायज्ञ सदस्यों में से नियुक्त किया जायगा । कार्य की सुगमता के लिए अध्यक्ष ट्रीब्यूनल के सदस्यों में से कम-से-कम दो-दो की एक बैच कर उससे ट्रीब्यूनल का कार्य करा सकेगा । प्रत्येक बैच में दोनों प्रकार के सदस्य समान संख्या में रहेंगे यदि असमानता रहेगी तो एक सदस्य से अधिक की नहीं रहेगी । यदि किसी विषय पर बैच के सदस्य एक भत नहीं होंगे तो वहुमत होने पर वहुमत से निर्णय किया जायगा । पर समान सख्त्या में भिन्न-भिन्न निर्णय के होंगे तो भत विभिन्नता वाली वात या वातें अध्यक्ष के सामने लाई जायंगी जो उनको ट्रीब्यूनल के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के लिए भेजेगा और यहाँ पर जो निर्णय होगा वह सुनाई करने वाले सदस्यों के—जिनमें पुराने सदस्य भी सामिल रहेंगे—वहुमत से होगा ।

यह ट्रीब्यूनल सम्पूर्ण रूप से अलग और रवतन्त्र न्याय विभाग होगा । और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता में न होगा ।

इस ट्रीव्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कर्तव्यों के करते हुए जो भी बातें आवें उनके सम्बन्ध में अपनी और अपनी वेंचों की कार्यप्रणाली को संचालित करे। वेंचों की बैठकें कहाँ हों—यह ठीक करने का हक भी ट्रीव्यूनल को ही है।

—धारा : ५-ए

अन्तर्दृष्टि-दृष्टि

१—आय के शीर्षक

६—आय के अनेक जरिए हो सकते हैं। इन्कम टैक्स एक में इन जरियों को पांच शीर्षकों में बांट दिया है जो इस प्रकार हैः—

- (१) वेतनें
- (२) जमानतों का व्याज
- (३) जायदाद से आय
- (४) कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे और लाभ
- (५) अन्य जरियों से आय।

प्रत्येक ऐसेसी को हर वर्ष यह वतलाना पड़ता है कि उसने 'गत वर्ष' में किस शीर्षक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर विस्तार पूर्वक खुलासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता है।

—धारा : ६

२—वेतनें

७—(१) 'वेतनें' यह शब्द बहुवचन है। इसके अन्तर (१) वेतन या मजदूरी, (२) वार्षिक वजीफा, (annuity) (३) पेन्शन या इनाम (gratuity) और (४) कोई फीस, (५) कमीशन, या (६) वेतन या मजदूरी के बदले या उसके उपरांत जो सुभीता (perquisites) या मुनाफा दिया जाता है—वे सब सामिल हैं।

'वेतन' का अर्थ होता है वदला जो कि किसी दूसरे के कारबाह के लिए अपनी सेवाएँ देने से प्राप्त होता है। एक अधिक के बाद मिलने वाला निश्चित दरमाहा जो कि किसी कारीगरी या दस्तकारी के सिवा अन्य किसी प्रकार की सेवाओं के लिए दिया जाय—वेतन कहलाता है।

कारीगरों या मजदूरों को जो तनख्वाह दी जाती है उसे मजदूरी कहते हैं।

वार्षिक रूप से जो भत्ता या वृत्ति मिलती है उसे वार्षिक बजीफा कहते हैं।

भारत सरकार की आमदनी में से पूर्व सेवाओं के लिए या खास योग्यता के लिए जो वृत्ति दी जाती है उसे पेनशान कहते हैं। राजगद्दी से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और भातहतों को जो क्षति पूर्ति के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर सन्धि-पत्रों के कारण जो रूपये दिए जाते हैं वे भी इसमें सामिल हैं।

यदि नौकर के साथ यह घात हो कि यदि उसकी सेवाएँ संतोष-जनक हुईं तो उसे अमुक रकम और मिलेगी—तो यह एक प्रकार का इनाम (Gratuity) कहलाता है।

यदि मालिक की ओर से रहने के लिए मुफ्त में मकान मिले तो यह सुभीता (Perquisites)—कहलाता है। इसी प्रकार मुफ्त में रोशनी काम में लाने का हक हो तो वह भी परक्वेजिट्स है। ऐसी रकम जो कि एसेसी को अपने मालिक से या भूतपूर्व मालिक से या किसी प्रोविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड से नौकरी खत्म होने पर या खत्म होने के सम्बन्ध में मिली हो या पावनी हो वह वेतन के बदले मिला हुआ लाभ समझी जायगी। और टैक्स लगाते समय उसको आमदनी में गिन लिया जायगा चाहे नौकरी उस समय खत्म हुई हो या न हुई हो या बाद में खत्म होने को हो या न हो।

अगर एसेसी यह सावित कर देगा कि (१) जो रकम इस प्रकार मिली है या पावनी है वह उसके द्वारा दी हुई रकम या उसका सूद है या (२) जो रकम दी गई है वह पिछली नौकरी की वेतन नहीं है परन्तु केवल नौकरी छूट जाने के बदले में दी गई क्षति पूर्ति की रकम है तो वह वेतन के बदले प्राप्त लाभ नहीं मानी जायगी ।

परन्तु निम्नलिखित रूप से दी हुई रकमों पर किसी हालत में टैक्स नहीं लगेगा :—

(१) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोविडेंट फण्ड से दी गई हो जिसके प्रति प्रोविडेंट फण्डस एक्ट, १९२५ लागू पड़ता हो, या

(२) इन्कम टैक्स एक्ट के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी प्रोविडेंट फण्ड से जो रकम दी गई हो वर्तमान के अध्याय ६-ए के विधान से वह टैक्स से बरी हो, या

(३) अध्याय ६-बी के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी सुपरएन्यूएसन फण्ड से जो रूपया किसी वेनीफिसीयरी की मृत्यु पर या किसी वार्षिक वजीफे के बदले में या उसके निपटारे में (बदले में) (Commutation) या किसी वेनीफिसीयरी के मरने पर या नौकरी छोड़ने पर, जिस नौकरी के सम्बन्ध में कि फण्ड की स्थापना हुई है, रिफण्ड के बतौर जो रूपया दिया गया हो ।

उपरोक्त वेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा या उनकी ओर से दी जाती हो या किसी खानगी मालिक द्वारा या उसकी ओर से दी जाती हों, टैक्स लगेगी ।

पहिले वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टैक्स ली जाती थी परन्तु इस संशोधित एक्ट के अनुसार वेतनों दी जाय या नहीं जैसे ही वे पावनी होंगी, उन पर टैक्स लगा दिया जायगा ।

वेतनों के विषय में यदि उधार के तौर पर या अन्य किसी रूप में कोई रकम पेशगी ली जायगी तो वह रकम वेतन समझी जायगी और यह माना जायगा कि उतनी रकम, पेशगी लेने के दिन पावनी हो चुकी थी ।

इस संशोधन के द्वारा, पेशगी लेकर या वेतन नहीं उठा कर टैक्स से बचने का जो तरीका था, उसको रोका गया है ।

उस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो रकम कि ऐसेसी को नौकरी की शर्तों के अनुसार अपनी तनख्ताह में से सम्पूर्ण रूप से जरूरी तौर पर, और केवल मात्र नौकरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए खर्च करनी पड़ती हो ।

उदाहरण स्वरूप इन्स्योरेंस के दलालों को लीजिए । बहुत से दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हे कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती है । उन्हें कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अनुसार मोटरकार रखनी पड़ती है । कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा वह मोट रकम से बाद दे दिया जायगा और वाकी रकम को उनकी वेतन समझा जायगा ।

किसी व्यक्ति को भविष्य में वार्षिक वजीफा मिल सके इस उद्देश्य से या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह के प्रबन्ध के उद्देश्य से जो रकम नौकरी की शर्तों के अनुसार समाट के किसी नौकर की वेतन में से काटी जायगी उसके विषय में टैक्स नहीं देनी होगी । परन्तु इस प्रकार काटी हुई रकम वेतन की रकम के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इस शीर्षक के नीचे जिस आमदनी पर टैक्स लगती है, वैसी आमदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आमदनी पर धारा १८ के अनुसार, टैक्स काट लेनी पड़ती है । ऐसा हो सकता है कि टैक्स उपरोक्त प्रकार से काट ली गई हो परन्तु मालिक (Employer) द्वारा

जमा नहीं दी गई हो, ऐसी हालत में एसेसी से दूसरी बार टैक्स अदा नहीं की जा सकेगी। यदि वेतन बिना टैक्स काटे दे दी गई होगी तो टैक्स एसेसी से बसूल की जा सकेगी।

(२) यदि ब्रृटिश प्रजा या श्रीमान् भारत सम्राट् के किसी कर्मचारी को भारत के किसी भाग में सम्राट् द्वारा या किसी ऐसे स्थानीय अधिकारी द्वारा, जिसको कि सम्राट्-प्रतिनिधि या केन्द्रीय सरकार ने कायम किया हो, या उनकी तरफ से कोई आमदनी दी गई होगी और यदि यह आमदनी ऐसी होगी जिस पर कि यदि वह ब्रृटिश भारत में दी जाती तो इस शीर्षक के अन्तर कर लागू होता तो उस हालत में वह ऐसी आमदनी समझी जायगी जिस पर कि कर लगाया जा सके।

उदाहरण स्वरूप देशी राज्यों में रेजिडेन्ट के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को जो वेतन दी जाती है उस पर ब्रृटिश भारत में टैक्स लगाई जायगी परन्तु भारत के बाहर मान लीजिए अफ्रिका में कोई सम्राट् का कर्मचारी हो और उसको भारतीय कोप से वेतन दी जाती हो तो उसकी इस वेतन पर भारत में टैक्स नहीं ली जा सकेगी।

—धारा: ७

३—जमानतों का व्याज

८—इन्कम टैक्स एकट में ‘जमानत’ (सिक्योरिटी) शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है। इस शब्द में केन्द्रीय सरकार, या प्रांतीय सरकार की जमानतें या किसी स्थानीय अधिकारी या कम्पनी द्वारा या उनकी तरफ से निकाले हुए डिवेंचर या रूपयों की अन्य जमानत शामिल हैं। ऐसी जमानतों से व्याज की जो आमदनी होती है उस पर टैक्स लगती है।

इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निप्रलिखित खर्च वाद दे दिए जाते हैं—

(१) जमानतों के ब्याज को निकलवाते समय वैक द्वारा कमीशन के बतौर जो रकम काटी गई हो।

(२) जो रकम उन रूपयों के ब्याज स्वरूप दी गई हो जो कि इन जमानतों में लगाने के लिए उधार लिए गये हों।

यदि यह ब्याज वृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह वाद दिया जायगा जब कि—

(१) उसमें से धारा १८ के अनुसार टैक्स काट लिया गया या दे दिया गया होगा, या।

(२) वृटिश भारत में ऐसा कोई शास्त्र होगा जो कि धारा ४३ के अनुसार इस ब्याज के सम्बन्ध में टैक्स देने के लिए एजेण्ट बनाया जा सकेगा, या।

(३) वह किसी ऐसे भूण के सम्बन्ध में दिया गया होगा जो कि ता० १ अप्रैल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा।

भारत सरकार की उस जमानत के ब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं देनी होगी जो कि इन्कम टैक्स से वरी निकाली गयी या घोषित कर दी गई हो।

जो जमानतें किसी प्रांतीय सरकार द्वारा इन्कम टैक्स से वरी निकाली गई होंगी, उन के ब्याज पर टैक्स उसी प्रांतीय सरकार द्वारा दिया जायगा, जिसके द्वारा वे इस प्रकार निकाली गई होंगी।

—धारा: ८

४—जायदाद की आय

६—(१) जायदाद का अर्थ है मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन। इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हुई जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीर्षक में नहीं धरी जाती। टैक्स जायदाद के 'उचित वार्षिक मूल्य'^१ पर देनी पड़ती है। वह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है।

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं लगायी जायगी जो हिस्सा ऐसेसी अपने कारबार, पेशा या रोजगार के निमित्त काम में लायगा केवल शर्त इतनी ही है कि यह कारबार, पेशा या रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसके नफे पर टैक्स लागू हो सके। इस संशोधित कानून के पहले नफे पर टैक्स लग सके या नहीं कारबारादि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हुए हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टैक्स नहीं धरा जाता था परन्तु अब उपरोक्त शर्त जोड़ दी गई है।

जायदाद के वार्षिक मूल्य में से निम्नलिखित अलाउएंस बाद दे दिए जायगेः—

(१) जब जायदाद मालिक के उपयोग में (अधिकार में) होगी तो मरम्मत खर्च के लिए एसी रकम जो वार्षिक मूल्य के छठे भाग के बराबर होगी;

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी और उसका मरम्मत खर्च जायदाद—मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत में भी उपरोक्त रकम मरम्मत खर्च के बतौर बाद दे दी जायगी।

(२) यदि मरम्मत खर्च किरायेदार के जिम्मे होगा तो वार्षिक मूल्य में और किराये में जो फर्क होगा उतनी रकम बाद दे दी जायगी

१—इसके अर्थ के लिए देखिये आगे उपधारा (२) पृ० ३१-३२

परन्तु इस प्रकार वाद दी जाने वाली रकम किसी भी हालत में वार्षिक मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होगी ।

(३) जायदाद को क्षति या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए वेची गई वीमा का वार्षिक प्रीमियम ।

(४) यदि जायदाद गिरवी रखी हुई होगी या उस पर अन्य कोई केपिटल चार्ज होगा तो गिरवी या चार्ज की रकम का व्याज,

यदि जायदाद पर किसी ऐसे वार्षिक चार्ज की लाग होगी जो कि केपिटल चार्ज नहीं है तो उस चार्ज की रकम,

यदि जायदाद किराए की जमीन पर होगी तो उस जमीन का किराया, और

यदि जायदाद उधार लिए हुए रूपयों से खरीदी गई, बनाई गई, मरम्मत की गई, सुधारी गई या फिर से बनाई गई होगी तो इन रूपयों का व्याज ।

संशोधन के पूर्व जायदाद पर किसी प्रकार का केपिटल चार्ज होता तो चार्ज की रकम का व्याज वाद दे दिया जाता था चाहे उधार लिया हुआ रूपया खानगी उद्देश्यों से ही लिया गया हो; उसी प्रकार जायदाद खरीदने के लिए जो रूपये उधार लिए जाते थे उनका व्याज भी वाद दे दिया जाता था चाहे जायदाद पर कोई वार्षिक चार्ज न हो; अब संशोधन के अनुसार यदि जायदाद पर कोई वार्षिक चार्ज होगा और यदि ऐसा चार्ज केपिटल चार्ज नहीं होगा तो वह भी वाद दे दिया जायगा । तथा रूपये जायदाद खरीदने के लिए नहीं परन्तु जायदाद बनाने के लिए, या उसे मरम्मत करने, सुधारने या फिर से बनाने के लिए उधार लिए गये होंगे तो भी उनका व्याज वाद दे दिया जायगा ।

(गिरवी रखने में जायदाद के प्रति किसी दूसरे का हक कर

दिया जाता है—परन्तु चार्ज में जायदाद सम्बन्धी हकों को हस्तान्तरित नहीं किया जाता। ‘चार्ज’ लागू करनेवाला केवल यह कहता कि अमुक फण्ड में से वह अमुक कर्ज चुकायगा। जब कि दोनों ओर के पक्षों के कायाँ से या कानून के बल से किसी एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे किसी को रूपये देने के लिए जमानत बना दी जाती है परन्तु रेहन नहीं रखी जाती तो इस दूसरे व्यक्ति का उस जायदाद के प्रति एक चार्ज कहलायगा। इस तरह का चार्ज कोर्ट के हुक्म से या वसीयतनामे द्वारा हो सकता है। उदाहरण स्वरूपः—

यदि कोर्ट की डिग्री के अनुसार किसी हिन्दू को अपनी पैतृक जायदाद में से कोई रकम किसीको निर्वाह के खर्च के रूप में देनी पड़ती हो तो यह रकम वार्षिक मूल्य में से बाद दे दी जायगी।)

यदि व्याज या चार्ज की रकम वृद्धिश भारत के बाहर देनी होगी तो उसी हालत में उस पर टैक्स नहीं लगेगी जब कि

(क) धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया होगा या काट लिया गया होगा, या

(ख) वृद्धिश भारत में ऐसा कोई एजेण्ट होगा जो कि धारा ४३ के अनुसार ऐसे व्याज या चार्ज पर टैक्स देने के लिए जिसमेवार बनाया जा सकेगा।

यदि यह व्याज ऐसे उधार पर होगा जो कि ता० १ अप्रैल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाला गया होगा तो वृद्धिश भारत के बाहर देने पर भी और उपरोक्त दोनों शर्तों के पूरा न होने पर भी वह बाद दे दिया जायगा।

(५) जायदाद के सम्बन्ध में माल्युजारी की जो रकम दी जायगी।

(६) भाड़ा अदा करने के खर्चों के बाबत में उतनी रकम तक जितनी कि कानून द्वारा निश्चित की हुई होगी। इस सम्बन्ध में यह

नियम किया हुआ है कि वार्पिक मूल्य के छः प्रतिशत से अधिक खर्च बाद नहीं दिया जायगा । किराया बसूल करने में जो खर्च होगा उसकी सबूत देनी होगी । बास्तव में जितना खर्च हुआ होगा उतना बाद दे दिया जायगा परन्तु यदि ऐसा खर्च नियत प्रतिशत से अधिक होगा तो जितना अधिक होगा उतना बाद नहीं दिया जायगा ।

परन्तु किराया अदा करने के लिये यदि कानूनी कार्रवाही की गई होगी तो वह खर्च भी बाद मिल सकेगा ।

(क) कैबल पक्के कानूनी खर्च ही बाद दिए जायंगे,

(ख) जो खर्च मिला होगा, उसको बाद देकर जो बास्तविक खर्च हुआ होगा वह उसी वर्ष में बाद मिल सकेगा जिस वर्ष में डिक्टी हुई होगी ।

(ग) इन कानूनी खर्चों को लेकर सब अदाई खर्च ही प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(७) अगर जायदाद समूची या उसका कोई हिस्सा किसी समय के लिए खाली रहेगा तो जायदाद के वार्पिक मूल्य में से उपरोक्त खर्च बाद दे देने के बाद जो रकम रहेगी उसमें से उतनी रकम और बाद दे दी जायगी जो कि खाली रहने के समय के हिसाब से होगी ।

संशोधन के पहले ऐसा कानून था कि उपरोक्त कुल अलाउएन्सों की जोड़ वार्पिक मूल्य से अधिक नहीं होने वी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब यह बात नहीं रही । अब ये सब अलाउएंस मिलकर यदि वार्पिक मूल्य से अधिक होंगे तो जायदाद के शीर्षक में नुकसान हुआ समझा जायगा और धारा २४ के अनुसार अन्य शीर्षकों की आमदनी में से बाद लिया जा सकेगा ।

(१) इस धारा के प्रयोजन के लिए उचित वार्पिक मूल्य का अर्थ उस रकम से है जिस पर कि जायदाद साल-साल के लिए किराये पर झूठ जाने की उचित रूप से आशा की जा सके । परन्तु अब जाय-

दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो वार्षिक मूल्य मालिक की कुल आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक नहीं माना जायगा ।

(३) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय समझ कर नहीं लगाया जायगा । परन्तु जायदाद की जो आय उपरोक्त ढंग पर कूँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा ।

—धारा : ६

(५) कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या लाभ

१०—(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या लाभ होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है । ऐसी आय पर कारवार आदि चलाने वाले को टैक्स देना होता है ।

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूंत करते समय निम्न-लिखित अलाउन्स (खर्च) बाद दे दिये जाते हैं:—

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान में किया जाता हो उसका भाड़ा । यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा अपने रहने के लिए काम में लाया जाता होगा तो अलाउन्स उतना बाद दिया जायगा जितना कि इन्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते जाते हुए भाग की वार्षिक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा ।

(ख) मकान मरम्मत का खर्च । अगर एसेसी भाड़ती हो और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हो तो मरम्मत के

लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान का काफी भाग ऐसे सी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में लाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च में से इस हिस्से की मरम्मत का खर्च कम कर दिया जायगा।

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूँजी उधार ली गयी होगी तो उसके विपय में दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि व्याज ऐसा होगा जिस पर कि टैक्स लगती हो और वह वृद्धिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह बाद दिया जायगा जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया या काट लिया गया होगा, या (२) वृद्धिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा सके। यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (loan) के बारे में होगा जो कि ता० १ अप्र०, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्द्रे के लिए निकाला गया होगा तो वृद्धिश भारत के बाहर देने पर भी वह बाद दे दिया जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। यदि व्याज फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया जायगा।

बार बार दिये जाने वाले चन्द्रे (Recurring Subscriptions), जो स्वीकृत मुच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या चन्द्रा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते हैं, उधार ली हुई पूँजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया जायगा।

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार में आती हुई इमारतों, कलों, प्लैन्ट (plant),^१ सामान (furniture),

१—‘प्लैन्ट’ में, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फांडे के सामान—जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिये खरीदे गये हों, सामिल हैं।—उपधारा ५

माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम से बचाने के लिए बेची गई वीमा का प्रीमियम । उदाहरण स्वरूप चोरी, छक्कौती, आग आदि से होनेवाले तुकशान से बचाने के लिए कराई हुई वीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा । परन्तु बाजार की गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले तुकशान से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम बाद नहीं दिया जायगा ।

(ड) इमारतों, कलें, प्लैन्ट या सामान की चालू मरम्मत (Current Repairs) के बतौर खर्च की हुई रकम । चालू मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था में रखने के लिये, साधारण ढग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोड़े समय जैसे दो या तीन बर्फों में एकवार—के अन्तर से पुनः पुनः करानी पड़ती हो । इसमें मामूली (minor) परिवर्तन या सुधार भी सामिल हैं ।

मरम्मत क्या है यह वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है । किसी समूची चीज के एक भाग या अङ्ग विशेष को, वह जिस अवस्था में था उस अवस्था में लाना या उसको रहोवदल करना, मरम्मत के अन्दर आता है परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरम्मत नहीं है । उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टालियों की जगह नई टालियाँ लगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड़ कर नई छत की जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी ।

(च) किसी कारबार, पेशे या रोजगार में काम में लाई जाती हुई मशीनें, इमारतें आदि यदि ऐसेसी की सम्पत्ति होंगी तो उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से घिसाई की रकम । पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अनुसार वह 'घट कर

वची हुई' (written down) कीमत पर कसी जायगी । घट कर वची हुई कीमत' का साधारणतः अर्थ उस कीमत से है जो कि असली कीमत में से पूर्व में विसाई के बारे में जो रकम बाद दी जा चुकी हैं उनको बाद देने पर रहती है ।

१—इन दोनों पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है ।

खरीद कीमत	घटकर वची हुई
का तरीका	कीमत का तरीका
वर्ष १, मूल लागत १०,०००)	२०% घटकर १०,०००)
अलाउस १५% कीमत ९,५००)	वची हुई ३,०००)
पर	कीमत पर
वर्ष २, घटकर वची हुई कीमत ८,५००)	" ८,०००)
१५% कीमत पर ९,५००)	९,५००)
वर्ष ३, " ... ७,०००)	" .. ६,४००)
१५% कीमत पर ... ९,५००)	९,३८०)
वर्ष ४, " ... ५,५००)	" ४,९२०)
१५% कीमत पर ... ९,५००)	८२४)
वर्ष ५, घट कर वची हुई ४,०००)	३,२९६)
कीमत	

२—एक द की धारा १० को उपधारा ५ में इसका खुलासा इस प्रकार किया है—

(१) अगर मशीन आदि (Assets) गत वर्ष (Previous year) में खरीदी गई होंगी तो उनकी खरीद कीमत ही 'घट कर वची हुई कीमत' (written down value) समझी जायगी ।

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने के बाद खरीदी गई होंगी तो घट कर वची हुई कीमत वह समझी जायगी

परन्तु—

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, अप्रैल १९४० के पहले व्यवहार में नहीं आयगा।

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि निर्दिष्ट (Prescribed) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे।

(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अलाउंस, मुनाफा या लाभ न होने या पर्याम न होने से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो वह अगले वर्ष के अलाउंस के साथ जोड़ दिया जायगा और उसका अङ्ग माना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस समझा जायगा। आगे के वर्षों में भी ऐसा ही होता रहेगा।

(४) इस तरह जो रकमे मुजरा मिलेंगी उन सब की मोट जोड़ इमारत आदि की असली लागत कीमत से किसी भी हालत में बेसी नहीं होगी।

जो कि असली लागत में से इस धारा के अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को बाद देने के बाद रहेगी।

(५) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटन टाउन (Written down) कीमत खरीद लागत में से पुराने कानून के दर से हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद देकर जो रकम रहेगी वह समझी जावेगी।

वश्ते कि जहाँ धारा २६ की उपचारा २ के अपवाद (proviso) लागू होंगे वहाँ 'क्षाज (१), (२), (३) में जो करदाता के लिए खरीद कीमत होगी वही उस कारवार अधिद के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कीमत होगी। वश्ते कि घिसाई का वह अलाउंस से या उसका कोई हिस्सा जो कि ता० १ अप्रैल, ३९ के पहले खरम हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उस वर्ष में टैक्स लगाने योग्य नफा या लाभ न होने से या कम होने से बाद नहीं दिया जा सकता था, खरीद दाम में से बाद नहीं दिया जायगा।

(ब्र) यदि कोई मशीन या प्लैट पुराने ढंग का होने के कारण या रद्दी हो जाने के कारण विक्री कर दिया गया होगा या हटा दिया गया होगा तो 'घट कर बची हुई कीमत' (Written down value) और इस प्रकार विक्री से या स्कैप से मिली कीमत में जो फर्क होगा उतना बाद दिया जायगा। बशर्ते कि ऐसेसी की वहियों में यह फर्क की रकम बास्तव में (Actually) भुगता दी गई होगी। यदि विक्री से प्राप्त मूल्य या स्कैप (रद्दी) की कीमत 'घट कर बची कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनों का फर्क उस गत वर्ष के नफे में सुमार कर लिया जायगा जिसमें कि रद्दी मशीन बेची गई है।

(ज) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि कोई पशु काम में लाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली लागत कीमत तथा उस पशु की लाश से या पशु की विक्री से यदि कोई रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परन्तु यदि पशु कारबार के स्टोक के रूप में होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं मिलेगी।

(झ) इमारत के उस हिस्से के बारे में दी हुई मालगुजारी, स्थानीय कर (Local rates) या स्युनिसीपैलिटी के टैक्सों की रकम जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए वर्ता जाता है। इसके अपवाद के लिए देखिये आगे —४ (१)

(झ) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में दी गयी हो, और जब कि उसको यह रकम बोनस या कमीशन के सिवा अन्य रूप में अर्थात् नफे या डिविडेन्ट के रूप में नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस और कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियों से उचित होनी चाहिये:-

(१) नौकरी की शतांकी की दृष्टि से;

(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे की दृष्टि से, तथा

(३) इस प्रकार के कारबार, पेशे आदि में प्रचलित प्रथा की दृष्टि से ।

(त) अगर टैक्स देनेवाला हिसाब नगद पद्धति से रखेगा तो उसको उस कर्ज के सम्बन्ध में जिसकी उगाही संदेहजनक है (Bad and doubtful debts) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी । परन्तु अगर एसेसी के बही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते होंगे तो इसके सम्बन्ध में जितने रुपये एसेसी के पावने होंगे उनमें से उतनी रकम बाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य हो गई होगी । परन्तु एसेसी की वहियों में जितनी रकम अप्राप्य समझ कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम बाद नहीं दी जायगी । यदि एसेसी के वैरिंग या रुपया उधार देने का (ब्याज का) कारबार होगा तो कारबार के साधारण व्यवहार में उधार दिए रुपयों के बावजूद में उपरोक्त तरीके से ही डूब की रकम बाद दी जायगी ।

परन्तु यदि इस प्रकार डूबे हुए रुपयों में से बाद में जो रकम अदा होगी वह यदि डूब की समूची तथा डूबत के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार से मुजरा दी हुई रकम के फर्क से अधिक होगी, तो जितनी रकम अधिक होगी वह उस साल का नफा समझी जायगी जिसमें कि वह अदा होगी और यदि कम होगी तो कमी उस साल का कारबारी खर्च समझी जायगी ।

(थ) कोई भी खर्च जो कि सम्पूर्णतः और केवल मात्र कारबार, पेशे या रोजगार के प्रयोजनों के लिए किया गया होगा । उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई,

स्टेशनरी, डाक व तार खर्च, यात्रा खर्च, कमीशन, कचहरी खर्च, बट्टा, विज्ञापन खर्च आदि वाद मिल सकेंगे ।

(३) यदि कोई मकान, मशीन, प्लैट या सामान, जिसके बारे मे उपधारा (२) के क्षाज घ, ड, च, छ, के अनुसार अलाउन्स लेना है, सम्पूर्णतः कारबार आदि के ही व्यवहार मे नहीं आता तो अलाउन्स उस रकम के उचित अनुपात से होगा जो कि यदि मकान आदि सम्पूर्णतः कारबार आदि के प्रयोजन के लिए काम मे लाए जाते तो वाद मिलता ।

(४) निम्नलिखित रकमें वाद नहीं दी जायगी :--

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट या टैक्स के रूप में दी गई होगी

(२) कोई वेतन की रकम, जिस पर कि वृटिश भारत मे टैक्स लगता हो, यदि वृटिश भारत के बाहर दी गई होगी और उसमे से टैक्स नहीं काटा होगा या जमा दिया होगा तो वह वाद नहीं दी जायगी ।

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने व्याज, वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक के बतौर फर्म के किसी सामेदार को दी होगी;

(४) वेतन-भोगियों (Employees) के लाभ के लिए स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड मे जो रकम दी जायगी

उस हालत में जब कि मालिक ने इस बात का पूरा वन्दोवस्त कर दिया होगा कि इस फण्ड मे से ऐसी कोई भी रकम, जिस पर कि वेतन के शीर्पक के अन्तर टैक्स लगता है, देते समय उसमे से टैक्स काट लिया जायगा तो ऐसी रकम भी मुजरा मिल सकेगी ।

(५) यदि कोई भी तिजारत मे या पेशे में लगी हुई या ऐसी ही संस्था जो कि मूल्य लेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएँ देती हैं और

यह निश्चित है कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले में है तो वे इस धारा के अनुसार उन सेवाओं के विषय में कारबार करनेवाली समझी जावेगी और इन सेवाओं के मुनाफे या लाभ पर टैक्स लागू होगा।

(६) बीमा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से होती है और टैक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पैरा ८, ६, १०, ११ और १८ के विधान बीमा कम्पनियों के प्रति लागू नहीं पड़ते। उनके प्रति लागू पड़ने वाले खास नियम इन्कम टैक्स एक के सिड्यूल में दिए हुए हैं।

—धारा १०

६—अन्य जरियों से आय

११—(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या लाभ जो ऊपर बताए हुए किसी शीर्षक के अन्तर नहीं आता—वह इस शीर्षक के अन्तर गिना जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ, ऐसा होगा जो कि ‘कुल आमदनी’ में जोड़ा जा सके तो उस पर टैक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी जमीन, जो कि किसी मकान या इमारत के साथ नहीं लगी हुई है, उसकी उचित वार्षिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टैक्स लिया जायगा।

(२) इस शीर्षक के नीचे कितनी आय हुई है यह निश्चित करते समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जायंगेः—

(क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (Capital expenditure) के ढंग के न होंगे तथा

(ख) केवल आमदनी आदि उपार्जन करने के लिए किए गये होंगे।

परन्तु निम्न लिखित खर्च बाद नहीं दिए जायंगे।

(क) एसेसी का घर (Personal) खर्च,

(ख) ब्रिटिश भारत के बाहर दिये हुए व्याज की रकम; परन्तु यह व्याज निम्न लिखित अवस्थाओं में बाद दे दिया जायगा।

(१) यदि वह तातो १ अप्रैल, ३८ के पहिले निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सम्बन्धी व्याज होगा।

(२) यदि व्याज की रकम में से धारा १८ के अनुसार व्याज काट लिया गया होगा—या दे दिया गया होगा।

(ग) ब्रिटिश भारत के बाहर दी हुई ऐसी रकम जिस पर कि ब्रिटिश भारत में आमदनियों के शीर्षक के नीचे टैक्स लगती है।

यह रकम भी उस हालत में बाद दे दी जायगी जब कि धारा १८ के अनुसार टैक्स काट ली गई या दे दी गई होगी।

(३) अगर प्लैन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए हुए होंगे तो एसेसी को वीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने होने पर बिक्री करने आदि के सम्बन्ध में उसी प्रकार से अलाउन्स मिलेगा जिस तरह कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हें व्यवहार में लाने से इनके सम्बन्ध में पूर्व में दिखाए अनुसार मिलता है।

देखो पृष्ठ ३३ (घ)—३७ (छ)

—धारा: ११

७—मैनेजिंग एजेंसी की कमीशन

१२—(१) कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेजिंग एजेंटों को अपनी कमीशन का अमुक अंश दूसरे लोगों को देना पड़ता है। इस

१—मैनेजिंग एजेंट उस शर्ल्स को कहते हैं जो किसी कम्पनी के साथ हुए हक्करानामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है। यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों की अधीनता में और इकरानामे की शर्तों के अनुसार की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी मैनेजिंग एजेंट हो सकता है।

प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्त पूरी होने पर कमीशन में से बाद दे दिया जायगा :—

(१) कमीशन का अंश जिसको या जिनको दिया जाय उसके या उनके और मैनेजिंग एजेन्ट के बीच इकरारनामा होना चाहिए। यह इकरारनामा समुचित बदले (consideration) के आधार पर होना चाहिए

(२) मैनेजिंग एजेन्ट इस इकरारनामे के अनुसार कमीशन का अंश उस या उन पार्टीयों को देने के लिए बाध्य हो।

(३) मैनेजिंग एजेन्ट और उस पार्टी या पार्टीयों को मिल कर एक घोषणा (Declaration) पेश करनी होगी जिसमें यह दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाब से बैटवारा होता है।

(४) इस घोषणा में जो कुछ लिखा होगा उसकी सत्यता के सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख सन्तोषजनक सबूत देना होगा।

इन शर्तों के पूरा होने पर मैनेजिंग एजेन्ट, और तीसरी पार्टी या पार्टीयों को अपने-अपने अंश के सम्बन्ध में ही टैक्स देने के लिए दायक होना पड़ेगा।

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अंश दूसरों को दिया गया होगा वह बाद नहीं दिया जायगा और मैनेजिंग एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टैक्स देना होगा।

—धारा : १२-ए

—हिसाब रखने की पद्धति

१३—इन्कम टैक्स एक में हिसाब रखने की कोई पद्धति का निर्देश नहीं है। एसेसी जिस पद्धति को पसन्द करे और सुविधाजनक समझे

उस पद्धति के अनुसार अपने वहीं-खाते रख सकता है। परन्तु एक बार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से वहीं-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई हो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ऐसेसी के लाभ-नुकशान की पूरी-पूरी कूट हो सके। ऐसेसी नियमित रूप से जिस पद्धति के अनुसार हिसाब रखेगा उसी पद्धति से कारबार, पेशे या रोजगार या अन्य जरियों से होनेवाली उसकी आय की कूट की जायगी।

यदि ऐसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं अपनाया होगा या ऐसी पद्धति को अपनाया होगा जिससे कि इन्कम टैक्स ऑफिसर की राय में आय की ठीक-ठीक कूंत नहीं होती तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह आमदनी की उस आधार और उस तरह से कूट करे जैसा कि वह ठीक समझे।

हिसाब रखने की पद्धतियाँ मुख्य रूप से दो तरह की हैं—(१) नगद पद्धतिः इस पद्धति में जो रकमें वास्तव में मिलती है या दी जाती है वे ही लिखी जाती हैं, जैसे ही रुपया मिलता है या खर्च किया जाता है वैसे ही जमा कर लिया या खर्च लिख दिया जाता है। प्राय कारबारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरे नके नुकशान की कूट करने के लिये आरम्भिक और शेष के स्टाक को हिसाब में लेना पड़ता है। (२) व्यापारिक पद्धतिः इस पद्धति में नके नुकशान का खाता अर्थात् वट्टा खाता रखता जाता है और आरम्भिक तथा अन्तिम स्टाक की कीमत को धरकर नफा-नुकशान निकाला जाता है। इस पद्धति के अनुसार जब रुपये मिलते हैं या दिए जाते हैं उस तारीख के दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस दिन खरीद-विक्री होती है उसी दिन जमा-खर्च कर लिया जाता है। रुपये के लेन-देन की तारीख के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरण स्वरूप जब माल बेचा

जाता है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर माल खाते नामे लिख दिये जाते हैं। ऐसेसी जिस पद्धति को चूनेगा उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाब रखना पड़ेगा। अमुक आय या अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह बहुत कुछ हिसाब रखने की पद्धति पर निर्भर करेगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय या नहीं यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा।

बहुत से खर्च ऐसे हैं जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाब रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाब रखने पर उन्हें बाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाब रखने पर 'बैंड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जैसा कि ऊपर दिखाया है व्यापारिक पद्धति से हिसाब रखने पर ज्यों ही माल बिक्री होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय न मिले। इस तरह माल की बिक्री से जो नफा होगा वह वहियों में माल बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव है कि इस प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा ही न हो, इसलिए यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो वह वहियों में गलत बाकी बोल कर भुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस वर्ष भुगताए जायंगे उस वर्ष उनको नफे में से बाद दे दिया जायगा।

ऊपर मे जो कुछ कहा गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल नहीं सकता। वह अपनी दुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पद्धति शुरू करने के लिए छोड़ सकता है परन्तु केवल थोड़े समय के लिए नई पद्धति को काम में लाने के लिए नहीं छोड़ सकता।

इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात की खातिरी दिला कर कि

इस प्रकार कर वह किसी तरह से टैक्स को नहीं टाल रहा है, वह अपनी पद्धति को उसकी रजा से बदल सकता है।

—धारा : १३

६-आप छूटें

१४—(१) एसेसी को उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है।

जो रकम मिली है वह इन्कम टैक्स से वरी है—यह दिखाने का जिम्मा एसेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस आमदनी में से मिली है जिस में उसका हक है अर्थात् वह परिवार की सम्मिलित आय में से मिली है।

इन्कम टैक्स एक के लिए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतन्त्र व्यक्तित्व माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टैक्स लगती है उसी तरह से हिन्दू संयुक्त परिवार की कुल आय पर भी टैक्स लगती है। जब परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुल आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स लगाई जाती है तो परिवार से उन्हें जो आमदनी मिली हो वह हिसाब में नहीं ली जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से कम होने से उस पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई होगी तो भी वह सदस्यों के हाथ में आने पर उस पर टैक्स नहीं लगाई जायगी। इस तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ में उस आमदनी को टैक्स लगाने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के हाथ में टैक्स लगती, चाहे वास्तव में उस पर टैक्स लगी हो या नहीं।

उद्घारण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। वह अपने पति के अविभक्त परिवार की सदस्या है। परिवार से परवरिश के लिए उसे जो रकम मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। उसी तरह निर्वाह

के लिए दिए जाने वाले रूपये वाकी पड़ जायेंगे तो जब वे मिलेंगे तो उन पर भी टैक्स नहीं लगेगी ।

अब एक पिता को लीजिए । उसका लड़का अपने नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमें से उसे (पिता को) वार्षिक अलाउस देता है । पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी उस पर उसे टैक्स देनी होगी । क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे अलाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है ।

(२)—(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का सामेदार होगा तो उसके हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जायगी :—

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक गत वर्ष में मिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड़ दी जायगी और घाटा होगा तो वह पांती बाद दे दी जायगी ।

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के किसी भाग पर टैक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर हिस्सेदारों को टैक्स नहीं देना होगा ।

(वी) एसेसी यदि संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे उस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टैक्स दे दिया गया होगा ।

यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(२) (वी की रकमों पर टैक्स नहीं लगेगी तो भी वे एमेसी की कुल आमदनी में टैक्स विषयक उसके दायित्व को जानने के लिए तथा टैक्स किस दर से लागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोड़ी जायेगी ।

१०—जीवन वीमा के सम्बन्ध में छूट

१५—(१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन वीमा के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टैक्स नहीं देना होगा,

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विषय में आगे मिलनेवाले वार्पिंक बजीफ (Deferred annuity) के कन्ट्रैक्ट के सम्बन्ध में दिया होगा और

(ग) न उस रकम पर टैक्स लगेगा जो कि चन्द्रे के रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड में दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट फण्ड एक, सन् १९२५ का लागू हो।

(२) यदि एसेसी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) उस समुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की लियों की जीवन वीमा कराने के सम्बन्ध में जो रकम दी गई होगी वह टैक्स से बरी रहेगी

(३) (क) जो रकम न० (१) और (२) के अनुसार टैक्स से बरी हैं उनकी जोड़, (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार समाट ढारा वधे हुए हृद तक तन्त्वाह में से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड एन्डटी या एसेसी के बच्चों और स्त्री के निवांह की दृष्टि से काटी गई होगी, तथा (ग) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड में नौकर ने अपने खाते में जो वधे हुए हृद तक चन्द्रा दिया होगा—इन सब की जोड़ एसेसी की कुल आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात् सब प्रीमियम मिला कर कुल आमदनी के छठे भाग तक ही टैक्स से बरी रहेगे।

परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुल प्रीमियमों के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक ₹० ६,०००] तक बाद मिल सकेंगे और एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक ₹० १२,०००] तक ही बाद मिल सकेगा ।

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुल आमदनी की छठांश थी परन्तु ₹६,०००] और ₹१२,०००] की कोई हद न थी । अब व्यक्ति और संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ₹६,०००] या ₹१२,०००] तक ही प्रीमियम के बारे में बाद मिल सकेंगे चाहे कुल आमदनी के $\frac{1}{4}$ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों । यहाँ इतना खयाल रखना चाहिए कि टैक्स देने के दायित्व को मालूम करने तथा टैक्स के रेट को मालूम करने के लिए, इस प्रकार वरी की हुई रकमें कुल आमदनी में जोड़ी जायगी और फिर उनपर एवरेज (गठ पड़ता) दर से टैक्स चापिस (Refund) दे दिया जायगा ।

—धारा: १५

? १—कुंठ आय की कूंठ करने में जो आएँ बाद दे दी जाती
या अलग रक्खी जाती हैं

१६—(१) किसी एसेसी की कुल आमदनी मालूम करने के लिए निम्नलिखित रकमे उसमें जोड़ दी जायंगी :—

(ए)-(१) वह रकम जो कि समादृ द्वारा या उसकी ओर से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की शर्तों के अनुसार इस उद्देश्य से काट ली गयी हो कि उसको बाद में वार्षिक बजीफा मिल सके या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह का प्रबन्ध हो सके ।

(२) भारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के व्याज की रकम जो कि इन्कम टैक्स से मुक्त है ।

(३) प्रांतीय सरकार द्वारा निकाली हुई किसी ऐसी जमानत के व्याज की रकम जो कि इन्कम टैक्स से मुक्त है और जिस पर प्रांतीय सरकार इन्कम टैक्स देती है।

(४) अन् रजिष्टर्ड फर्म के किसी साखेदार की पाँती में आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फर्म ने टैक्स दे दी है।

(५) किसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर कि एसोसियेशन ने टैक्स दे दी है।

(६) इन्स्योरेस के प्रीमियम के रूप में दी हुई रकमें जब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी पुरुष सदस्य या उस सदस्य की स्त्री की जीवन वीमा कराने या किसी वाद में मिलने वाले वार्पिक वजीरों के कन्ट्राक्ट के प्रीमियम के रूप में दी गयी हों।

(बी) यदि ऐसेसी किसी फर्म का साखेदार होगा तो उसका हिस्सा इस प्रकार मालूम किया जायगा :

साखेदारों को व्याज, वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के बतौर खर्च में जो रकमे लिखी गई होंगी उनको वाद देकर फर्म के नफे या नुकसान की रकम निकाल ली जायगी और साखेदारों में, हिस्से के अनुसार, उस नफे या नुकसान का घटवारा कर प्रत्येक साखेदार की पाती में आई हुई रकम मालूम कर ली जायगी। यदि यह रकम नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेतन आदि की रकमे जोड़ दी जायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो वह व्याज वेतन आदि की रकमों मे से वाद दे दी जायगी।

इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि नुकसान रहा हो तो वह आगे के वर्षों में टान कर ले जाया जायगा या अन्य कोई आय का जरिया होगा तो उससे वाद मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में विशेष विगत आगे मिलेगी। ऊपर जो कहा है उसे एक उदाहरण

द्वारा समझा देना जरुरी है। मान लीजिये बहु-खाते में १०,०००) नुकसान आता है। खर्च खाते दो सामेदारी की तनख्वाह रूप में १,२००) + १,७००) भुगताए हैं तथा सामेदारों को व्याज के रूप में २००) + ३००) दिए हैं। कुल मिलाकर २,६००) + ५००) = ३४००) सामेदारों को दिए हैं। इस रकम को खर्च में नहीं धरने से फर्म के केवल ६,६००) नुकसान रहेगा। आठ आना पांती के हिसाब से प्रत्येक के ३२००) रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले सामेदार के निम्नलिखित नुकसान रहेगा—

फर्म का नुकसान	३,३००)
वाद—	
नौकरी का १,२००)	
व्याज का <u>२००)</u>	<u>१,४००)</u>
	<hr/>
नुकसान	१,६००)

दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा—

फर्म का नुकसान	३,३००)
वाद—	
नौकरी का १७००)	
व्याज का <u>३००)</u>	<u>२,०००)</u>
	<hr/>
नुकसान	१,३००)

(सी) कभी कभी ट्रस्ट, इकरारनामे, परस्पर वेज (Covenant) या कोई अन्य व्यवस्था द्वारा जायदाद (Assets) का इस प्रकार बन्दोबस्त (Settlement or disposition) कर दिया जाता है कि जायदाद तो निज की रह जाती है पर उसकी आमदनी अन्य शाखा को मिलने लगती है। यह इसलिए किया जाता है कि उस अन्य शाखा के दूसरी आमदनी न होने से या कम होने से

टैक्स का दूर नीचा लग सके या टैक्स न लगे। इसी तरह से जायदाद (Assets) को हस्तान्तरित (Transfer) कर दिया जाता है जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने लगती है।

इस प्रकार के बन्दोबस्त या ट्रान्सफर दो तरह के हो सकते हैं। चाहे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जायदाद को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे वापिस हस्तान्तर कर देने या आमदनी या जायदाद पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालत में बन्दोबस्त या ट्रान्सफर को रिवोकेब्ल और दूसरी अवस्था में इरिवोकेब्ल कहते हैं।

बन्दोबस्त चाहे दोनों में से किसी प्रकार का हो यह कानून कर दिया है कि इस प्रकार बन्दोबस्त की हुई जायदाद की कोई भी आमदनी बन्दोबस्त करने वाले की आमदनी समझी जायगी। बन्दोबस्त चाहे ता० १ अप्रैल, ३६ के पहले किया हो या वाद में उपरोक्त नियम लागू होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त कानून तो केवल एक अपवाद है। यदि बन्दोबस्त छः वर्ष से उपरान्त समय या उस शर्ख्स के जीवन पर्यन्त 'रिवोक' नहीं किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का बन्दोबस्त किया गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से बन्दोबस्त करने वाला उस आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत में वह आमदनी बन्दोबस्त करने वाले की नहीं समझी जायगी। परन्तु जैसे ही रिवोक करने का अधिकार बन्दोबस्त करने वाले के हाथ में आ जायगा वैसे ही वह आमदनी पर टैक्स देने के लिए जिम्मेवार हो जायगा।

उसी तरह से यदि जायदाद का ऐसा हस्तान्तर किया हुआ होगा जो कि रिवोकेब्ल है तो उससे जो आमदनी होगी वह हस्तान्तर करने वाले शर्ख्स ('Transferor') की आमदनी समझी जायगी।

(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये इन्कम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुल आमदनी में सामिल की जायगी ।

(३) एक शख्स की कुल आमदनी में नीचे बताई हुई उसकी खी तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टैक्स लगायी जाती है :—

(ए) (क) वह शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस फर्म में यदि उसकी खी अथवा नावालिंग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी खी अथवा नावालिंग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो भाग मिले ।

(ख) उस शख्स ने उचित बदले (Consideration) बिना अपनी कोई मिलकियत अपनी खी के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी ।

(ग) उस शख्स ने उचित बदले बिना अपनी कोई भी मिलकियत विवाहित लड़की न हो ऐसे नावालिंग के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी ।

(बी) उस शख्स ने अपनी खी अथवा नावालिंग वालक अथवा दोनों के लाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित बदले बिना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, तो वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई आमदनी ।

—धारा : १६

१२—कई खास परिस्थितियों में टैक्स की कृत

१७—(१) नन् रेजिडेन्ट - वृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की गई हैं :—

(क) वे जो ब्रिटिश भारत, देशी राज्यों या वर्मा की प्रजा हैं, और

(ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते अर्थात् विदेशी प्रजा हैं।

प्रथम कोटि वालों पर टैक्स और सुपर टैक्स उस गडपड़ता (एवरेज) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुल आमदनी पर पड़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी तो ब्रिटिश भारत की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे एसेसी की कुल आमदनी पर टैक्स कसने का फॉरमूला इस प्रकार हैः—

$$\text{कुल आमदनी} = \frac{\text{दुनिया भर की आमदनी पर टैक्स}}{\text{पर टैक्स}} \times \text{कुल आमदनी}$$

उदाहरण स्वरूप वीकानेर रियासत के निवासी को ले लीजिए। ब्रिटिश भारत में उधार दिए हुए रुपयों से उसको ३,०००/- व्याज की आमदनी होती है। रियासत में उसको ७,०००/- की आमदनी है। और कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती। उसकी दुनिया की कुल आय १०,००० हुई। ब्रिटिश भारत में उपार्जित कुल आमदनी रुपया ३,००० पर टैक्स निश्चिलिखित होगीः—

आमदनी	दर	टैक्स
१,५००/-	—	—
३,५००/-	६ पाई प्र० रु०	= ३१,५०० पाई
५,०००/-	१ आ० ३ पा०	= ७५,००० पाई
दुनिया की कुल आमदनी १०,०००/-	कुल टैक्स	१०६,५०० पाई
३/-	...	<u>१०६,५००</u> पाई १०,०००
कुल आमदनी ३,०००/-	.	<u>१०६,५००</u> × <u>३,०००</u> पाई १०,००० = १६९८/-॥

दूसरी कोटि वाले नव रेजिडेण्ट की कुल आमदनी पर ऊँचे-से-ऊँचे (maximum) दर से इन्कम टैक्स ली जायगी तथा सुपर टैक्स उस गड़पड़ता (Average) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुल आय पर पड़ेगा । यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी ।

(२) जब कि एसेसी की कुल आमदनी में ऐसी कोई आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इन्कम टैक्स से बरी है तो उस हालत में निम्नलिखित फॉरमूले से इन्कम टैक्स देनी होगी ।

$$\begin{array}{c}
 \text{सुपरटैक्स को छोड़ कर इन्कम} \\
 \text{टैक्स जो कि कुल आमदनी} \\
 \text{खर्चों को बाद पर देना होता यदि उसमें वरी} \\
 \text{देकर बची आमदनी सामिल न होती} \\
 \text{आमदनी पर} \\
 \text{इन्कम टैक्स} \\
 = \hline
 \text{कुल आमदनी जिसमें वरी आमदनी भी सामिल है ।}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{बरी आमदनी को} \\
 \text{बाद देकर कुल} \\
 \text{आमदनी}
 \end{array}$$

उदाहरण स्वरूप किसी की कुल आमदनी १०,०००] रुपया है जिसमें १,०००] इन्स्प्रोरेन्स-प्रीमियम के हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगती । केवल ६,०००] पर ही टैक्स लग सकती है । टैक्स इस प्रकार फलाई जायगी :—

$$\begin{array}{rcl}
 10,000] \text{ पर टैक्स} & & 10,000] \text{ पाई} \\
 1) " & & \frac{10,000]}{10,000} \text{ पाई} \\
 6,000] \text{ पर } " & & \frac{10,000 \times 6,000}{10,000} \text{ पाई} \\
 & = 6,000 & \text{ पाई} \\
 & = 444\equiv ॥ &
 \end{array}$$

अकृद्यांश्च=४

कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण

१—कर अदाई के तरीके

१८—(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इन्कम टैक्स कानून में एक और तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके मार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी में से टैक्स काट लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ में आमदनी टैक्स कट कर ही आती है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं में ही इसका विधान है। यह विधान टैक्स अदा करने की सुगमता, कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्स बचा लेने की चालाकी को रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं में टैक्स उद्गम स्थान में ही काट लिया जाता है :—

(२) वृद्धिश भारत में वेतन देते समय। वेतन देने वाले को वेतन देते समय वेतन में से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स काट लेना पड़ता है।

वेतन में वे सब आमदनियाँ सामिल समझनी चाहिएँ जिन पर वेतन शीर्षक के अन्तर टैक्स लागू पड़ता है।

टैक्स और सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपडता दर से काटनी होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा।

उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८।

रुपये है। उसकी वार्षिक आय २,२५६० रुपये हुई। एवरेज दर इस प्रकार निकाला जायगा :—

आमदनी	दर	टैक्स
पहले १५००)	कुछ नहीं	रु० आ० पाई
वाद के ७५६०)	६ पाई प्र० रु०	३५ -७ ०
कुल आय २२५६०)	कुल टैक्स	३५-७ ०

$$\text{एवरेज दर होगा } \frac{35-7-0}{22560} = 3.02 \text{ पाई}$$

प्रति रुपये पीछे इसी दर से टैक्स काट लेना होगा।

वर्ष भर में रु० ३५-७-० इन्कम टैक्स के होते हैं। प्रति महीने

$$\frac{35-7-0}{12} = \text{रु० } 2.91 \text{। काट लेना होगा।}$$

इसी तरह से मान लीजिए किसी की आमदनी २८,५६० रुपये है।

इस पर सुपर टैक्स निम्न एवरेज दर से काटा जायगा।

आमदनी	दर	टैक्स
२५,०००)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
३,५६०)	-१ रु०	२२८।।
कुल आय २८,५६०)	कुल सुपर टैक्स	२२८।।

$$\text{एवरेज दर} = \frac{228।।}{28,560} = १.४६५ \text{ पाई।}$$

यदि पहले भूल से टैक्स काटनी चाकी रह गई होगी या नीचे दर से काटी गई होगी तो कर काटते समय अधिक रकम काटी जा सकेगी। यदि पहले अधिक रकम काट ली गई होगी तो कम रकम काटी जा सकेगी।

(२-ए) चाहे पूर्व में कुछ भी लिखा हो टैक्स और सुपर टैक्स काटने के लिए वेतन में वह रकम भी सामिल कर लेनी होगी

जो रकम क्राऊन द्वारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर देनी पड़े ।

इस तरह की आमदनी की रूपयों में कीमत निर्धारित विनियम दर (exchange rate) से की जायगी ।

(२-वी) वृद्धिश भारत में नहीं वसने वाले शख्स को वेतन देते समय । यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि वृद्धिश भारत का वासी नहीं है तो उस हालत में टैक्स ऊचे-से-ऊचे दर से और सुपर टैक्स उस एवरेज—गडपडता दर से काटनी होगी जो कि उसकी आनुमानिक वेतन पर लागू पड़ेगा ।

(३) जमानतों के व्याज को देते समय । जिस आमदनी पर जमानतों के व्याज के शीर्पक के अन्तर टैक्स लागू पड़ती है उसे देते समय ऊचे-से-ऊचे दर से टैक्स काट लेनी पड़ती है । परन्तु सुपर टैक्स नहीं काटनी पड़ती ।

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विषय में कोई भिन्न आदेश होगा तो उसी का पालन किया जायगा अर्थात् टैक्स नहीं काटी जायगी ।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित रूप में प्रमाण-पत्र दे कि जहाँ तक उसकी धारणा है वहाँ तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले (Recipient) की कुल आमदनी या दुनिया की कुल आमदनी इन्कम टैक्स लग सके उतनी नहीं है या उतनी नहीं जितनी पर की ऊचे-से-ऊचे दर से टैक्स लिया जा सके तो उस हालत में टैक्स नहीं काटी जायगी या कम दर से टैक्स काटी जायगी ।

ऐसा प्रमाण-पत्र दरखास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है । उचित समझौते पर इन्कम टैक्स ऑफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा । यह प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद्द नहीं कर दिया जायगा ।

उपधारा २-बी के अनुसार बेतन की आमदनी देने वाले पर भी यह बात लागू पड़ती है।

(३-ए) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को व्याज या अन्य रकम देते समय । जमानतों के व्याज को छोड़ कर अन्य व्याज या ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक के अनुसार टैक्स लगती है, बृटिश भारत में नहीं बसने वाले शख्स को देते समय ऊंचे-से-ऊंचे दर से इन्कम टैक्स काट लेनी होगी । परन्तु यदि व्याज देने वाला खुद ही एजेन्ट के बतौर टैक्स के लिए दायक है तो उसे टैक्स नहीं काटनी होगी ।

(३-बी) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वर्ष में किसी शख्स की, जो बृटिश भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुल आमदनी सुपरटैक्स लग सके उतनी है तो उस हालत में वह उपधारा (३-ए) के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश कर सकता है, जो दूर इन्कम टैक्स ऑफिसर दुनिया की कुल आमदनी को दृष्टि में रख कर निश्चित करे ।

(३-सी) उप धारा ३-ए के अनुसार व्याज या अन्य रकम देनेवाला वर्ष में कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टैक्स लगती हो तो उस हालत में उसे नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा ।

यदि इस प्रकार व्याज या अन्य रकम देनेवाले को यह विश्वास करने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का वासी है, तो उस हालत में वह सुपर टैक्स नहीं काटेगा ।

उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३-बी) के अनुसार

उसे नहीं मिला होगा । यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार सुपर टैक्स काटना होगा ।

(३-बी) बृद्धि भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड देते समय । उपधारा (३-बी) की परिस्थिति में इन्कम टैक्स ऑफिसर किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टैक्स काट ले ।

(३-ई) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष में कुल मिला कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इन्कम टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स लग सके उतनी रकम हो तो उस हालत में कम्पनी को नियमित दर से सुपर टैक्स काट लेना होगा ।

उपरोक्त रूप से सुपर टैक्स उसी अवस्था में काटा जायगा जब कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बृद्धि भारत का बासी नहीं है ।

उस हालत में जब कि अमुक दर से सुपर टैक्स काटने का लिखित आदेश इन्कम टैक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश द्वारा हुए दर से काटा जायगा ।

(४) इस पैरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायेगी वे किसी एसेसी की आमदनी की कूँत करते समय उसके द्वारा प्राप्त आमदनी समझी जायगी ।

(५) इस पैरा के अनुसार जो रकम काटी जायेगी वह जिस शख्स की आमदनी में से काटी जायेगी उसकी ओर से या जमानतों के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रकम समझी जायगी और इस एक के अनुसार आगे के वर्ष के लिए कर की कूँत करते समय उसको जमा समझा जायगा ।

उस रकम के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बात लागू होगी जिस रकम से कि धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार डिविडेन्ड बढ़ाया गया हो ।

यदि ऐसे शख्स ने या मालिक ने इस प्रकार काटी हुई टैक्स के किसी अंश को वापिस प्राप्त कर लिया हो तो जो रिफण्ड की रकम होगी उसको वाद नहीं दिया जायगा ।

यदि ऐसा शख्स या मालिक ऐसा शख्स होगा जिस की आमदनी धारा १६ की उपधारा (१) सी या उपधारा (३), धारा ४४ ही या धारा ४४ इ के विधानानुसार किसी अन्य शख्स की आमदनी में जोड़ी जाती हो तो यह अन्य शख्स ही वह शख्स या मालिक समझा जायगा जिसकी ओर से टैक्स दी हुई समझी जायगी और वाद के वर्ष में कर लगाते समय यह टैक्स उसकी जमा समझी जायगी ।

(६) इस पैरा के अनुसार जो रकमे काटी जायेंगी वे निर्धारित समय के अन्दर काटने वाले को केन्द्रिय सरकार के खाते में जमा करा देनी होगी ।

या केन्द्रिय वोर्ड ऑफ रेभीन्यू के आदेशानुसार दे देनी होगी ।

(७) इस पैरा के अनुसार यदि कोई शख्स टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा तो टैक्स उस में वाकी समझी जायगी । यही बात उस कम्पनी के सम्बन्ध में समझी जायगी जिसका प्रधान ऑफिसर टैक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा ।

इसके सिवा अन्य परिणाम से भी वह बरी नहीं हो सकेगा ।

इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार किसी दण्ड को ऐसे शख्स से अदा करने का आदेश उस समय तक

नहीं देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न हो जाय कि टैक्स न काटने और जमा न देने में इच्छा कर गलती की गई हो ।

(८) इस पैरा के अनुसार काट कर टैक्स अदा के अधिकार से टैक्स अदा में किसी अन्य तरीके को काम में लाने में कोई वाधा नहीं आयगी ।

(९) उपधार, (३-ए), (३-बी) (३-सी), (३-डी) या (३-इ) के अनुसार टैक्स या सुपर टैक्स काटने वाला शख्स, उस शख्स को, जिसे टैक्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय का देगा कि इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स काट ली गई है । उस में इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गये हैं, किस दर से टैक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विवरण दिया जायगा ।

—धारा : १८

२—इन्कम टैक्स की अदाई का अन्य तरीका

१९—इन्कम टैक्स एक में कर अदा करने के दो तरीकों की व्यवस्था है : (१) कई अवस्थाओं में आमदनी देने वालों को ही टैक्स काट कर उसे जमा दे देनी पड़ती है । उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय मालिक को टैक्स काट लेनी पड़ती है । किन-किन अवस्था में टैक्स इस प्रकार कटवा कर अदा की जाती है वह एक की धारा १८ में दी हुई है तथा उसका खुलासा ऊपर पैरा १८ में कर दिया गया है ।

(२) जिन अवस्थाओं में उपरोक्त रूप से टैक्स काट लेने का कानून नहीं है तथा उपरोक्त रूप से टैक्स नहीं काटा गया है उन अवस्थाओं में टैक्स सीधे एसेसी से अदा की जाती है ।

—धारा: १९

३—डिविडेण्ड के सम्बन्ध में सूचना देना।

१६-(ए)—प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह सूचना दे देनी पड़ती है कि कम्पनी के द्वारा पूर्व वर्ष में किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक डिविडेण्ड दिया गया है। साथ में इन शेयर होल्डर के पूरे पते भी देने पड़ते हैं और यह बता देना पड़ता है कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गयी है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फॉर्म पर लिख कर देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्वीक (Verify) कर देना पड़ता है।

—धारा : १६-ए

४—शेयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट

२०—डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को सार्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा बाटा जा रहा है उसकी टैक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। यह प्रमाण-पत्र इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा उसमें उन सब वातों का व्यौरा दे देना होगा जो कि देने का नियम होगा।

—धारा : २०

५—व्याज सम्बन्धी सूचना।

(२०-ए) व्याज देनेवाले प्रत्येक शरण्स को ता० १५ जून तक इन्कम टैक्स ऑफिसर को उन सब लोगों के नाम दे देने पड़ेंगे जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष में अर्थात् गत आर्थिक वर्ष में ४००)

से अधिक व्याज दिया होगा। साथ में ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि कुल मिला कर किसको कितनी रकम दी गई है।

यह सूचना इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित फॉर्म पर लिख कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (Verify) कर देना होगा।

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी।

—धारा : २०-ए

६.—वापिंक रिटर्न

२१—प्रत्येक वर्ष मार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान आॊफिसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता (employer) को एक रिटर्न भर कर अमुक इन्कम टैक्स ऑफिसर को भेजना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :—

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक मालूम हो पत्ते जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनों' के शीर्षक के अन्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी,

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कव-कव दिए गये या बाकी हुए

(सी) इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के सम्बन्ध में जो रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो।

यह रिटर्न इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित किए हुए फोर्म पर देनी होगी तथा उस पर हस्ताक्षर कर तस्वीक (Verify) कर देना होगा ।

—धारा : २१

७—आमदनी की रिटर्न :

२२—(१) हर वर्ष तारीख १ मई के दिन या उसके पहिले इन्कम टैक्स ऑफिसर अखबारों में प्रकाशित कर और नियमित रूप से प्रकाशित एक नोटिस द्वारा सब आदमियों (persons) को जिनकी 'कुल आय' टैक्स लग सके उतनी होगी, अपनी आय की तालिका (return) भर कर पेश करने का आदेश करेगा ।

नोटिस में रिटर्न भरने की जो मियाद रहेगी उसके अन्दर ही उसे भर कर पेश कर देना होगा । यह मियाद साठ दिन से कम की नहीं रहेगी ।

इन्कम टैक्स ऑफिसर अपनी इच्छा से रिटर्न पेश करने की तारीख को आगे बढ़ा सकेगा । यह तारीख किसी अमुक शख्स के लिए या अमुक शख्सों की श्रेणी के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

रिटर्न में 'गत वर्ष' सम्बन्धी कुल आय और दुनिया की आमदनी दिखानी होगी तथा अन्य वे सब विवरण भी लिख देने होंगे जो कि नोटिस द्वारा मांगे जायंगे । रिटर्न इन्कम टैक्स कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा । रिटर्न फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसरों से मिल सकेंगे ।

रिटर्न को नियमित रूप से तस्वीक कर देना होगा ।

(२) उस हालत में जब कि इन्कम टैक्स ऑफिसर सोचे कि अमुक शख्स की कुल आय टैक्स लग सके उतनी है तो वह उसको नोटिस दे सकता है कि वह अमुक मियाद के अन्दर उपरोक्त

दंग से रिटर्न पेश करे। इस प्रकार दी हुई मियाद कम-से-कम ३० दिन की रहेगी।

इन्कम टैक्स ऑफिसर अपने विचार से रिटर्न पेश करने की तारीख बढ़ा भी सकता है।

(३) किसी शख्स ने उपधारा (१) या (२) की मियाद के अन्दर रिटर्न पेश नहीं किया होगा या रिटर्न पेश कर चुकने पर उसको कोई बात छूट जाने का या गलत लिखे जाने का अन्देशा होगा तो वह शख्स एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न टैक्स लगाए जाने के पहिले किसी भी समय दाखिल कर सकते गए।

(४) उपधारा (१) के अनुसार नोटिस देने पर जिसने रिटर्न पेश कर दिया हो या जिसको उपधारा (२) के अनुसार नोटिस दे दिया गया हो उसको नोटिस देकर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि वह नोटिस में दी हुई तारीख पर सब हिसाब-किताब (Accounts) तथा दस्तावेज पेश करे। नोटिस में लिखा रहेगा कि किस-किस वर्ष के और क्या-क्या वही खाते पेश किए जायें।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन्कम टैक्स ऑफिसर गत वर्ष (Previous year) के पूर्व के तीन वर्षों के हिसाब से सम्बन्ध रखनेवाले खाते-पत्र ही मंगा सकता है।

(५) जो शख्स कारवार, पेशे या रोजगार को करता होगा उसको आय की रिटर्न के साथ—कारवार के प्रमुख स्थान और शाखाओं के नाम और ठिकानों का पूरा विवरण देना होगा।

सामेदारी होने पर प्रत्येक सामेदार का नाम, ठिकाना, हरेक ब्रांच के सामेदारों के नाम-ठिकाने, अपनी पाती और सामेदारों की पांती का ब्यौरा देना होगा।

८—आमदनी की कूत और टैक्स

२३—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष हो जाने पर कि पैरा २२ के आदेशानुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध और संपूर्ण है वह एसेसी की कुल आय पर टैक्स लगायगा और रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये टैक्स के देने होंगे ।

(२) जिस शख्स ने रिटर्न पेश की है उसके हाजिर हुए विना अथवा सबूत पेश किए बिना इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस बात का संतोष नहीं हो कि रिटर्न संपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत में वह एक नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस में सूचित तारीख पर उपस्थित होने या सब गवाही प्रमाण जिस पर कि वह अपने रिटर्न के समर्थन के लिए निर्मर करता है पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा ।

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा उसमें लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुई साखी-सबूत तथा वह सब गवाही प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर चाहेगा, ले लेने के बाद लिखित हुक्म द्वारा एसेसी की कुल आय की कूत करेगा और कूत की हुई आय के आधार पर जो टैक्स एसेसी को देनी होगी उसका निश्चय करेगा ।

(४) यदि कोई शख्स पैरा २२ की उपधारा (२) के आदेशानुसार रिटर्न भरने में चूक करता है और उसी पैरा की उपधारा (३) के मुताबिक एक रिटर्न या दुहराया हुआ रिटर्न नहीं भरता या उसी पैरा की उपधारा (४) के अनुसार जारी किए नोटिस की सब बातों (terms) के अनुसार कार्रवाही नहीं करता या रिटर्न दाखिल कर देने के बाद इस पैरा की उपधारा (२) के अनुसार जारी किए

नोटिस की सब वानों को पूरा नहीं करता तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर अपनी समझ से जहाँ तक ठीक अनुमान हो सके गा उसकी कुल आय की कूट करेगा और इस प्रकार कूट की हुई आय पर ही एसेसी को कितनी टैक्स देनी होगी इसका निश्चय करेगा ।

और यदि एसेसी एक फर्म होगा तो इन्कम टैक्स ऑफिसर इसे रजिस्ट्री करना नामज्ञर कर सकता है और यदि उस फर्म की रजिस्ट्री हो चुकी होगी तो रजिस्ट्रेशन खारिज कर सके गा ।

परन्तु फर्म का रजिस्ट्रेशन उस समय तक खारिज नहीं किया जायगा जब तक कि इन्कम टैक्स ऑफिसर को, फर्म के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के इरादे का नोटिस भेजे हुए १४ दिन से अधिक नहीं हो चुके होंगे ।

(५)-ए रजिस्ट्री किए हुए फर्म पर कोई टैक्स नहीं लगाई जायगी । केवल उसकी आमदनी और मुनाफा मालूम किया जायगा । प्रत्येक हिस्सेदार के गत वर्ष के अन्य नफे के साथ पिछले वर्ष में उसके पाती आया हुआ फर्म का नफा जोड़ कर उसकी कुल आमदनी कूंती जायगी और इस प्रकार कूंती हुई कुल आमदनी पर सीधा हिस्सेदार पर टैक्स लगा दिया जायगा । यदि रजिस्ट्र्ड फर्म के हिस्से से किसी साखेदार के भाग में नुकसान आयगा तो प्रत्येक हिस्सेदार की पाती का नुकसान उसकी अन्य आमदनी में से वाद मिल सके गा । यदि दूसरी आमदनी कम होने से पूरा नुकसान किसी वर्ष वाद नहीं दिया जा सके गा तो अवशेष नुकसान आगे के ही वर्षों तक टान कर ले जाया जा सके गा ।

पहला वर्ष १, अप्रैल, १९३६ से गिना जायगा । इसका विशेष विचरण आगे पैरा २४ में दिया है । परन्तु इस तरह जो नुकसान टान कर आगे ले जाया जा सके गा वह उसी कारबार, पेशे या रोजगार के नफे में से वाद दिया जा सके गा जिससे कि नुकसान हुआ है ।

यदि रजिस्टरी किए हुए फर्म का कोई हिस्सेदार ब्रिटिश भारत में नहीं रहने वाला (non-resident) होगा तो फर्म की आमदनी, मुनाफे और प्राप्ति में उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध में फर्म पर उसी दर से टैक्स लगाई जायगी जो दर की पाती वाल को निज में देना होगा। जो टैक्स इस प्रकार लगाई जायगी वह फर्म को देनी होगी।

(बी) — साधारण तौर पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की आय पर टैक्स फर्म पर लगाया जायगा। ऐसे फर्म में यदि नुकसान होगा तो उस फर्म की ही अन्य आय में से वह बाद पड़ सकेगा, परन्तु फर्म के किसी हिस्सेदार की आमदनी, मुनाफे और प्राप्ति में से बाद नहीं दिया जा सकेगा। किसी-किसी परिस्थिति में ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किया फर्म समझ रजिस्ट्री किए फर्म के छग से टैक्स लगावे, ऐसी परिस्थिति में उस विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामीदारों को भी वे ही हक प्राप्त होंगे जो कि एक रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदारों को प्राप्त है।

उस परिस्थिति में जब कि इन्कम टैक्स ऑफिसर सोचे कि किसी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर सामेदारों पर टैक्स लगाने से टैक्स और सुपर टैक्स की रकम विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की और व्यक्तिगत रूप से सामेदारों की सम्मिलित टैक्स की रकम से अधिक आयगा बनिस्पत उसके कि फर्म पर विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की वत्तौर टैक्स लगाया जाय, तो उस हालत में वह विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को स्वेच्छा से रजिस्ट्री किया हुआ फर्म मान कर टैक्स लगा सकेगा।

६—घाटे का वाद पाना।

- २४—(१) यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) जमानतों पर व्याज, (३) स्थावर मिलकियत—जायदाद की आय (४) कारबार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य जरिए इन सभ साधनों से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है।

यदि किसी वर्ष में किसी ऐसेसी को साधनों के उपरोक्त शीपकों में से किसी शीर्पक के नीचे नुकसान होगा तो उसको हक होगा कि नुकसान की रकम उसी वर्ष की अन्य शीर्पक की आमदनी, मुनाफ़ या लाभ से वाद पावे।

यदि ऐसेसी एक विना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो ऐसा नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाफ़ या लाभ से ही मुजरा मिलेगा, उस फर्म के किसी सामेदार की आमदनी, मुनाफे और लाभ से नहीं। यदि ऐसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म की अन्य आमदनी, मुनाफे और लाभ से मुजरा नहीं हो सकेगा तो फर्म के सामीदारों में भाग कर लिया जायगा और वे ही इस धारा के अनुसार मुजरा पाने के हकदार होंगे।

कभी-कभी विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह मान कर फर्म पर टैक्स न कर सामेदारों पर टैक्स लगाने का अधिकार इन्कम टैक्स ऑफिसर को है। ऐसा करने पर नुकसान का मुजरा विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामेदारों को अपनी आमदनी, मुनाफे और लाभ से भी मिल सकेगा।

(२) यदि किसी वर्ष में (शुल्क का वर्ष वह माना गया है जिसके नफे की टैक्स सन्, १९४० की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में ली जायगी) किसी ऐसेसी को कारबार, पेशे और रोजगार के मुनाफे और लाभ के शीर्पक से नुकसान होगा और वह दूसरे

शीर्षक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और लाभ से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा बाद नहीं दिया जा सका हुआ नुकसान आगे है वर्षों तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कारबार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और लाभ से बाद दिया जायगा। परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वर्षों के बाद पूरा लागू होगा। आर्थिक वर्ष १९३८-३९, से आर्थिक वर्ष १९४२-४३ तक के वर्षों का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पाँच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा।

ऐसेसी यदि रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्सेदारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर ले जाने और मुजरा पाने का हक न होगा; न बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान कर ले जाय और निजी आमदनी से मुजरा पावे। यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की टैक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी तब इस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के सामेदारों को भी अपनी आमदनी से अपने हिस्से में आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा।

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय और वह जारी न रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा।

किसी फर्म के संगठन (Constitution) में परिवर्तन हो जाने पर तथा एक शर्ख्स के दूसरे शर्ख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो) उस शर्ख्स को छोड़ जिसके नुकसान हुआ है और किसी शर्ख्स को नुकसान बाद पाने का हक नहीं होगा।

(३) मुजरा पाने लायक नुकसान मालूम पड़ने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित हुकम द्वारा ऐसेसी को सूचित करेगा कि उसने कितना नुकसान कूटा है।

एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। एक कम्पनी अपने कारबार से निश्च रूप से लाभ और नुकसान करती है। वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमें उपरोक्त सुधार लागू है और वर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ में टैक्स लगाया जाता है।

	लाभ या नुकसान	रकम
वर्ष १,	नुकसान	२५,०००/-
वर्ष २,	नफा	२०,०००/-
वर्ष ३,	नुकसान	२५,०००/-
वर्ष ४,	नुकसान	१५,०००/-
वर्ष ५,	नफा	३०,०००/-
वर्ष ६,	नुकसान	३०,०००/-
वर्ष ७,	नफा	२०,०००/-

वर्ष २ में : वर्ष १ में नुकसान होने से कोई टैक्स नहीं लगेगी और नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ३ में ले जाया जायगा)

वर्ष ३ में : वर्ष २ में २०,०००/- का नफा है इसमें से २०,०००/- वर्ष १ के नुकसान के मुजरा मिलेंगे। कोई टैक्स नहीं लगेगी। नुकसान के अवशेष ५,०००/- आगे के वर्ष में टान कर नहीं ले जाए जायेंगे।

वर्ष ४ में : वर्ष ३ में ₹२५,०००/- का नुकसान है, यह अधिक से-अधिक तीन वर्षों तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात् वर्ष ५, ६ और ७ तक)

वर्ष ५ में : वर्ष ४ में ₹१५,०००/- नुकसान है जो कि चार वर्ष तक अर्थात् वर्ष ६, ७, ८, और ९ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा।

वर्ष ६ में : वर्ष ५ में ₹३०,०००/- का नफा है, उसमें से ₹२५,००० वर्ष ३ का नुकसान बाद दे दिया जायगा और वर्ष ४ के नुकसान

से ५,००० बाद दे दिया जायगा। टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ४ के नुकसान में बाकी १०,०००] वर्ष ७, ८ और ९ तक बाद मिल सकेंगे।

वर्ष ७ में : वर्ष ६ में ३०,०००] का नुकसान है यह अधिक-से-अधिक है वर्ष अर्थात् वर्ष १३ तक बाद मिलेगा।

वर्ष ८ में : वर्ष ७ में २०,०००] का मुनाफा है जिसमें से वर्ष ४ के नुकसान का बाकी रूपया १०,०००] बाद दे दिया जायगा और १०,०००] वर्ष ६ के नुकसान का बाद दे दिया जायगा और कोई टैक्स नहीं लगेगी और वर्ष ६ के नुकसान के बाकी रूपये २०,००० आगे ५ वर्ष तक टन कर ले जायेंगे।

—धारा : २४

२४-वी —(१) किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रतिनिधि (एफजीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आदि) को मृतक की सम्पत्ति (Estate) से मृतक पर लगाई गई, टैक्स चुकानी पड़ेगी।

(२) यदि मृत्यु, धारा २२ की उपधारा (१) के अनुसार नोटिस प्रकाशित होने या धारा २२ की उपधारा (२) के अनुसार या धारा ३४ के अनुसार नोटिस तामिल होने के पहले ही हो जायगी तो मृतक के प्रतिनिधि को, धारा २२ (२) या धारा ३४ के नोटिस तामिल करने पर, उनका पालन करना होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की कुल आमदनी पर ठीक उसी तरह से टैक्स लगायगा मानो प्रतिनिधि ही ऐसेसी है।

(३) यदि मृत्यु, धारा २२ के अनुसार नोटिस तामिल होने के बाद हो और ऐसेसी ने नोटिस के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया हो या रिटर्न पेश किया हो परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास इसे गलत और अधूरा समझने का कारण हो तो इन्कम टैक्स ऑफिसर मृतक की

कुल आय की कूत कर टैक्स लगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर तामिल करने होते, उनको धारा २२ और २३ के विवानानुसार हिसाब-किताब, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की आज्ञा करेगा ।

ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध में, जो कि जीवित नहीं हैं और जिन पर टैक्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद लागू नहीं है। कानून में ऐसा सशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक की जायदाद से उस नके, आमदनी और लाभ पर टैक्स देने के दायक हैं जो नफा की रिटर्न भर कर दिखाया जाना चाहिए था और जो ४ या ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया । इस तरह मृतक की सम्पत्ति उन सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेवाजी या 'गलती के कारण लगाए जायंगे और जिन के लिए कि मृतक जीवित होने पर दायक होता । पहले ऐसा समझा जाता था कि छूटी हुई आमदनी पर टैक्स जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक की सारी जिम्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु अब यह बात नहीं है । मृतक की गलती या धोखेवाजी के लिए उसकी सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी ।

—धारा : २४ वी

१०—वंद किए हुए कारबार पर टैक्स निरूपण

२५-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हैं (१) वे जिन से इन्कम टैक्स एक सभ. १६१८ के अनुसार कभी टैक्स न लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक के अनुसार कभी टैक्स लिया गया हो ।

यदि पहली कोटि का कोई कारबार आदि किसी वर्ष बंद कर दिया जाय तो उस वर्ष जो टैक्स 'गत वर्ष' की आमदनी के आधार पर लिया गया होगा उसके उपरांत 'गत वर्ष' के शेष और कारबार आदि बंद करने की तारीख के बीच में जो आमदनी हुई होगी उसपर टैक्स और लिया जा सकेगा।

(२) कारबार आदि बंद करने की सूचना कारबार बंद करने के १५ दिन के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को दे देनी होगी। ऐसी सूचना देने में गलती करने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर आदेश कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो सकती है जितनी कि गत वर्ष के बाद से कारबार आदि बंद करने की तारीख तक हुई आमदनी पर बाद में टैक्स की रकम हो।

(३) यदि बंद किया हुआ कारबार आदि दूसरी कोटि का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारबार आदि के बंद करने की तारीख के बीच की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। ऐसेसी इस बात का भी दावा (Claim) कर सकता है कि इस अधिकारी की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समझी जाय। इस प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अधिकारी की आमदनी के आधार पर टैक्स लिया आयगा और यदि गत वर्ष के सम्बन्ध में ली हुई टैक्स इस प्रकार लगाई हुई टैक्स से अधिक होगी तो दोनों टैक्स की रकमों में जो फर्क होगा वह वापिस कर दिया जायगा।

(४) यदि कारबार दूसरी कोटि का होगा और कोई शख्स इण्डियन इन्कम टैक्स (संशोधन) एक, १६३६ के लागू होने के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स का उत्तराधिकारी हो और यह जो परिवर्तन हो वह केवल फर्म के संगठन में (Constitution) परिवर्तन मात्र न हो तो उस हालत में 'गत वर्ष' की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के बीच की

अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शाखा को कोई टैक्स नहीं देनी होगी और वह इस बात का भी दावा कर सकेगा कि इस अवधि की आमदनी ही 'गत वर्ष' की आय समझी जाय। यदि ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टैक्स उन अवधि की आमदनी के आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत वर्ष' की आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक होगी तो दोनों में फर्क होगा उर्तनी रकम बायिस कर दी जायगी।

(५) उपरोक्त दावा कारबाह आहि घट करने या उत्तराधिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही उसकी सुनाई की जायगी।

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अनुसार टैक्स लगानी होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर, उस शाखा को या फर्म होने पर उसके किसी सामेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को उसी तरह का नोटिस देगा जैसा कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया दिया जाता है और वाद की कार्रवाही जैसे होती है वैसे ही की जा सकेगी।

—धारा : २५

१?—हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर निष्पत्ति

२५-ए—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस बात का दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों में वैटवारा हो गया है तो इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर उचित जाँच पड़ताल करेगा। और यदि उसे इस बात का सन्तोष हो जायगा कि समुक्त परिवार की मिलकियत सदस्यों में या सदस्यों के दलों में निश्चित अंशों में विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुक्म लिखेगा।

ऐसा करने के पहले जाँच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के सब सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा ।

(२) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुल आमदनी की कृत उसी प्रकार करेगा मानो कोई बैटवारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का दल इस आमदनी पर लगाई हुई इन्कम टैक्स के उतने हिस्से के लिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से में आई हुई सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा ।

धारा १४ (१) में विधान है कि एक ऐसी रकम कं सम्बन्ध में टैक्स नहीं देनी पड़ेगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य होने के नाते मिलेगी । पर यह विधान यहां लागू नहीं होगा ।

उपरोक्त टैक्स की जिम्मेवारी उस टैक्स के उपरान्त है जो कि परिवार के सदस्य को या सदस्यों के दल को अलग देनी पड़ती हो ।

उपर में जो कुछ लिखा है वह उस हालत में भी लागू होगा जब कि कोई शख्स, ऐसे कारबार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी होगा जो कि पहले एक ऐसे हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता था, जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके बाद बाटी गई हो जिस दिन तक की संयुक्त परिवार ने कारबार चलाया । और इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों के दलों पर इस प्रकार कर लगायगा ।

संयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुल आमदनी पर कूट की गयी टैक्स के लिए सब सदस्य और या सदस्यों के दल जिनकी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बाटी गयी है, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से दायेंक रहेंगे ।

(३) यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा उपरोक्त हुक्म नहीं किया गया होगा तो इस कानून के प्रयोजन के लिए वह परिवार संयुक्त परिवार माना जायगा ।

—धारा : २५-ए

१२-फर्म के संगठन में परिवर्तन

२६—(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यह मालूम दे कि किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ है या एक फर्म नए तौर पर संगठित हुआ है तो कर लगाते समय फर्म पर जिस रूप में वह संगठित होगा, कर लगाया जायगा ।

सामेदारों की कुल आमदनी में सामिल करने के लिए गत वर्ष की आमदनी उन सामेदारों में भाग की जायगी जो उस गत वर्ष में उसको पाने के हक्कदार थे ।

यदि किसी सामेदार पर लगाई हुई कर उससे अदाई नहीं की जा सकेगी तो वह फर्म से, जिस रूप में कि वह कर लगाते समय संगठित रहेगा, अदाई की जायगी ।

(२) जब कि कारबाह आदि में लो हुए शाखा का कोई दूसरा शाखा उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शाखा और ऐसे दूसरे शाखा पर, गत वर्ष की आमदनी आदि में उसका जो वास्तविक हिस्सा होगा, उसके आधार पर टैक्स लगाया जायगा । परन्तु कर लगाते समय धारा २५ (४) का पूरा खायाल रखना जायगा ।

उस हालत में जब कि उस शाखा का पता नहीं लगेगा जिसका उत्तराधिकार हुआ है तो उस वर्ष के उस दिन तक के नके पर कर, जिस वर्ष में जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नके की कर उस शाखा पर लगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी हुआ होगा ।

यदि उस शख्स से टैक्स अदाई नहीं की जा सकेगी जिसका उत्तराधिकार हुआ होगा तो वह टैक्स उत्तराधिकारी को देनी होगी और उससे अदा की जा सकेगी। और इस प्रकार जो टैक्स दी गई होगी उसे उस व्यक्ति से अदा करने का हकदार होगा जिसका कि वह उत्तराधिकारी हुआ है।

—धारा : २६

२६—ए सामेदारी उन शख्सों के बीच का सम्बन्ध है जिन्होंने परस्पर में, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सबके लिए चलाए जानेवाले कारबार के नफे को बांटने का ठहराव कर लिया हो।

जिन शख्सों में इस प्रकार का ठहराव होता है उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हिस्सेदार कहते हैं और समुचित रूप से फर्म कहते हैं

‘सामेदार’ शब्द में वह शख्स भी सामिल है जो कि नावालिंग होने से सामेदारी के फायदों में भागीदार किया गया है।

इन्कम टैक्स एक के अनुसार फर्म दो तरह के समझे जाते हैं—(१) रजिष्टर्ड और (२) अन् रजिष्टर्ड।

फर्म के सामेदारों में अगर ऐसी लिखा-पढ़ी हो जिसमें कि सामेदारों के अलग-अलग हिस्से लिखे हुए हों तो उनकी ओर से इन्कम टैक्स ऑफिसर को इस कानून तथा इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स सम्बन्धी अन्य कानूनों के प्रयोजनों के लिए फर्म को रजिस्ट्री करने की दखास्त दी जा सकती है। इन्कम टैक्स ऑफिसर इस दखास्त पर जैसा उचित समझेगा वह विचार करेगा। अलीकेशन मंजूर कर लेने पर फर्म रजिष्टर्ड माना जाता है। यहाँ यह स्मरण में रखने की बात है कि इण्डियन पार्टनरशिप एक के मात्रत जो फर्म रजिस्ट्री कराई जाती है उसका उपरोक्त रजिस्ट्री के साथ कोई सम्बन्ध

नहीं है। इन्कम टैक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिस्ट्री हुआ समझा जाता है जो कि इन्कम टैक्स एक की इस धारा के अनुसार रजिस्ट्री कराया गया हो।

जो फर्म इस तरह रजिस्ट्री कराया हुआ नहीं होता उसे बिना रजिस्ट्री कराया हुआ फर्म कहते हैं।

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :—

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर के समुख एक दरखास्त करनी पड़ती है।

(२) दरखास्त उस रूप में करनी पड़ती है जो कि इन्कम टैक्स रूल ३ में दिया हुआ है।

(३) दरखास्त के साथ सामेदारी की लिखापढ़ी और उसकी एक नकल नस्थी करनी पड़ती है।

अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि किसी यथोचित कारण से मूल लेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा सकती तो लेखापढ़ी की एक (Certified) नकल और एक सादी नकल दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी।

(४) ऐसी दरखास्त पाने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास हो जायगा कि वास्तव में फर्म है और उसका संगठन लेखापढ़ी के अनुसार है, और दरखास्त ठीक तरह से की गई है तो लेखापढ़ी या सरटीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमें यह भी लिख देगा कि यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है।

यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दरखास्त को लिखित हुक्म द्वारा नामंजूर कर देगा और हुक्म की एक नक्ल दरखास्त करने वालों को दे देगा।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद—मूल लेखापढ़ी या सर्टीफाइड कापी वापिस लौटा दी जायगी ।

उस वर्ष के लिए कर लगाने के सम्बन्ध में ही यह सार्टीफिकेट काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा ।

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिकेट फिर से (renew) कराई जा सकेगी ।

फर्म रजिस्ट्री कर लेने पर अगर इन्कम टैक्स ऑफिसर को मालूम हो कि वास्तव में फर्म नहीं है तो वह रजिष्ट्रेशन रद्द कर सकता है ।

—धारा : २६ ए

२७—धारा २२ (२) के अनुसार आमदनी का फोर्म (return) भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन वही खाते या साखी सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी के प्रति इकतरफी कार्रवाही कर उसे उचित मालूम दे वह टैक्स लगा सकता है । एसेसी यदि फर्म हो तो रजिष्ट्रेशन रद्द कर सकता है या उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है । यह ऊपर दिखाया जा चुका है । ऐसी इकतरफी कार्रवाही उस अवस्था में रद्द कराई जा सकती है जब कि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात् ‘डिमान्ड नोटिस’ के जारी होने के एक महीने के अन्दर इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि—

(१) वह किसी समुचित (Sufficient) कारण से धारा २२ के अनुसार मांगी गई रिटर्न भरने से रोका गया ।

(२) धारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई नोटिस नहीं मिला या इन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से वह इन नोटिसों पर अमल करने से रोका गया ।

उपरोक्त हालतों में पहले के हुम्म को रद्द कर इन्कम टैक्स ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टैक्स लगायगा।

पुराने कानून में भी इकतरफी कार्रवाही रद्द कराने का उपरोक्त तरीका था परन्तु अब ऐसे इकतरफे हुम्म के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील भी की जा सकती है।

—धारा : २७

१३—आमदनी छिपाने या नफे का बैटवारा अनुचित

दण से करने से दण्ड

२८—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को इस एकट के अनुसार कोई कार्रवाही करते समय विश्वास हो कि किसी शास्त्र ने :

(ए) वाजवी (reasonable) कारण बिना धारा २२ अथवा धारा ३४ के नोटिस की आशा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजा, अथवा समय पर नहीं भेजा, अथवा जिस प्रकार भरना चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत में इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की रकम से १५ रकम तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

(बी) वाजवी कारण बिना धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं किया अथवा

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा जानबूझ कर आमदनी के सम्बन्ध में गलत विवरण दिया है तो उस हालत में टैक्स की जो रकम होगी उसके उपरान्त रिटर्न में दिखाए हुए नफे को ठीक मानने से इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स की जितनी रकम कम मिलती उसके १० गुण तक दण्ड लगाया जा सकेगा।

परन्तु यदि

(अ) एक शख्स की कुल आय ₹० ३,५००] से कम होगी तो रिटर्न भर कर नहीं देने के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटर्न फोर्म भर कर भेजने के लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो दण्ड लगाया जा सकेगा।

(आ) कोई शख्स धारा २२ (२) अथवा ३४ के अनुसार नोटिस मिलने पर रिटर्न फोर्म भर कर नहीं भेजे, और वह यह सावित कर दे कि उसकी आमदनी कर लगाई जा सके जितनी नहीं है तो उस हालत में उस पर २५] से अधिक दण्ड नहीं किया जा सकेगा।

(इ) बृद्धि भारत में नहीं वसनेवाले (non-resident) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप से टैक्स देने का दायक होगा उस पर धारा २२ के अनुसार रिटर्न न भरने पर दण्ड नहीं लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो।

(२) रजिस्टर्ड फर्म की आय सामेदारी की लिखापढ़ी में दिखाए हुए सामेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं बाट कर अन्य तरह से बाटी गई होगी तो उस हालत में दण्ड की सजा करने के उपरान्त सामेदारों को रिफण्ड भी नहीं दिया जायगा।

(३) दण्ड की सजा करने के पहिले एसेसी की आपत्ति को सुन लेना होगा

(४) जिस गुन्हा के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर दी गई होगी उसी गुन्हा के लिए उस पर अन्य कानूनी कार्रवाही नहीं की जा-सकेगी।

(५) अपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्वर या कमिश्वर जिसने की दण्ड का हुक्म किया होगा, इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास अपने हुक्म की नकल भेजेगा ।

(६) इन्कम टैक्स ऑफिसर इन्सपेक्टिंग एसिस्टेण्ट कमिश्वर की स्वीकृति लिए बिना दण्ड की सजा नहीं कर सकेगा ।

—धारा : २८

१४—डिमाण्ड नोटिस

२६—टैक्स लगाने या दण्ड करने के बाद इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी को या उस शख्स को जो टैक्स और दण्ड की रकम देने के लिए दायी होता है एक नोटिस देता है और उसके द्वारा अमुक तारीख तक टैक्स और दण्ड की रकम जमा देने का तकाजा करता है । इस नोटिस को नोटिस ऑफ डिमाण्ड कहते हैं । नोटिस में जुदे-जुदे साधन से प्राप्त कुल आमदनी, टैक्स की रकम, टैक्स का दर आदि का ब्यौरा रहता है । साथ में एक चालान रहता है । टैक्स के रूपये जमा देते समय इस चालान को साथ में लगा देना पड़ता है । टैक्स या दण्ड की रकम नोटिस में दी हुई तारीख के अन्दर भर देनी पड़ती है, अन्यथा एसेसी पर कर या दण्ड की रकम जितना तक दण्ड और किया जा सकता है ।

१५—अपील

३०—(१) निम्नलिखित अवस्थाओं में एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्वर के सम्मुख अपील की जा सकेगी :—

(क) धारा २३ या २७ के अनुसार आकी गई आमदनी या लगाई गई टैक्स की रकम के सम्बन्ध में कोई आपत्ति होने पर;

(ख) धारा २४ के अनुसार निश्चित की गई हुक्मान् की रकम के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति होगी;

(ग) इस एक के नीचे टैक्स के लिए दायक न होने का उत्तर होने पर,

(घ) इन्कम टैक्स ऑफिसर के, धारा २७ के अनुसार इकतरफी कार्रवाही को, रद्द करना स्वीकार न करने पर;

(ङ) धारा २६ ए के अनुसार किसी फर्म की रजिस्ट्री करना नामंजूर करने पर;

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार के अलग होने पर धारा २५ (ए) के अनुसार हुए कर निर्धारण तथा धारा २५ (२) या धारा २८ के अनुसार हुये दण्ड के हुक्म के प्रति आपत्ति होने पर;

(छ) उत्तराधिकार होने पर धारा २६ (२) के अनुसार हुए कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर;

(ज) धारा ४४ इ की उपधारा (६), या धारा ४४-एफ की उपधारा (५), या धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार लगाए हुए दण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर;

(झ) इन्कम टैक्स ऑफिसर रिफण्ड देना नामंजूर करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में एसेसी का कोई उत्तर हो।

(ब) या यदि किसी कम्पनी को धारा २३ ए की उपधारा (१) के अनुसार किए गये हुक्म के प्रति उत्तर हो;

परन्तु धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार दिए हुक्म के विरुद्ध अपील जब तक टैक्स नहीं दे दिया होगा तब तक नहीं हो सकेगी।

जब कि किसी फर्म के सामेदारों पर फर्म की कुल आमदनी के उनके हिस्से के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से टैक्स लगता हो तो उस हालत में कोई भी हिस्सेदार इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा फर्म की

आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के वैटवारे के हुक्म के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। परन्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बातें निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस कम्पनी के सम्बन्ध में अपना हुक्म दिया होगा उसका कोई शेयर-होल्डर इस हुक्म द्वारा निश्चित बातों के सम्बन्ध में अपनी कुल आमदनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा।

(२) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ हिमान्ड के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामंजूरी के हुक्म के मिलने या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी। अर्जी मुद्रत के अन्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती। परन्तु यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के यह बात जँच जाय कि वाजिब कारणबश ही अपील मुद्रत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद में भी स्वीकार कर सकता है।

(३) अपील की अर्जी इन्कम टैक्स एक द्वारा निर्धारित रूप में करनी पड़ती है। उसे तस्वीक (verify) करना पड़ता है और उस पर कानून अनुसार कोर्ट-फी स्टाम्प लगा देनी पड़ती है।

—धारा : ३०

१६—अपील की सुनाई

३१—(१) अपील की अर्जी मिलने के बाद एपेलेट एसिस्टेन्ट कमिश्नर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकर्रर किया जाता है। मुकर्रर तारीख को समय समय पर मुलतबी भी किया जा सकता है।

(२) अपील का फैसला देने के पहले एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्वर जो उचित समझे वह विशेष जांच पड़ताल कर सकता है या इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा करा सकता है।

(२-ए) अपील की अर्जी में सब उज्ज स्पष्ट रूप से जनाने चाहिए। परन्तु इन्कम टैक्स ऑफिसर के सामने जो उज्ज नहीं लिए गये होंगे अथवा जो उज्ज अपील की अर्जी में दाखिल नहीं किए गये होंगे उन उज्जों पर ध्यान देना या नहीं देना एपेलेट कमिश्वर की मर्जी पर है। अगर कमिश्वर को खातिर हो जाय कि अपील की अर्जी में उज्ज लिखना इच्छा कर नहीं छोड़ा गया या उसे छोड़ना गैरवाजिव नहीं था तो उस हालत में वह अर्जी में नहीं लिखे हुए उज्ज को भी उपस्थित करने की रजा दे सकता है।

(३) एपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्वर अपील करने वाले की सब दलीलों को सुन कर वाजिब निर्णय करेगा। वह पहले लगाई हुई टैक्स कायम रख सकता है, रद्द कर सकता है, टैक्स की रकम घटा सकता है अथवा बढ़ा सकता है।

इसी प्रकार से इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म को रद्द कर सकता है, उसे कायम रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है तथा इन्कम टैक्स ऑफिसर को फिर से कर लगाने का आदेश कर सकता है।

परन्तु अपील करने वाले को कर या दण्ड की रकम बढ़ाने के विरुद्ध कारण दिखाने का मौका दिए बिना एपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्वर कर की या दण्ड की रकम में वृद्धि नहीं कर सकेगा।

यदि अपील इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म के विरुद्ध होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि उसकी खुद की या उसके किसी प्रतिनिधि की सुनाई हो।

१७—एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्मों के विरुद्ध अपील

३२—(१) एपेलेट एसिस्टेंट कमीश्नर का फैसला अन्तिम माना जाता है। उसके विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील नहीं हो सकती, केवल धारा २८ के अनुसार यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर ने दण्ड की सजा की हो, अथवा अपील सुनते समय कर की रकम या दण्ड की रकम बढ़ाई हो तो इन अवस्थाओं में इन वातों के विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील हो सकती है। ऐसे हुक्म की सूचना मिलने की तारीख से ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है।

(२) अपील निर्धारित फॉर्म पर करनी पड़ती है तथा निर्धारित ढंग से उसे तस्वीक करना होता है।

(३) अपील की सुनाई करते समय अपील करने वाले को अपनी वातें सुनाने का सुअवसर दिया जायगा और फिर कमिश्नर जो हुक्म उचित समझेगा वह देगा।

— धारा : ३२*

१८—रिविजन

३३—(१) कमिश्नर अपनी इच्छा से अपने अधीन किसी अधिकारी द्वारा या अपने ही द्वारा एसिस्टेंट कमिश्नर के अधिकारों को भोगते समय की हुई कार्रवाही का रेकर्ड मंगा कर उसको दुहरा सकता है।

(२) रेकर्ड मिलने पर कमिश्नर जो उचित समझे वह जांच सुन कर सकता है या दूसरों से करवा सकता है और एक के विधान के अनुसार जो उचित समझे वह हुक्म दे सकता है।

* एपेलेट ट्रीब्यूनल के कायम होने पर यह धारा हट जायगी।

परन्तु कोई भी हुक्म जो कि एसेसी के खिलाफ जाता होगा वह एसेसी को अपनी बातें कहने का पूरा सौका दिए बिना या उसको सुने बिना नहीं दिया जायगा ।

—धारा : ३३।

१६—हाईकोर्ट के सम्बुद्ध रेफरेन्स

३३-ए—(१) यदि इन्कम टैक्स लगाते समय या उस सम्बन्ध में कोई कार्रवाही करते समय कोई कानूनी प्रश्न खड़ा हो तो कमिश्नर

* एपेलेट ट्रीब्यूनल के कायम हो जाने पर इस धारा में निम्नलिखित विधान रहेगा—

(१) कोई भी एसेसी जिसे एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म के प्रति आपत्ति होगी वह हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर एपेलेट ट्रीब्यूनल के समझ अपील कर सकेगा ।

(२) इसी तरह से धारा ३१ के अनुसार दिए हुए एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म के प्रति कमिश्नर की कोई आपत्ति होगी तो वह इन्कम-टैक्स ऑफिसर को इस ट्रीब्यूनल के समझ अपील करने की आज्ञा दे सकता है । ऐसी अपील हुक्म की तारीख से ६० दिन के अन्दर हो सकेगी ।

(३) इस प्रकार जो अपील की जायगी वह निर्दिष्ट फोर्म पर करनी होगी तथा नियमित रूप से अपील की अर्जी को तस्वीक करना होगा । अपील की अर्जी के साथ १००] जमा देने होंगे । यदि अपील इन्कम-टैक्स ऑफिसर द्वाग की गई होगी तो इस प्रकार रुपये जमा नहीं देने होंगे ।

(४) एपेलेट ट्रीब्यूनल दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का सौका देगा और फिर उचित समझेगा वह फैसला देगा । इस प्रकार दिया हुआ हुक्म कमिश्नर और एसेसी को जताया जावेगा ।

(५) केवल धारा ६६ के विधान के भिन्न ट्रीब्यूनल द्वारा दिया हुआ फैसला अन्तिम होगा ।

खुद अपनी इच्छा से या अपने अधीन इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स करने पर उस मामले का एक वयान तथ्यार कर अपनी राय के साथ उसे हाईकोर्ट को भेज सकता है।

(२) एपेलेट एसिस्टेट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के हुक्म से किसी एसेसी को गैर इन्साफ हुआ मालूम दे, तो उस हुक्म की सूचना मिलने के ह० दिन के अन्दर वह अपने केस के सम्बन्ध में हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता है। अन्य हालतों में हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकता। इसी प्रकार इन्कम टैक्स कानून के नीचे हुए गुन्हा और टण्ड सम्बन्धी फौजदारी केसों के सम्बन्ध में अर्थात् इन्कम टैक्स एक के अध्याय ८ का वावतों के सम्बन्धी भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी करते समय उसके साथ एसेसी को १०० जमा देने होंगे। कानूनी प्रश्न उपस्थित होता हो उसी हालत में एसेसी की अर्जी मिलने के बाद ह० दिन के अन्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना होगा।

धारा ३३ के अनुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी प्रश्न खड़ा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई हुक्म धारा ३१ के अनुसार दिया गया होगा और धारा ३३ के अनुसार हुक्म से केवल उस हुक्म का रिविजन हुआ होगा तो कानूनी प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकेगा।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के बढ़ले कमिश्नर धारा ३३ के अनुसार अपने को मिले हुए अधिकार से एसेसी के पक्ष में फैसला दे तो एसेसी अपनी अर्जी वायिस छठा सकता है।

धारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फैसला दे अथवा एसेसी की अर्जी मुदत बाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने

(incompetent होने से) से वह उसे नामंजूर कर दे अथवा कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के बाद ३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले ले तो उसे जमा दिए हुए १००) वापिस मिल जायेंगे ।

(३), (३ ए) – कोई कानूनी सवाल उपस्थित न होने के कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर हाईकोर्ट को रेफरेन्स करना नामंजूर करे तो नामंजूरी के हुक्म के क्रमशः ६ और २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर सकता है । हाईकोर्ट को कमिश्नर का हुक्म बाजबी नहीं लगाने पर वह कमिश्नर को रेफरेन्स करने का या अर्जी को मियाद में समझने का हुक्म दे सकता है ।

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो ब्यान भेजे हैं वे प्रश्न का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस कमिश्नर के पास अपने आदेस अनुसार कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए भेज सकता है ।

(५) रेफरेन्स होने के बाद, हाईकोर्ट केस को सुन कानूनी सवाल पर अपना फैसला देगा और फैसले की एक नकल कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा । यदि केस अपने अधीन किसी इन्कम टैक्स अधिकारी के रेफरेन्स से हुआ होगा तो कमिश्नर उसको नकल की कापी भेजेगा और ऑफिसर उसके अनुसार फैसला देगा ।

(६) जब कि हाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया जाय तब खर्च दिलाना या नहीं दिलाना कोर्ट की मर्जी पर होगा ।

(७) हाईकोर्ट को रेफरेन्स किया गया हो तो भी टैक्स की रकम तो कर निरूपण के हुक्म के अनुसार मियाद के अन्दर दे

देनी होगी। रेफरेन्स मे कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम होगी उतनी रकम, कमिश्वर द्वारा हुक्म दिए हुए व्याज सहित फिरती मिल जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फैसले के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर कमिश्वर सूचित करे कि वह प्रीवी काउंसिल मे अपील करने की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हार्डकोर्ट हुक्म कर कमिश्वर को अपील नक्षी न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार दे सकता है।

(७-ए) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए) के अनुसार एसेमी रेफरेन्स की जो अर्जी हार्डकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध मे इण्डियन लिमिटेशन एक, १६०८ की धारा ५ लाख होगी।

—धारा : ६६-

२०—प्रीवी काउन्सिल मे अपील

३३—वी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये मामले के सम्बन्ध मे दिए गये फैसले के विरुद्ध मे प्रीवी काउन्सिल मे अपील की जा सकेगी यदि हार्ड कोर्ट इस वात की सार्टाफिकेट दे देगा कि यद केस अपील करने योग्य है।

३ ट्रीच्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिश्वर ने रिपोर्ट भा अधिकार नहीं रहेगा। ट्रीच्यूनल के फैले के विरुद्ध फक्त आनूनी प्रध के मम्बन्ध मे हार्ड कोर्ट मे अपील हो सकेगी।

ट्रीच्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के मम्बन्ध मे अभी जो अधिकार और कर्तव्य कमिश्वर के हैं वे मग अधिकार और कर्तव्य ट्रीच्यूनल ओ सौप दिए जायेंगे।

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीच्यूनल हार्डकोर्ट ओ केस रेफर करेगा।

(२) इस प्रकार अपील करने से यदि हाईकोर्ट के निर्णय में परिवर्तन किया जायगा या यह उल्ट दिया जायगा तो प्रीवि काउन्सिल के हुक्म को उसी प्रकार कार्यान्वित किया जायगा जिस तरह की हाईकोर्ट के हुक्म को किया जाता है।

—धारा : ६६ ए

२१—दिवानी कोर्ट में कोई कार्रवाही नहीं होती

३३—(सी) इस एक के अनुसार किए गये कर-निरूपण को हटवाने के लिए या उसमें परिवर्तन करवाने के लिए दिवानी कोर्ट में कोई मामला नहीं किया जा सकेगा। और क्राउन के किसी कर्मचारी के प्रति उन सब कार्यों के लिए जो कि उसने गुडफेथ से किये हैं या करने का उसका इरादा है कोई मुकदमा, मामला या अन्य कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

—धारा : ६७

२२—मियाद की कूत

३३—(डी)-(ए) इस एक के अनुसार अपील करने की मियाद की कूत करते समय या धारा ६६ के अनुसार अर्जी की मियाद की कूत करते समय जिस दिन हुक्म किया होगा वह दिन और इस हुक्म की नकल पाने में जो समय लगेगा वह बाद दे दिया जायगा।

—धारा : ६७ ए

२३—छुटी हुई आमदनी पर कर निरूपण

३४—(१) यह संभव है कि किसी वर्ष में किसी शहर पर टैक्स लगना छूट जाय या आमदनी आदि कम दिखाने से नीचे दर से टैक्स लिया जाय। बाद में यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह मालूम

हो कि उस शाखा के ऐसी आमदनी थी जिस पर टैक्स लग सकता था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और इसलिए अधिक टैक्स होना चाहिए तो उस हालत में उस शाखा को नोटिस देकर (यदि शाखा कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को देना होगा ।) टैक्स लगाने के लिए कार्रवाही करेगा । हाल में जो सुधार किए गये हैं उनके पहले यह नोटिस जिस वर्ष में टैक्स लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर तक दिया जा सकता था । टैक्स कंबल एक ही 'गत वर्ष' (Previous year) का लिया जा सकता था ।

इस सशोधित एक के अनुसार ऑफिसर के हाथ में पक्षी (definite) खबर आने से उसे पता लगे कि किसी वर्ष में किसी शाखा की आमदनी पर टैक्स लगना छूट गया है, या टैक्स नीचे दर से लिया गया है, कभी टैक्स लिया गया है या रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है तो उस हालत में वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है । अब नोटिस भेजने की मियाद एक वर्ष नहीं है, जैसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष के या द वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है ।

नोटिस की मियाद द वर्ष उस हालत में होगी जब कि ऑफिसर के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि ऐसेसी ने आय का विवरण छिपाया है या समझ वूँ कर गलत—असही (inaccurate) विवरण दिया है । उपरोक्त परिस्थिति को छोड़ कर नोटिस तामिल की मियाद ४ वर्ष होगी । उपरोक्त ४ या द वर्ष की मियाद, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस वर्ष की टैक्स लगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या रिलीफ अधिक दिया गया है । उदाहरण स्वरूप सम्वत् १६६५ साल की टैक्स सन् १६३६-४० में ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को समाप्त होती है । मियाद १ तांत्रिक अप्रैल ४० से गिनी जायगी ।

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों में नोटिस की मियाद पहले की तरह १ वर्ष ही रहेगी ।

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर ता० १, अप्रैल, ३६ के पहले समाप्त साल में टैक्स लगाना चाहिए था । उदाहरण स्वरूप सं० वर्ष १९६४ की टैक्स सन् १९३८-३९ में ली गयी है जो कि ३१ मार्च, ३६ अर्थात् ता० १ अप्रैल, ३६ के पहले समाप्त होता है । नोटिस की मियाद १ अप्रैल ३६, से एक वर्ष होगी ।

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टैक्स लगाया गया है या लगाया जायगा ब्रिटिश भारत में निवास नहीं करने वाले किसी शख्स का एजेन्ट समझा गया हो ।

इस धारा के अनुसार जो टैक्स लगायी जायगी वह उसी दर से लगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में लगाई जाती जब कि कोई रकम टैक्स लगाने से नहीं छुटती या पूरा कर-निर्धारण होता ।

(२) ऊपर जो ४ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके बाद टैक्स का कोई हुक्म नहीं हो सकेगा । अर्थात् जिस परिमिति में जो मियाद लागू होगी उस परिस्थिति में उसी मियाद के अन्दर टैक्स का हुक्म किया जा सकेगा उसके बाद नहीं ।

— धारा : ३४

२४—भूल-सुधार

३५—(१) कमिश्नर द्वारा अपील के समय या रिविजन के समय, एसिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा अपील के समय, अथवा इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा कर लगाते समय दिए गये हुक्मों के कागजों में कोई प्रत्यक्ष भूल मालूम पड़े तो उन हुक्मों की तारीख से चार वर्ष के अन्दर वे खुद अपनी ही इच्छा से भूल-सुधार कर सकते हैं अथवा कोई

एसेसी ऐसी भूलों के प्रति ध्यान खींचे तो उनको सुधारने के लिए वे बाध्य हैं। संशोधन के पहले ऐसी भूलें एक वर्ष के भीतर ही सुधारी जा सकती थीं परन्तु अब संशोधित कानून के अनुसार वह चार वर्ष तक सुधारी जा सकती हैं।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर एसेसी से बेसी लिया हुआ टैक्स उसे चापिस मिल जाता है।

भूल-सुधार के कारण यदि टैक्स वृद्धि की गुंजाइश होगी तो भूल-सुधार करने के पहले ऐसे विचार की सूचना एसेसी को दे देनी होगी और उसे अपनी बातें रखने का उचित अवसर भी देना होगा।

भूल अगर ता० १४४३६ के एक वर्ष से अधिक पहिले दिए हुए हुक्म में होगी तो वह सुधारी नहीं जा सकेगी।

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर में वृद्धि होने पर इन्कम टैक्स ऑफिस एक नोटिस ऑफ डिमान्ड भेज कर कर वसूल करेगा। इस नोटिसर में टैक्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा रहेगा। यह नोटिस धारा २६ के अनुसार दिया हुआ नोटिस समझा जायगा और उसी तरह से इस एक के विधान लागू होंगे।

—धारा : ३५*

* एपेलेट ट्रीब्यूनल कायम होने के बाद इस धारा में निम्नलिखित सुधार कर देने होगा :—

(१) उपधारा न० (२) और (३) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। उपधारा (३) इस प्रकार रहेगी :

(२) एपेलेट ट्रीब्यूनल द्वारा भूल सुधार करने के सम्बन्ध में उपधारा (१) में दिए हुए विधान लागू होंगे।

२५-टैक्स फलाव में J|| से कम टुकड़े को छांट देना

३६—कर या जो रकम वापिस (refund) दी जाय उसको फलाते समय, आने के बे टुकड़े जो कि)|| से कम होंगे रिनती में नहीं लिए जायगे और आने के बे टुकड़े जो कि)|| के बराबर या उससे अधिक होंगे —) माने जायंगे ।

—धारा : ३६

२६-हलफिया गवाही लेने का अधिकार

३७—निम्न लिखित वातों के सम्बन्ध में किसी मुकदमें की सुनाई करते समय इन्कम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर, और एपेलेट ट्रीब्यूनल कायम हो जाने पर उसको इस अध्याय के प्रयोजन के लिए बे सब अधिकार रहेंगे जो कि सन् १९०८ के जाव्ता दीवानी के अनुसार कोर्ट को रहते हैं ।

(ए) किसी व्यक्ति को जवरन हाजिर कराने और हलफिया या प्रतिज्ञावद्ध गवाही लेने के सम्बन्ध में ।

(बी) जवरन दस्तावेज पेश कराने के सम्बन्ध में ।

. (सी) गवाहों के बयान के लिए कमीशन निकालने के सम्बन्ध में ।

इस अध्याय के सूरत जो भी कार्रवाही की जायगी वह ताजी-रात हिन्द की दफा १०३ और २२८ के अर्थ के अनुसार और धारा १९६ के प्रयोजन के लिए न्याय कर्ता अदालत की कार्रवाई भानी जायगी ।

—धारा : ३७

२७—खबर श्राप करने का अधिकार

३८—इस एक के प्रयोजन के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर या एसिस्टेंट कमिश्नर :

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को फर्म के सदस्यों की तालिका या कुटुम्ब के मैनेजर या युवा सदस्यों की सूची और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है।

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई शख्स ट्रस्टी, या गार्जियन या एजेन्ट है, तो उन सब शख्स के नाम और पतों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या जिसकी ओर से वह ट्रस्टी, गार्जियन, या एजेन्ट है।

(३) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष में भाड़े, व्याज, कमीशन, रोयलटी, दलाली, या वेतन के शीर्षक के नीचे जिस पर टैक्स नहीं हो सकती ऐसी एनुइटी, (annuity) के बाबत में कुल मिल कर ४००] से अधिक रूपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमें दी गयी हों उनका पूरा विवरण भाँग सकता है।

—धारा : ३८

२८—कम्पनी के रजिस्टर निरीक्षण का अधिकार

३९—इन्कम टैक्स ऑफिसर, या एसिस्टेंट कमिश्नर या कोई शख्स जिसको कि इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर ने या एसिस्टेंट-कमिश्नर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों या डिवेचर होल्डर या मोरगेज लेने वालों के (mortgagees) नाम जिस रजिस्टर में लिखे जाते हों उसका या ऐसे किसी रजिस्टर में लिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता

हो तो उनकी नकलें भी ले सकता है या किसी दूसरे शख्स के द्वारा नकलें लिखा सकता है।

—धारा : ३६

उपचाराधिकार = ५

खास अवस्थाओं में कर के लिए दायित्व

१—गार्जियन, ट्रस्टी और एजेण्ट का दायित्व

४०—कभी-कभी नाबालिग, पागल या नासमझ (Lunatic or idiot) या बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से गार्जियन, ट्रस्टी या एजेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो मिलकियत होती है उसे बेनीफिसीयरी की मिलकियत कहते हैं और नाबालिग आदि को बेनीफिसीयरी (beneficiary) कहा जाता है। किसी बेनीफिसीयरी की आय के सम्बन्ध में टैक्स गार्जियन आदि पर लगाया जाता है। यह टैक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं परन्तु जो आय बेनीफिसीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने का हक रहा हो उसके सम्बन्ध में लगाया जाता है।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदाई किया जा सकता।

यदि बेनीफिसीयरी बृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो तो उस हालत में टैक्स सीधे (Direct) उस पर ही लगाया और उससे बसूल किया जा सकता है।

—धारा : ४०

२-कोर्ट ऑफ वार्डस आदि का दायित्व

४१—(१) उस आमदनी के सम्बन्ध में, जिसको कि किसी शख्स की ओर से कोट ऑफ वार्ड (Court of Ward), एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरल (Administrators—General), ऑफिसियल ट्रस्टी, या कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीवर (Receiver) या मैनेजर या ट्रस्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्रस्टी या ट्रस्टियों को पाने का हक है, टैक्स कोर्ट ऑफ वार्ड आदि पर लगा कर उनसे अदा किया जायगा ।

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही लगाया और अदाई किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है ।

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स के लिए (on behalf) प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी तरफ से (on behalf) वह प्राप्त की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं होते तो टैक्स ऊचे-से-ऊचे दर से लगा कर बसूल की जाती है ।

यदि ट्रस्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस पर इस एक के अनुसार टैक्स लगाया जा सके तो ट्रस्ट से जितनी आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध में ही टैक्स लगेगा ।

दस्त की उल आय वेनीफिसीयरी द्वारा प्राप्त आमदनी का वह हिस्मा जिस पर टैक्स कृतो जायगी	दस्त की आय का अश जिस पर टैक्स लगायी जा सकती है	X जो कि वेनीफिसीयरी को मिला है
ट्रस्ट की पूरी आमदनी		

(२) उपधारा (१) में जो विधान है वह होते हुए भी जिस शख्स की तरफ से (on behalf of) आमदनी प्राप्त की गई है उस पर सीधे उस आमदनी के सम्बन्ध में टैक्स लगाया जा सकेगा और वसूल किया जा सकेगा ।

—धारा : ४१

३—भारत में निवास नहीं करनेवाले (non-residents)

४२—(१) निश्चलिखित आमदनी, नफा या लाभ ब्रृटिश भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुआ समझा जायगा :

(क) जोकि ब्रृटिश में कार्रवाही सम्बन्ध से या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित हुआ होगा,

(ख) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रृटिश भारत में रही किसी जायदाद (Property) से हुआ होगा,

(ग) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रृटिश भारत में रहे किसी एसेट (Asset) या आमदनी के जरिये (Source) से या द्वारा हुआ होगा,

(घ) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याज पर दिए हुए और ब्रृटिश भारत में नगद रूप में या वस्तु के रूप में लाए हुए रूपयों से या द्वारा हुआ होगा ।

उपरोक्त आय को पाने का हक जिस शख्स को होगा, वह शख्स यदि ब्रृटिश भारत का निवासी नहीं होगा तो इस आय पर जो टैक्स लगाया जायगा वह या तो आय को पाने के हकदार उस नन् रेजिडेण्ट के नाम से या उसके किसी एजेण्ट के नाम से लगाया जायगा । उस हालत में जब कि टैक्स एजेण्ट के नाम पर लगाया जायगा तो इस एक ही लिए, एजेण्ट ही इन्क्रम टैक्स के सम्बन्ध में एसेसी माना जायगा ।

बृद्धिश भारत में निवास नहीं करनेवाले शर्खस से टैक्स धारा १८ के अनुसार उद्भव स्थान (at source) में ही कटवा कर बसूल किया जा सकता है।

यदि ऐसे शर्खस में टैक्स की कोई रकम वाकी होगी तो उपरोक्त तरीके के उपरान्त उसकी एसेट, जो कि बृद्धिश भारत में होगी या कभी यहाँ आयगी उससे काटी जा सकेगी।

कोई भी एजेण्ट या ऐसा शर्खस जिसको कि यह अन्देशा हो कि वह एजेण्ट माना जा सकता है तो भारत में निवास नहीं करने वाले किसी शर्खस को रूपये देते समय उनमें से उतनी रकम टैक्स स्वरूप अपने पास रख सकता है जितनी कि वह अनुमान से इस धारा के अनुसार देने का अपने को दायक समझे।

इस प्रकार काटी जाती हुई रकम को लेकर यदि एजेण्ट और नन्‌रेजिडेण्ट शर्खस में मतभेद हो तो उस हालत में कितने रूपये काटना—इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर से सार्टीफिकेट ली जा सकती है। और इस प्रकार प्राप्त की हुई सार्टीफिकेट टैक्स काट रखने के लिए अधिकार-पत्र समझी जायगी।

वाद में नन्‌रेजिडेण्ट पर टैक्स लगायी जायगी तो एजेण्ट या उस शर्खस से जिसने कि उपरोक्त रूप से रूपये काट कर रखे हैं उतने ही रूपये अदा किए जा सकेंगे जिसने की सार्टीफिकेट के अनुसार उसने काटे होंगे। यदि एजेण्ट या उस शर्खस के पास उस समय नन्‌रेजिडेण्ट की ओर कोई एसेट होगी तो एसेट की तादाद तक और रूपये भी उससे काटे जा सकेंगे।

(२) यदि एक नन्‌रेसिडेण्ट शर्खस या बृद्धिश भारत में साधारण तौर पर नहीं बसनेवाले शर्खस का बृद्धिश भारत में बसने-वाले किसी शर्खस के साथ कारबाह होगा और इन्कम टैक्स ऑफिसर को ऐसा दिखाई देगा कि इन शर्खसों में नजदीक सम्बन्ध

होने से कारबार ऐसे ढंग से चलाया (किया) जाता है कि भारत में बसनेवाले शख्स को, नन्-रेजिडेण्ट या बृटिश भारत में साधारण तौर पर नहीं बसनेवाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की जा सकती है उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ होगा या जो उचित रूप से हुआ माना जायगा उसके सम्बन्ध में टैक्स बृटिश भारत में रहनेवाले शख्स के नाम से लगायी जायगी और वही इस एक के प्रयोजन के लिए टैक्स के विषय में ऐसी माना जायगा ।

(३) उस कारबार के नफे का, जिसके सब कार्य बृटिश भारत में नहीं किए जाते, उतना ही अंश बृटिश भारत में उपार्जन या सचित हुआ समझा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत में किए गये कार्यों के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा ।

—धारा : ४२

४—नन् रेजिडेण्ट का एजेन्ट कानून

४३—इस कानून के लिए नन् रेजिडेण्ट की ओर से नियमित शख्स एजेण्ट समझे जायेंगे वशर्ते की इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा उन्हें एजेण्ट मानने का नोटिस दे दिया गया हो :

(१) नन् रेजिडेण्ट द्वारा या उसकी तरफ से नियुक्त शख्स;

(२) नन् रेजिडेण्ट के साथ जिसका कोई व्यापारिक सम्बन्ध हो वह शख्स,

(३) रेजिडेण्ट को जिसके मार्फत कोई आमदनी, मुनाफा या लाभ प्राप्त हुआ होगा वह शख्स ।

यदि साधारण तौर पर कारबार करते हुए ब्रिटिश भारत में रहते हुए किसी दलाल के मार्फत ऐसी परिस्थिति में सौदे (transaction) होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नन् रेसिडेण्ट प्रिन्सिपल के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक ऐसे नन्-रेसिडेण्ट दलाल के साथ या उसकी ओर से काम करता है, जो कि साधारण तौर पर कारबार के ढंग पर ये सौदे करता है परन्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति में इस धारा के लिए प्रथमोक्त दलाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नन् रेसिडेण्ट शरूस का एजेण्ट नहीं माना जायगा ।

कोई भी शरूस किसी नन् रेजिडेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा जब तक कि उसके दायित्व के सम्बन्ध में उसको अपने उम्र रखने का मौका नहीं दिया गया होगा ।

एजेण्ट कौन है — यह समझाने के उदाहरण दिए जाते हैं :—

(१) ब बिलायत से अपना माल अ को ब्रिटिश भारत में बेचने के लिए भेजता है । अ को नौकरी या कमीशन मिलती है । अ, ब का एजेण्ट कहलायगा ।

(२) ब बिलायत से अपना माल अपनी जोखम पर ब्रिटिश भारत में अ को बेचने के लिए भेजता है । उधार की जोखम ब की है । अ कमीशन पाता है । अ, ब का एजेन्ट है ।

(३) ब्रिटिश हिन्द का रईस अ बिलायत से ब के पास से माल मोल लेता है और वह माल अ अपनी मर्जी में आवे चस भाव से बेचता है । छूबत की जोखम ब की नहीं है । अ, ब का एजेण्ट नहीं है । कन्साइनमेण्ट के धन्धे में एजेन्सी का सवाल उपस्थित नहीं होता ।

६—बन्द हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्बन्ध में दायित्व

४४—यदि किसी फर्म ने या शख्सों के मण्डल ने अपने किसी कारबार, पेशे या रोजगार को बन्द कर दिया होगा तो बन्द करने के समय फर्म के जो व्यक्ति सामेज़ार थे या मण्डल के सदस्य थे वे फर्म या मण्डल की आमदनी पर टैक्स देने के लिए तथा टैक्स की रकम के लिए सम्मिलित रूप से और पृथक्-पृथक् रूप से दायक होंगे।

यही बात उस सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए जब कि कोई व्यक्ति का मण्डल उठ जाय।

टैक्स कूतने और टैक्स लगाने के सम्बन्ध में जो नियम अध्याय ४ में वर्तलाए गये हैं वे सब, जहाँ तक होगा, लागू होंगे।

—धारा : ४४

अकृद्याय-५ ए

जहाजों से कारबार करने वालों के सम्बन्ध में
खास विधान

१—ऐसे कारबार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व

४४-ए—बहुत से ऐसे शख्स हैं जो ब्रिटिश भारत के बाहर रहते हैं परन्तु जो ब्रिटिश भारत में जहाज के मालिक या चार्टरर की हैसियत से कारबार करते हैं। ऐसे शख्सों पर टैक्स लगाने और उसे वसूल करने के विधान अलग ही हैं। ऐसे शख्स के सम्बन्ध में

साधारण विधान लागू नहीं पड़ते। ये खास विधान इस अध्याय में लिखे जाते हैं।

यहाँ इतना ख्याल रखना जरूरी है कि इन्कम टैक्स ऑफिसर को यदि इस बात का चिरास हो जाय कि ऐसे शख्स की ओर से कोई एजेन्ट है जिससे बाद के वर्ष में टैक्स अदा किया जा सकेगा तो उस हालत में ये खास विधान काम में नहीं लाए जाते।

उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारबार करता है उसे नीचे की धाराओं में 'प्रिन्सिपल' कहा गया है।

—धारा : ४४-ए

२—लाभालाभ की रिटर्न

४४—वी-(१) ब्रिटिश भारत के किसी बन्दरगाह को छोड़ने के पहले हर जहाज के निरीक्षक (master) को जिस जहाज के प्रति ये खास विधान लागू पड़ते हैं, एक रिटर्न तैयार कर इन्कम टैक्स ऑफिसर को देगा और इस रिटर्न में वह दिखायगा कि उस बन्दर-गाह में जहाज पहुँचने के समय से लादे गये माल, मुसाफिरों या जीवित जन्तुओं को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध में चुकती कितने हपये प्रिन्सिपल को दिए गये या देने होंगे।

(२) रिटर्न मिलने पर इन्कम टैक्स ऑफिसर उपधारा (१) के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कूँत करेगा। और इसके लिए जो बही-खाते या कागज-पत्र आवश्यक समझेगा वह मंगायगा। इस प्रकार जो रकम कूँती जायगी उसका वारहवाँ हिस्सा उक्त बन्दरगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल ले जाने के कारण हुआ नफा समझा जायगा।

(३) इस नफे पर इन्कम टैक्स ऑफिसर टैक्स लगायगा। टैक्स का रेट वह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुल

आय पर लागू होगा। टैक्स का रूपया मास्टर को देना होगा। और उस समय तक पोर्ट छुयरेंस नहीं मिलेगा जब तक कि कस्टम कलक्टर या छुयरेंस देने के लिये अन्य अधिकृत ऑफिसर को यह संतोष न हो जाय कि टैक्स दे दिया गया है।

—धारा : ४४-बी

३—अडजेस्टमेंट

४४—(सी) इस अध्याय के अनुसार प्रिन्सिपल की ओर से जिस वर्ष में टैक्स दी गई होगी उसके बाद के वर्ष में प्रिन्सिपल यह दावा कर सकता है कि गत वर्ष की उसकी कुल आमदानी की कूंत की जाय और एक के अन्य विधान के अनुसार टैक्स का निर्णय किया जाय और अगर ऐसा दावा किया जायगा तो यही समझा जायगा कि पहले जो रूपये दिए गए हैं वे टैक्स के सम्बन्ध में पेशगी दिये गये हैं।

इस प्रकार कूंती हुई टैक्स कम होगी तो पहले जितने रूपये अधिक लिए गये होंगे उतने वापिस दे दिए जायंगे। यदि टैक्स अधिक होगी तो वाकी रूपये और जमा देने होंगे।

—धारा : ४४ सी

अकृद्या या=५ की

इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को रोकने के लिए स्वास विधान

१—आय के हस्तान्तर द्वारा टैक्स बचाना।

४४—डी-(१) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स '।' को इस प्रकार हस्तान्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ में टैक्स लग सकता था, किसी अन्य शख्स को, जो कि बृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परन्तु इस प्रकार की आमदनी को उपभोग में लाने का अधिकार उसी हस्तान्तरित करने वाले शख्स को हो तो यह आमदनी इस एक के प्रयोजन के लिए प्रथम शख्स की ही समझी जायगी।

—धारा : ४४ डी (४)

'।' १—यहाँ 'एसेट' शब्द में जायदाद (property) या किसी प्रकार के अधिकार को गम्भित समझना चाहिए। —धारा : ४४ डी (७) ए

३ हस्तान्तर के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी कार्यवाही का वर्य किसी शख्स द्वारा को गई उन कार्यवाहियों को समझना चाहिए जो

- (१) एसेट्स हस्तान्तरित किए गये हैं उनके विषय में की गई हों,
- (२) एसेट्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष (represent) करते हों, उनके विषय में की हों,
- (३) उपरोक्त एसेट्स द्वारा उत्पन्न आमदनी के विषय में की जाय,
- (४) ऐसे एसेट्स के विषय में की गई हो जो उपरोक्त एसेट्स द्वारा एक-नित आमदनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुलक्ष (represent) करती हों।

(२) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स को इस प्रकार हस्तान्तरित करता है कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कार्रवाही के परिणाम स्वरूप कोई आमदनी किसी अन्य शख्स को, जो कि बृद्धि भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परन्तु हस्तान्तरित करनेवाले शख्स को हस्तान्तर के पहले या बाद में निम्नलिखित कोई रकम प्राप्त हो या प्राप्त करने का हक हो तो इस एक के प्रयोजन के लिए वह आमदनी प्रथम शख्स की ही आमदनी मानी जायगी :—

(१) उधार के बतौर दी हुई या दी जानेवाली कोई रकम,
 (२) उधार को चुकती करने के बतौर दी हुई कोई रकम,
 (३) या अन्य कोई रकम जो कि रूपयों के रूप में पूरे बदले के बिना दी गई हो या दी जाने की हो और जो आमदनी के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दी गई हो

(४) उधारा (१) और (२) उस समय लागू नहीं होगी जब कि हस्तान्तर करनेवाला शख्स इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह दिखा कर सन्तोष पहुँचा देगा

(१) कि न तो हस्तान्तर (transfer) और न तत्सम्बन्धी कार्रवाही का प्रयोजन या कोई एक प्रयोजन टैक्स से बचाना था, या

(२) कि हस्तान्तर और तत्सम्बन्धी सब कार्रवाही न्यायोचित कार्रवारी व्यवहार (bona-fide commercial transactions) थे और वे टैक्स की जिम्मेवारी से बचने के लिए नहीं रखे गये थे।

(४) इस धारा के विधान ता० ३१ मार्च, १९४० को समाप्त होनेवाले वर्ष और उसके बाद के वर्षों में इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगाते समय लागू होंगे, और उन सब हस्तान्तरों और

तत्सम्बन्धी कामों के विषय में लागू होंगे जो इस संशोधित कानून के शुरू होने के पहले या बाद में किए गये होंगे ।

(५) यदि इस धारा के अनुसार किसी शर्खस की समझी हुई आमदनी के सम्बन्ध में उस पर टैक्स लगा दिया गया होगा और बाद में वह आमदनी उस शर्खस के हाथ में 'आमदनी' के रूप में या अन्य किसी रूप में आई होगी, तो वह फिर इस एक के प्रयोजन के लिए उसकी आमदनी की अंग नहीं मानी जायगी ।

—धारा : ४४-डी

२—सिक्योरिटियों की लेवा वेची द्वारा टैक्स वचाना

४४-इ—(१) यदि जमानतों का मालिक (owner of an securities) जमानतों को विक्री करने या हस्तान्तरित करने को राजी हो और उसी या सलग अग्रीमेंट के द्वारा

(ए) जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने को राजी हो, या

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाट में उन जमानतों को वापिस खरीदने या लेने के लिए काम में लाये और इसका फल यह हो कि इन जमानतों के विषय में जो ब्याज मिलने को था वह किसी अन्य शर्खस को मिले तो इस एक के प्रयोजन के लिए यह ब्याज जमानत के मालिक की आमदनी समझी जायगी, किसी दूसरे शर्खस की आमदनी नहीं ।

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने' के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने का अर्थ समझ लेना चाहिए ।

यदि वैसी ही जमानत वापिस खरीदी जायगी या ली जायगी तो

मालिक की जिम्मेवारी उससे अधिक नहीं होगी जितनी की उन्हीं जमानतों को वापिस खरीदने या लेने से होती ।

(३) यदि कोई शख्स, जिसका कारबार सम्पूर्णतः या अश रूप से जमानतों की खरीद-विक्री है, कोई जमानत खरीदने या लेने को राजी हो और उसी या सलग्र अग्रीमेंट द्वारा—

(ए) जमानतों को वापिस विक्री कर देने या वापिस हस्तान्तरित कर देने को राजी हो, या

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक्क को बाद में उन जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने के काम में लावे और इसका फल यह हो कि जो व्याज जमानतों के सम्बन्ध में मिलने को हो वह उसे मिले तो इस एक के प्रयोजन के लिए उस कारबार के नफे या तुकसान की कूत करते समय इस सौदे को हिसाब में नहीं लिया जायगा ।

(४) उपधारा (३) में जमानतों वापिस विक्री करने या वापिस हस्तान्तरित करने के अन्तर्गत वैसी ही अन्य जमानतों को वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने का अर्थ समझ लेना चाहिए । परन्तु यह अर्थ किसी आवश्यक सुधार के अधीन होगा ।

(५) इस धारा में (ए) 'व्याज' शब्द में 'डिविडेन्ड' गर्भित है ।

(बी) 'जमानत' शब्द में स्टाक और शेयर गर्भित हैं ।

(सी) जमानतों सरीखी समझी जायंगी यदि जिनके पास ये हैं उनको मूल और व्याज के सम्बन्ध में एक ही शख्स के प्रति समानाधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को काम में लाने के भी समान उपाय प्राप्त हैं । जमानतों की मोट शाब्दिक कीमत में या जिस रूप में वे हैं या जिस ढंग से वे हस्तान्तरित की जा सकती हैं इसमें अन्तर होने से ही जमानतें भिन्न २ नहीं होंगी ।

(६) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर, किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी), उन सब जमानतों के बारे में जिनका कि, नोटिस में उक्त समय, वह मालिक था, वे सब विवरण पेश करने का आदेश कर सकता है जो कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और इस बात को खोजने के लिए आवश्यक समझे कि उन सब जमानतों के व्याज के बाबत में टैक्स दिया गया है या नहीं। यदि वह शख्स बिना किसी वाजिब कारण के नोटिस का पालन- नहीं करेगा तो वह अधिक-सं-अधिक ५००० रुपये का दण्ड का भागी होगा। इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि वह अवज्ञा करेगा तो जितने दिन अवज्ञा करेगा उतने दिनों तक प्रत्येक दिन उपरोक्त दण्ड का भागी होगा ।

—धारा : ४४ ई

२--स-डिविडेंड सिक्योरिटियों की सरीद विक्री के द्वारा टैक्स को वचाना

४४-एफ—(१) इन्कम टैक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अन्दर (यह मियाद २८ दिन से कम न होगी) तथा निर्दिष्ट कार्म पर किसी भी जमानत के विषय में जिसमें कि नोटिस में उक्त समय के बीच किसी प्रकार का बेनीफिसीयल हक रहा होगा और जिसके विषय में, उक्त समय में, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आमदनी मिली होगी वह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी होती अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और उसी प्रकार से वांटी जाती (apportioned accordingly) तो एक विवरण पेश

करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पर्क रखते हुए वर्ष या वर्षों के लिए उसकी कुल आमदनी पर टैक्स या सुपर टैक्स लगाया गया हो या न लगाया गया हो, मागे गये व्यान या विवरण पेश करने होंगे ।

(२) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों को (जिसमें विक्री, खरीद, कारबार, कन्ट्राक्ट, बन्दोवस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कार्रवाही सामिल है) देखते हुए इन्कम टैक्स ऑफिसर को यह दिखाई दे कि उस शख्स ने इस प्रकार किसी वर्ष के लिए जो टैक्स या सुपर टैक्स उसको इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुई मानो जाती और उसी अनुसार बाँटी जाती और इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स के लिए सब साधनों की आमदनी का अंग मानी जाती, उसकी रकम की दृष्टि से १० प्रति शत से अधिक टैक्स को टाल दिया है तो उस अवस्था में वे जमानतें वे जमानतें मानी जायेंगी जिन पर उपधारा (३) लागू पड़ती है ।

(३) ऐसे किसी शख्स की हालत में टैक्स और सुपर टैक्स की कूत के लिए उन जमानतों की आय जिन पर कि यह धारा लागू होती है दिन प्रति दिन उत्पन्न हुई समझी जायगी और ऐसी जमानतों की उसके द्वारा विक्री या हस्तान्तर होने पर या उसके खरीदने या हस्तान्तर कराने पर आमदनी उस समय प्राप्त हुई समझी जायगी जब कि वह उत्पन्न हुई समझी जायगी ।

(१) यदि ऐसा शख्स इन्कम टैक्स ऑफिसर को सन्तोष देते हुए यह सिद्ध कर देगा कि इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को जो टाला गया वह अपवाद स्वरूप है और यह नियमित रूप से (Systematic) नहीं था और

(२) गत तीन वर्षों में किसी वर्ष में इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स को इस प्रकार नहीं बचाया गया या टाला गया था ।

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध में लागू कर दिए गये हों तो उस हालत में यह धारा लागू नहीं होगी ।

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार व्यान या विवरण न दे या इन्कम टैक्स ऑफिसर इस धारा के अनुसार पेश किए हुए व्यान या विवरण से सन्तुष्ट नहीं हो, तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इन्कम टैक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की कुल आमदनी का अंग मानी जाने को हो ।

(५) यदि कोई शख्स विना वाजिब कारण के इस धारा के अनुसार मारे गये कोई व्यान या सब विवरण पेश नहीं करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा । यह दण्ड अधिक-से-अधिक ५००] रुपये तक का हो सकेगा । यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण आदि नहीं पेश करने की गत्ती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए वह उपरोक्त रुप से दण्ड का भागी होगा ।

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द में स्टॉक और शेयर भी गर्भित है ।

—धारा: ४४ एफ

अकृद्याया-हि

टैक्स और दण्ड की वसूली

?—टैक्स कब देना होगा ?

४५—धारा २३ ए की उपधारा (३) या धारा २६ के अनुसार डिमाण्ड नोटिस में जो रकम देने का लिखा होगा वह रकम समय के अन्दर, नोटिस में सूचित किए हुए स्थान और शर्खस को देना होगा।

यदि नोटिस में कोई समय निर्दिष्ट नहीं होगा तो नोटिस जारी की तारीख से दूसरे महीने के पहिले दिन या उसके षुर्व ही रकम जमा दे देनी होगी।

धारा ३१ या धारा ३२ या धारा ३३ के हुक्म के अनुसार जो रकम देनी होगी उसके सम्बन्ध में उपरोक्त नियम लागू होंगे।

जो शर्खस इस प्रकार रूपये जमा देने में गलती करेगा वह दोपी (in default) समझा जायगा।

यदि किसी एसेसी ने धारा ३० के अनुसार अपील की होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा है कि वह उस समय तक उस एसेसी को दोषी—अपराधी न माने जबतक कि उस अपील का फैसला न हो जाय।

यदि किसी एसेसी पर ऐसी आमदनी के विषय में कर लगाया गया हो जो आमदनी बृटिश भारत के बाहर ऐसे देश में होती हो जहाँ कि बृटिश भारत को रूपये भेजने की कानूनी मना हो या रुकावट हो तो उस हालत में इन्कम टैक्स ऑफिसर एसेसी को, टैक्स के उस अश के सम्बन्ध में अपराधी (in default) नहीं मानेगा जो कि उस रकम

के सम्बन्ध में वाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के कारण वृद्धिश भारत में नहीं लाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट न हटे तब तक ही यह वात लागू समझनी चाहिये।

खुलासा : इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो परिस्थितियों में भारत में लाई गई समझी जायगी :—

(१) यदि वह वृद्धिश भारत के बाहर ऐसेसी द्वारा किए गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन में व्यय कर दी गई होगी या व्यय की जा सकती थी; उदाहरण स्वरूप वृद्धिश भारत ने न लाकर आय जिस देश में हुई हो वहाँ खर्च कर देना।

(२) यदि वह वृद्धिश भारत में किसी रूप में लाई गई हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप में परिवर्तित की गई हो या नहीं।

—धारा: ४५

२—कर अदाई की गिधि और समय

४६—(१) यदि कोई ऐसेसी इन्कम टैक्स जमा न देने के सम्बन्ध में अपराधी हो (in default) तो इन्कम टैक्स ऑफिसर की इच्छा पर है कि वह आदेश दे कि जो स्पष्ट वाकी है उनके उपरान्त अमुक रकम दण्ड स्वरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम वाकी रूपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी।

(१-ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर वाकी रूपयों से कम रकम बसूल करने का आदेश भी कर सकता है;

और यदि कोई निरन्तर दोप करता जाय तो इन्कम टैक्स ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है।

परन्तु वह सब मिला कर वाकी रूपयों से अधिक अदा करने का हुक्म नहीं कर सकता।

(२) इन्कम टैक्स ऑफिसर कलक्टर को अपना सही किया हुआ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि अमुक एसेसी में अमुक रकम बाकी है और कलक्टर, इस प्रमाण-पत्र के मिलने पर बाकी रकम अदा करने के लिए उस ढंग से कार्रवाही करेगा मानो यह मालगुजारी की बाकी पड़ी (Arrears of Land-revenue) रकम हो ।

डिग्री के वसूल करने के लिए सन् १९०८ ई० के कोड ऑफ सिविल प्रोसिडिंगोर के अनुसार जो अधिकार डिग्री-कर्जदार (Judgment debtor) के पावने रूपयों को कुर्क और बिक्री करने के सम्बन्ध में दिवानी कोर्ट को हैं वे ही अधिकार कलक्टर को उक्त रूपये अदा करने के लिए एसेसी के पावने रूपयों को कुर्क और बिक्री करने के सम्बन्ध में हैं । परन्तु उपरोक्त अधिकारों से उन अन्य अधिकारों में कोई फर्क नहीं आयगा जो कि कलक्टर को प्राप्त हैं अर्थात् वह उनको भी काम में ला सकेगा ।

(३) उस क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में कमिश्नर का यह आदेश हो कि कोई भी बाकी उस ढंग से अदा की जाय जिस ढंग से कि प्रान्त के किसी भाग में म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट अदा किया जाता है, तो इन्कम टैक्स ऑफिसर उसी ढंग से बाकी वसूली की कार्रवाही करता है ।

(४) कमिश्नर यह आदेश कर सकता कि उपरोक्त रूप से बाकी अदाई कराने का अधिकार किस अधिकारी को हो और कौन इस कर्तव्य को पूरा करे ।

(५) यदि किसी एसेसी को वेतन के शीर्पक के नीचे टैक्स लगाई जानेवाली कोई आमदनी किसी से मिलती होगी तो इन्कम टैक्स ऑफिसर ऐसी आमदनी देनेवाले को आदेश कर सकता है कि वह सूचना की तारीख के बाद जो ऐसी रकम दे उसमें से एसेसी में बाकी रहा हुआ (Arrears) रूपया काट ले और उस शख्स को

इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और इस प्रकार काटी हुई रकम केन्द्रीय सरकार के नाम जमा करा देनी होगी या केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेवीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी।

(६) यदि गवर्नर्मेण्ट ऑफ इण्डिया एच, १६३५ के अनुसार किसी क्षेत्र में टैक्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दे दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र में इन्कम टैक्स किसी म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट के साथ उसी व्यक्ति से और उसी तरह से वसूल किया जायगा जिस तरह कि म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट वसूल किया जाता है।

(७) इस एच के अनुसार किसी भी रकम की वसूली के लिए उस आर्थिक वर्ष के, जिसमें कि इस एच के अनुसार कोई डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिम दिन से एक वर्ष समाप्त होने के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। परन्तु धारा ४२ (१) या धारा ४५ के अपवाद के विधान के अनुसार यह कार्रवाही बाद में भी की जा सकेगी।

—धारा: ४६

३—दण्ड की अदाई

४७—दण्ड स्वरूप जो रकम लगाई जायगीः वह वाकी टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में जो नियम इस अध्याय में दिए हैं उन्हीं के अनुसार वसूल की जायगी।

—धारा: ४७

* दण्ड की यह रकम धारा २५ (२), ३८, ४४-ई (६), ४४ एफ (५), या ४६ (३) के अनुसार लगाई जा सकती है।

अकृद्याग्रह=७

रिफण्ड

१- रिफण्ड किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का हकदार होगा

४८—(१) कोई भी शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय संस्था, फर्म अथवा शख्सों का अन्य मण्डल अथवा फर्म का कोई भागीदार, अथवा मण्डल का कोई सदस्य इन्कम टैक्स ऑफिसर या अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इस बाबत में विश्वास करा देगा कि उसके द्वारा दी हुई या उसकी ओर से दी हुई या दी हुई समझी गयी टैक्स उसकी आमदनी पर होने वाली इन्कम टैक्स की रकम से अधिक है तो वह इस अधिक रकम को फिरत पाने का अधिकारी होगा ।

(२) अपील अथवा रीबीजन की सुनाई करते हुए एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को विश्वास हो कि किसी को टैक्स रिफण्ड करने की आवश्यकता है, तो वह वेसी दी हुई या गलती से दी हुई टैक्स इन्कम टैक्स ऑफिसर द्वारा फिरती दिरावेगा ।

(३) यदि किसी धारा के अनुसार एक शख्स की आमदनी दूसरे शख्स की आमदनी में सामिल की गई हो, तो इस आमदनी सम्बन्धी रिफण्ड पाने का हकदार भी वह दूसरा शख्स होगा ।

नए कानून के अनुसार इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स रिफण्ड मिल सकती है परन्तु किसी कम्पनी के एक शेयर होल्डर को कम्पनी द्वारा अपनी आमदनी पर भरे हुए टैक्स का रिफण्ड नहीं मिल सकेगा ।

किसी शख्स की वार्षिक आय २०००] से अधिक न होने पर उसको दी हुई टैक्स की सारी रकम वापिस मिल सकेगी ।

ता० १-४-१६३६ से शुरू होनेवाले एसेसमेंट वर्ष से इन्कम टैक्स तथा सुपर टैक्स के नए दर अमल में आएंगे परन्तु वेतन, सिक्योरिटी के ब्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर ही लागू पड़ेगा ।

(४) जो अपील या उज्जर अन्य तरह से रह है वह इस धारा के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा, न जो कर बांध दिया गया है या कोई बात अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीजन करने का अधिकार आयगा, न किसी ऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा, अथवा न इस एक मे अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान हो तो उससे भिन्न या उससे अधिक रिलीफ पाने का ही हक होगा, अथवा न किसी को इस बात का हक होगा कि वह उस टैक्स के बावत मे रिफण्ड पाय जो टैक्स की इस संशोधित कानून के पहले देने का है और जिसके बावत मे रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित कानून के पास हुए बिना वह न था ।

—धारा: ४८

२—रिफण्ड की दरखास्त किसे तरह की जाती है

४६—रिफण्ड की अरजी जहाँ इन्कम टैक्स दिया जाता हो उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास करनी होती है । यदि अरजी करने वाला इन्कम टैक्स नहीं देता हो तो वह जहाँ रहता है उस वार्ड के इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी करनी होती है ।

जो आसामी ब्रिटिश भारत के बाहर रहता हो, उसको “नन—रेजिडेंट रिफण्डस सर्कल” के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी । रिफण्ड की दरखास्त निर्धारित फोर्म और रीति से करनी होगी । अरजी का फोर्म इन्कम टैक्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा । अरजी

के साथ रिटर्न भरना होगा और उसमें गत वर्ष में कर लगने योग्य साधनों से जो आय मिली होगी वह दिखानी होगी।

रिटर्न भरती करते समय बृटिश भारत में हुई तथा बृटिश भारत के बाहर हुई सब आमदनी दिखानी पड़ेगी। ऐसे शख्स की बृटिश भारत के बाहर हुई आमदनी पर कर नहीं लगाया जाता, परन्तु उसकी कुछ आमदनी पर क्या दर लागू पड़ता है, और किस दर से रिफण्ड देना चाहिए यह नक्षी करने के लिए ही उसकी बृटिश भारत के बाहर हुई आमदनी उसे बतानी पड़ती है।

बृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स जो बृटिश रैयत नहीं होगा अथवा भारत अथवा वर्मा की कोई स्टेट का रैयत नहीं होगा तो वैसे शख्स को किसी भी प्रकार का रिफण्ड नहीं मिल सकेगा।

डिविडेंड तथा सिक्योरिटी के ब्याज की रकम में से जब इन्कम टैक्स काट लिया जाता है, तब इन्कम टैक्स भर चुकने की तथा काट लेने की सार्टीफिकेट दी जाती है। रिफण्ड की अरजी करते समय ऐसी सार्टीफिकेटों को अरजी के साथ दाखिल करना होता है।

३—रिफण्ड की रकम वाकी टैक्स में भर्ती जा सकती है

४६-ए डिविडेंड तथा जमानतों के ब्याज सिवाय अरजी करने वाले की अन्य आमदनी पर टैक्स लागू पड़ता हो, तो वैसी टैक्स की रकम रिफण्ड की रकम में से बाद देकर वाकी रूपये रिफण्ड मिलते हैं। परन्तु यदि वह टैक्स की रकम रिफण्ड की रकम से अधिक हो तो रिफण्ड की रकम टैक्स की रकम में से बाद कर वाकी टैक्स और मांग ले ली जाती है।

४—सूतक आदि शब्द की तरफ से रिफण्ड पाने
का हक किसको

४६-वी—मृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्त हुए आसामी अथवा किसी दिवालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, एडमिनिस्ट्रेटर अथवा कोई अन्य प्रतिनिधि अथवा ट्रस्टी इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स का रिफण्ड ले सकेगा ।

—धारा: ४६ एफ

४६-सी—कर से अमुक्त जमानतों के व्याज पर अधिक-से-अधिक दर से इन्कम टैक्स काट ली जाती है । परन्तु यदि किसी शब्द की आमदनी हर वर्ष एक सरली और स्थिर रहती हो, और उसमें फेरफार नहीं होता हो, तो इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास अरजी करने से वह एक सार्टीफिकेट देगा, जिसके बल पर, यदि उस शब्द की आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का व्याज देते समय उसमें से इन्कम टैक्स काटा नहीं जायगा अथवा यदि उसकी आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी होगी तो सार्टीफिकेट में दर्शायी हुई दर से इन्कम टैक्स काट लिया जायगा ।

कोई संस्था अथवा फण्ड की आमदनी धर्मादा अथवा सर्व-साधारण के हित के कार्यार्थ लगाने में आती हो तो वैसी आमदनी पर कर नहीं लिया जायगा । ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्योरिटी के व्याज से उपजी हो, और उस पर मूल में (at source) इन्कम टैक्स काटा गया हो तो उस हालत में इन्कम टैक्स का रिफण्ड ऊचे से ऊचे दर से दिया जाता है । ऐसी हालत में हर वर्ष रिफण्ड लेने के बदले इन्कम की भाफी की सार्टीफिकेट लेने के लिये इन्कम टैक्स ऑफिसर को अरजी की जा सकती है । इन्कम टैक्स ऑफिसर को सन्तोष होने पर कि अरजी करने वाली संस्था अथवा फण्ड की आमदनी

फक्त धर्मादा अथवा सर्वसाधारण के हित के कार्यार्थ ही लगाई जाती है, वह एक माफी की सार्टीफिकेट देगा, जिसके अनुसार सिक्योरिटी के व्याज पर मूल पर इन्कम टैक्स नहीं काटा जायगा।

पुराने कानून के अनुसार इन्कम टैक्स का रिफण्ड एक ही वर्ष का मिलता था अब वह पाँच वर्ष तक का मिल सकेगा। इन्कम टैक्स या सुपर टैक्स की रिफण्ड की अरजी जो पिछले वर्ष में आमदनी हुई हो अथवा मिली हो उस गत वर्ष के बाद के आर्थिक वर्ष के अन्तिम दिन से ४ वर्ष के अन्दर करनी होगी।

ता० १-४-१९३६ के पहले दी हुई टैक्स के बावजूद में रिफण्ड की अरजी पुराने कायदे के अनुसार एक वर्ष के अन्दर करनी होगी।

रिफण्ड की अरजी करने की मुदत गिनते समय ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनी जिस तारीख को डिविडेंड जाहिर करती है वह तारीख गिनी जाती है। परन्तु जो कोई शेयर होल्डर अपना हिसाब रोकड़ पद्धति से रखता है, तो जिस दिन उसे डिविडेंड मिले वह तारीख गिनी जाती है। यदि इन्कम टैक्स ऑफिसर कोई कारणवश रिफण्ड देने में ना करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्बन्ध में कोई उछ करे तो उसके विरुद्ध एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील हो सकती है। अपील इन्कम टैक्स ऑफिसर के हुक्म मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी चाहिये।

—धारा : ५०

अन्तर्दृष्टियाँ-दृ

सुपर टैक्स

१—सुपर टैक्स की कूंत

५०—सुपर टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो अमुक मर्यादा के उपरान्त आमदनी होने पर इन्कम टैक्स के उपरान्त देना पड़ता है। यह टैक्स हरेक शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, स्थानीय अधिकारी, विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सिवा अन्य एसोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म या एसोसियेशन के सदस्यों को देना पड़ता है।

पहले के कानून अनुसार हिन्दू अविभक्त परिवार को ₹० ७५,०००) से उपरान्त आमदनी पर, कम्पनी को ₹०,०००) उपरान्त आमदनी पर तथा और सब को ₹०,०००) के उपरान्त आमदनी पर सुपर टैक्स देना पड़ता था परन्तु संशोधित कानून के अनुसार कम्पनी को अपनी सारी आमदनी पर चाहे वह (।) पैसा हो या ₹०,००,०००) और अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को ₹० २५०००) उपरान्त जो आमदनी होगी उस पर टैक्स देना होगा। सुपर टैक्स के दर अन्यत्र दिए हैं।

—धारा : ५५

२—सुपर टैक्स के लिए कुल आमदनी

५१—इन्कम टैक्स के दर को निश्चित करने के लिए जो कुल आमदनी कूटी जायगी, सुपर टैक्स लगाने के लिए भी वही आमदनी

कुल आमदनी समझी जायगी। इन्कम टैक्स के लिए कुल आमदनी जैसे ही निश्चित कर दी जायगी सुपर टैक्स के लिए अपने आप निश्चित हो जायगी।

—धारा : ५६

३—सुपर टैक्स के सम्बन्ध में एकट का लागू होना।

५२—(१) सुपर टैक्स लगाने, सुपर टैक्स के लिए आमदनी कूंतने, सुपरटैक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध में प्रायः वे ही नियम लागू होते हैं जो कि इन्कम टैक्स लगाने आदि के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(२) सुपर टैक्स प्रायः सीधा एसेसी से आदा किया जाता है।

इन्कमटैक्स से वरी सिक्योरिटि के व्याज पर तथा डिविडेंड पर भी सुपर टैक्स लिया जाता है। सुपर टैक्स का फलाव करते समय जीवन वीमा का रूपया बाद नहीं दिया जाता।

यदि विना रजिस्ट्री किए हुए किसी फर्म ने सुपर टैक्स दी होगी तो उस फर्म के हिस्सेदारों को उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर व्यक्तिगत तौर पर सुपर टैक्स नहीं देना होगा। परन्तु यदि फर्म ने सुपर टैक्स नहीं दिया होगा तो उस फर्म के हरेक साझेदार को उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर सुपर टैक्स देना होगा। कम्पनी के अतिरिक्त, शख्सों के अन्य एसोसियेशन पर सुपर टैक्स रजिस्ट्री नहीं किए हुए फर्म की तरह लगाया जायगा।

रजिस्ट्री हुए फर्म को सुपर टैक्स नहीं देना होता। रजिस्ट्री हुए फर्म की कुल आमदनी उसके सब साझेदारों में हिस्से अनुसार बांट दी जाती है और हरेक साझेदार को व्यक्तिगत रूप से अपनी निज की कुल आमदनी पर सुपर टैक्स देना पड़ता है।

—धारा : ५८

अकृद्यायक हि

कर्ड प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सम्बन्ध में खास विधान

१—परिभाषा।

५३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा स्वीकृत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूप सुपर-एनुएशन फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूप सुपर-एनुएशन फण्ड कहलायगा।

(बी) इस अध्याय में स्वामी (Employer) का अर्थ है :

(क) ऐसा संयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन, या

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार, पेशे या धन्धे में लगा हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों (Employees) के लाभ के लिए सुपरएनुएशन फण्ड चलाया जा रहा हो। कर्मचारी (Employee) का अर्थ है : वह कर्मचारी जो सुपरएनुएशन फण्ड में भाग ले। परन्तु इस शब्द में कोई घर (Personal or domestic) नौकर सामिल नहीं है।

‘कन्ट्रीव्युशन’ का अर्थ है—ऐसी रकम जो कि किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी तरफ से उसके खाते में जमा दी जाय या मालिक अपने

रूपयों में से उसके खाते में जमा दे । परन्तु व्याज के बतौर जो रकम जमा की जायगी उसे कन्ट्रीब्युशन नहीं कहा जायगा ।

(सी) 'ओर्डिनरी एन्ड अल कन्ट्रीब्युशन' उस वार्षिक चन्दे को कहते हैं जो कि एक निश्चित रकम में दिया जाय । फण्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई और चन्दे को देख कर एक निश्चित प्रणाली से जो वार्षिक चन्दा निर्धारित किया जाता है उसको भी उपरोक्त कन्ट्रीब्युशन कहते हैं ।

—धारा : ५८ एन

२—मंजूरी की जर्ते

५४—निम्न लिखित शर्तें पूरी होने पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी सुपरएन्जेन फण्ड को स्वीकार (Approve) करेगा और वाद में भी करता रहेगा :—

(१) फण्ड इर्रिभोकेवल (irrevocable) ट्रस्ट की अधीनता (under) में स्थापित होना चाहिए तथा वृद्धिश भारत में चलाए जाते हुए व्यापार (trade) या काम (undertaking) से सम्बन्धित होना चाहिए ।

(२) फण्ड की स्थापना कर्मचारियों को, उनके अलग होने पर, या कोई खास उमर आ जाने पर या अलग हो जाने के पहले ही काम के लिए असमर्थ हो जाने पर या ऐसे शख्सों के मर जाने के बाद उनकी विधवाओं, वालवचों और उन पर निर्भर करने वालों को सहायता (annuity) देने के ही एक मात्र उद्देश्य से होनी चाहिए ।

(३) स्वामी (employer) को इस फण्ड में चन्दा देना होगा ।

सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हालत में भी किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपराज्ञेशन फण्ड के रूपमें स्वीकार (Approve) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चन्द्र को लौटा देने का भी नियम हो। (२) जब कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊपर वराया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारवार अश रूप से ही बृद्धि भारत में किया जाता हो। ऐसा बरते हुए सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू उचित समझे उन शर्तों को लगा सकता है।

—धारा : ५८ पी

३—मंजूरी और मंजूरी को हटाना

५५—(१) सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा दी हुई मंजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय में मंजूरी को चालू रखने की परिस्थिति नहीं रही भालूम दे।

(२) फण्ड के मंजूर हो जाने पर वोर्ड लिखित रूप में फण्ड के दूसरीयों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा।

(३) मंजूरी हटा लेने पर वोर्ड को लिखित रूप से इसकी सूचना भी देनी होगी—ऐसा करने का कारण तथा नामंजूरी कब संलग्न होगी यह भी लिख देना होगा।

(४) मंजूरी को हटाने के पहले वोर्ड को फण्ड के दूसरीयों को अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा।

—धारा: ५८ औ

४—मंजूरी के लिए दरखास्त

५६ - (१) किसी भी एसेसमेंट वर्ष के लिये मंजूरी प्राप्त करने के लिये उस वर्ष के समाप्त होने के पहले पहले एक लिखित अरजी इन्कम टैक्स ऑफिसर के समुख करनी होगी। इस अरजी के साथ वह दस्तावेज भेजना होगा जिसके अनुसार फण्ड स्थापित हुआ है। फण्ड के नियमों की तथा पिछले वर्ष के हिसाब की दो नकलें भी साथ में भेजनी होंगी। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू और भी जो उचित समझेगा वह सब विवरण मांग सकेगा।

(२) यदि अरजी की तारीख के बाद फण्ड के नियम, संगठन, उद्देश्य या स्थिति में कोई परिवर्तन किया जायगा तो ट्रस्टियों को इस बात की सूचना इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास भेज देनी होगी। इसमें गलती होने पर, यदि मंजूरी दी गई होगी तो वह, अपने आप उस तारीख से रद्द हुई समझी जायगी जिस तारीख को परिवर्तन किया गया है। सेन्ट्रल बोर्ड इस सम्बन्ध में कोई दूसरा हुक्म भी कर सकता है।

—धारा: ५८ क्यू

५—इन्कम टैक्स से छूट

५७—मंजूर हुए सुपर एनुश्वान फण्ड (Super annuation fund) की रकम से जो आमदनी होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगी। स्वामी (employer) ऐसे फण्ड में जो चन्दा देगा वह उसकी आमदनी की कूत करते समय उसमें से बाद दे दिया जायगा। कर्मचारी जो चन्दा देगा वह जीवन वीमा के प्रीमियम की तरह समझा जायगा और उसके सम्बन्ध में जो नियम पिछे प्रीमियम के सम्बन्ध में लागू चलाये गये हैं वे सब लागू होंगे।

परन्तु जो रकम ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं है उसके सम्बन्ध में कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी ।

यदि स्वामी (employer) द्वारा दिया हुआ चन्दा ऑर्डिनरी एनूअल कन्ट्रीब्युशन नहीं होगा तो इस धारा के लिये वह या तो उसी साल का खर्च समझा जायगा जिस साल में चन्दा दिया गया है या वह सेन्ट्रल बोर्ड उचित समझेगा उतने वर्षों में वंटा हुआ खर्च समझा जायगा ।

—धारा : ५८-आर

६-फिरती दिए हुए चन्दों के सम्बन्ध में नियम

५८—(१) यदि चन्दा (जिसमें व्याज भी सामिल समझना चाहिए) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष में हुई आमदनी समझी जायगी और उस पर इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स लगेगा ।

(२) यदि चन्दा कर्मचारी को उसके जीवन काल में ही वापिस दिया जाता हो, परन्तु नौकरी समाप्त होने पर या उसके सम्बन्ध में नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली चन्दे की रकम या व्याज की रकम से ट्रस्टियों को इन्कम टैक्स काट लेना होगा । इन्कम टैक्स, उस गडपडता दर से काटना होगा जो दर कि पिछले तीन वर्षों में उस पर लागू पड़ता हो । यदि फण्ड के सदस्य हुए उसे तीन वर्ष नहीं हुए होंगे तो इस अधिक में उस पर जो दर लागू पड़ता होगा टैक्स उसी दर से ली जायगी ।

इस प्रकार काटी हुई टैक्स केन्द्रीय सरकार के नाम में जमा कर देनी होगी ।

—धारा : ५८-एस

७—काटे गये चन्दे आदि को रिटर्न में दिखाना

५६—स्वामी (Employer) कर्मचारी के वेतन में से जो चन्दा काटेगा या उसकी ओर से वह जो चन्दा किसी अपर्खब्ड सुपर एनु-एशन फण्ड में देगा उन रकमों को धारा २१ के अनुसार जो रिटर्न दी जायगी उसमें दिखा देना होगा ।

—धारा : ५८-टी

८—फण्ड की मंजूरी न रहने पर ट्रूस्टियों का दायित्व

६०—यदि कोई फण्ड या उसका कोई भाग किसी कारण से अपर्खब्ड सुपरएनुएशन फण्ड नहीं रहता तो उस हालत में भी फण्ड के ट्रूस्टियों को निम्न लिखित रकमों के सम्बन्ध में टैक्स के लिए दायक रहना होगा । :

(ए) जो चन्दे (व्याज भी सामिल समझना चाहिए) लौटाए गये हों और उनकी रकमों के सम्बन्ध में,

(बी) जो रकमें एन्हूटी के बदले में या उसको छुकती करने के लिये दी गई हों ।

परन्तु यह ख्याल रखने की बात है कि यदि रकमे उस चन्दे के विषय में होंगी जो कि फण्ड या उसके किसी भाग के अस्वीकृत न होने के पहले दी गई होंगी तभी ट्रूस्टी उस पर टैक्स के लिए दायक रहेंगे ।

—धारा : ५८ यू

९—फण्ड के सम्बन्ध में विवरण

६१—अभर्खब्ड सुपर एनुएशन फण्ड के ट्रूस्टियों को तथा ऐसे फण्ड में चन्दा देने वाले मालिक (Employer) को, इन्कम टैक्स ऑफिसर के चाहने पर, नोटिस की तारीख के २१ दिन के अन्दर—

(ए) इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश करनी होगी जिसमें चन्द्रे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो कि मागे गये होंगे ।

(ढी) एक रिटर्न देनी होगी जिसमें

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे जिनको फण्ड से एन्हूटी मिली है ।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एन्हूटी की रकम दिखानी होगी ।

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्द्रा लौटाया गया हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्द्रों के ब्याज का विवरण ।

(घ) एन्हूटी के घटले में या उसको नक्षी कर जो रकमें दी गई हों उनका विवरण ।

(सी) इन्कम टैक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होंगी जो कि सैन्दूल बोर्ड ऑफ रेवोन्यू वाजिब रूप से माग सके ।

—धारा : ५८ भी

छक्षुण्डायू-१०

फुटकर

१—एसेसी की ओर से ग्रातिनिधि

६२—(१) कोई भी एसेसो जो कि इस एक के नीचे होने वाली किसी कारवाही के सम्बन्ध में इन्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख हाजिर होने का हक रखता है या जिसको हाजिर होने का हुक्म मिला है वह अन्य शख्स के जरिए, जिसको कि इस वावत में लिखित अधिकार दिया हो, हाजिर हो सकता है।

परन्तु इस तरह का अधिकार केवल, एसेसी के किसी सम्बन्धी, एसेसी द्वारा वरावर नियुक्त व्यक्ति, कानूनज्ञ, हिसाबबंद (Accountant), इन्कम टैक्स ऑफिसों में प्रेकटिश करने वालों को ही दिया जा सकता है।

जिस व्यक्ति को कानून के अनुसार अयोग्य ठहरा दियागया होगा उसको उपरोक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता।

उस हालत में जब कि एसेसी को धारा ३७ के अनुसार सुदृढ़ हाजिर होकर सपथ पूर्वक जाचे जाने के लिए बुलाया गया होगा वह अन्य किसी के मारफत हाजिर नहीं हो सकेगा।

—धारा : ६१

२—टैक्स कहाँ लगाई जायगी

६३—(१) एक एसेसी जहाँ कारवार आदि करता होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर उसकी आमदनी पर कर लगा सकेगा। परन्तु जो वह एक से अधिक जगह कारवार करता हो तो

कारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इन्कम टैक्स ऑफिसर कर लगा सकेगा ।

(२) इसके सिवा और सब हालतों में ऐसेसी जहाँ रहता होगा उस जगह का इन्कम टैक्स आफिसर कर लगा सकेगा ।

(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध में कोई प्रभ उपस्थित होने पर उसका निपटारा कमिश्वर करेगा । यदि यह सवाल ऐसे स्थलों के बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों में हैं तो उस हालत में जिन कमिश्वरों का समर्पक होगा वे इसका निपटारा करेंगे । यदि ये कमिश्वर परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय बोर्ड ऑफ रेविन्यू द्वारा किया जायगा ।

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने विचार रखने का मौका दिया जायगा । धारा २२ ए के अनुसार रिटर्न भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान चला देने के बाद कोई ऐसेसी कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध में कोई उम्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटर्न नहीं भरा होगा तो धारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटर्न भरने की नोटिस में सूचित मुद्रत खलास होने के बाद वह ऐसा उम्र नहीं उठा सकेगा ।

यदि ऐसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई प्रभ खड़ा करेगा और इन्कम टैक्स आफिसर यदि ऐसेसी की बात को सही नहीं समझेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विषय को कर लगाने के पहिले कमिश्वर के पास भेज देगा ।

—धारा : ६४

MelBaidy

